# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
# का प्रतिवेदन

## मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

## संघ सरकार (वाणिज्यिक)
## 2009-10 की संख्या सी ए 25
## (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)
## दूरसंचार क्षेत्र

# विषय सूची


| | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्राक्कथन | | v |
| दूरसंचार क्षेत्र की रूपरेखा | | vii-x |
| विहंगावलोकन | | xi-xx |
| **भारत संचार निगम लिमिटेड** | | |
| **अध्याय I – संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन** | | |
| कार्य, संगठन, यातायात, राजस्व प्राप्ति तथा वित्तीय परिणाम | 1.1-1.7 | 1-6 |
| **अध्याय II – लेन–देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष–राजस्व** | | |
| पटना में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की खराब काल कार्यक्षमता | 2.1 | 7-8 |
| सबसिडी की हानि | 2.2 | 8-9 |
| देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना | 2.3 | 9-10 |
| संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बिल न बनाना | 2.4 | 10 |
| किराये के कम बिल बनाना | 2.5 | 11 |
| अवसंरचना प्रभारों का बिल न बनाना | 2.6 | 11-12 |
| पट्टे पर दिये गये परिपथों के प्रावधानों में विलम्ब से राजस्व की हानि | 2.7 | 12-13 |
| दावों की गैर वसूली | 2.8 | 13-14 |
| पोर्ट प्रभारों का कम बिल बनाना/बिल न बनाया जाना | 2.9 | 14-15 |
| मल्टी पोर्टोकोल लेबल स्वीचिंग वर्चुअल नेटवर्क और पट्टे पर दिये गये परिपथों का बिल न बनाना/कम बिल बनाना | 2.10 | 15-16 |
| वास्तविक अभिदाताओं के अनुचित सत्यापन के कारण राजस्व की हानि | 2.11 | 16 |
| किराये का बिल न बनाया जाना | 2.12 | 17 |
| लेखापरीक्षा के निर्देश पर वसूली | 2.13 | 17 |
| **अध्याय III – लेन–देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष–व्यय** | | |
| अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन | 3.1 | 18-19 |
| उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन का अतिरिक्त अनियमित भुगतान | 3.2 | 19-20 |
| सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवा द्वारा स्पैक्ट्रम प्रभारों का परिहार्य भुगतान | 3.3 | 20-21 |
| सेवा कर का अधिक भुगतान | 3.4 | 21-22 |
| डब्ल्यू एल एल उपकरणों की गैर वसूली के कारण हानि | 3.5 | 22-23 |
| सैनवट क्रेडिट की गैर प्राप्ति के कारण हानि | 3.6 | 23-24 |
| डिजीटल लूप कैरियर प्रणालियों का उपयोग न होना/कम उपयोग होना | 3.7 | 24-26 |
| भाड़े पर कार्मिक लेने से अनियमित अतिरिक्त व्यय | 3.8 | 26-27 |
| पूर्तिकारों को अनुचित लाभ | 3.9 | 27-28 |
| निगम कार्यालय के अनुदेशों का अनुपालन करने में विफलता | 3.10 | 28-29 |
| सुरक्षा गार्ड की तैनाती पर परिहार्य अनियमित व्यय | 3.11 | 29-30 |
| क भ नि योजना की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता | 3.12 | 30-31 |
| उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन का अधिक भुगतान | 3.13 | 31 |

| | | |
|---|---|---|
| ठेकेदार को अनुचित लाभ | 3.14 | 32-33 |
| कोरडेक्ट डब्ल्यू एल एल प्रणाली का निष्क्रिय होना | 3.15 | 33-34 |
| लाइसेंसधारकों को कमीशन का अधिक भुगतान | 3.16 | 34 |
| **महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड** | | |
| **अध्याय IV – संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन** | | |
| कार्य, संगठन, यातायात, राजस्व प्राप्ति तथा वित्तीय परिणाम | 4.1-4.7 | 35-38 |
| **अध्याय V – लेन–देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष** | | |
| होस्टल भवन के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश | 5.1 | 39-40 |
| बिल डाक सेवा प्राप्त न करने के कारण अतिरिक्त व्यय | 5.2 | 40 |
| प्रतिभूति जमा का अधिक भुगतान | 5.3 | 40-41 |
| अंतःसम्बद्ध यूसेज प्रभारों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर उगाही | 5.4 | 41-42 |
| भवनों को भाड़े पर लेने से निष्फल व्यय | 5.5 | 42 |
| **आई टी आई लिमिटेड** | | |
| **अध्याय VI – संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन** | | |
| कार्य, संगठन तथा वित्तीय परिणाम | 6.1-6.7 | 43-48 |
| **टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड** | | |
| **अध्याय VII – लेनदेन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष** | | |
| कार्य, संगठन तथा वित्तीय परिणाम | 7.1-7.5 | 49-50 |
| **इंटेलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड** | | |
| **अध्याय VIII –संगठनात्मक ढ़ांचा तथा वित्तीय प्रबंधन** | | |
| कार्य, संगठन तथा वित्तीय परिणाम | 8.1-8.6 | 51-52 |
| **मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड** | | |
| **अध्याय IX –संगठनात्मक ढ़ांचा तथा वित्तीय प्रबंधन** | | |
| कार्य, संगठन, यातायात, राजस्व प्राप्ति तथा वित्तीय परिणाम | 9.1-9.5 | 53-54 |
| **लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही** | | |
| **अध्याय X –लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही** | 10 | 55-56 |
| **परिशिष्ट** | | |
| I | पटना में स्तर–I टी ए एक्स के खराब सी सी आर के कारण राजस्व हानि को दर्शाने वाली विवरणी | 57 |
| II | आर डी ई एल एफ के अप्रावधान और त्रुटिपूर्ण और कार्यशील वी पी टी के रखरखाव के परिणामस्वरूप सबसिडी की हानि का विवरण। | 58 |

| | | |
|---|---|---|
| III | देयों का भुगतान न होने के बावजूद दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना | 59-60 |
| IV | सम्पूर्ण संज्ञान पत्रों की अप्राप्ति के कारण बिल न बनना | 61-63 |
| V | किराये की कम वसूली को दर्शाने वाली विवरणी | 64 |
| VI | लाइसेंसयुक्त सेवा सम्भरकों को दी गई अवसंरचना सुविधाओं के लिये किराये की कम वसूली | 65 |
| VII | परिपथों को प्रदान करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि को दर्शाने वाली विवरणी | 66 |
| VIII | दावों की अवसूली | 67 |
| IX | परिचालकों से पोर्टों के बन्द होने या अभ्यर्पित करने पर पोर्ट–प्रभारों का असंग्रहण | 68 |
| X | पटटे पर दिये गये परिपथों के विषय में किराये के बिल न बनाने को दर्शाने वाली विवरणी | 69-70 |
| XI | अभिदाताओं की प्रमाणिकता की गलत पुष्टि के कारण राजस्व की हानि | 71 |
| XII | लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर की गई वसूली को दर्शाने वाली विवरणी | 72 |
| XIII | उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन राशि का अनियमित अतिरिक्त भुगतान | 73 |
| XIV | स्पैक्ट्रम प्रभारों के अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी | 74 |
| XV | सेवाकर के अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी | 75 |
| XVI | यन्त्रों की अवसूली के कारण हानि का विवरण | 76 |
| XVII | चार सै स्वी क्षेत्रों में डी एल सी प्रणाली का उपयोग न किया जाना/कम उपयोग किया जाना | 77 |
| XVIII | चार सै स्वी क्षेत्रों द्वारा अधिप्राप्त और लगाये गये डी एल सी उपकरण की कुल लागत को दर्शाने वाली विवरणी | 78 |
| XIX | सै स्वी क्षेत्र के अनुसार कर्मियों को रखने पर किया गया अनियमित अतिरिक्त व्यय | 79 |
| XX | मासिक सुपुर्दगी अनुसूची को पुनः निर्धारण को दिखाने वाली विवरणी | 80 |
| XXI | फर्मवार तथा सै स्वी क्षे वार अधिक भुगतान | 81 |
| XXII | वर्ष 2002–03 हेतु संवर्ग 'क' और 'ख' अधिकारियों को पी एल आई का अधिक भुगतान | 82-86 |
| XXIII | ठेकेदार को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण | 87 |
| XXIV | फ्रेंचाइजीज जिन्होंने नई नीति में स्थानांतरण को चुना था को कमीशन के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण | 88 |
| XXV | आई टी आई के मुख्य उत्पादों के वर्षों 2003–2008 के लिये स्थापित क्षमता, लक्षित क्षमता और वास्तविक कार्य निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी | 89 |
| XXVI | बिलों को डाक से भेजने पर अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण | 90-94 |
| XXVII | भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से संबंधित पैरों पर की गयी कार्यवाही (ए टी एन) की बकाया स्थिति | 95-100 |

# प्राक्कथन

1984 में संशोधित नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार व सेवा शर्तो) के अधिनियम 1971 की धारा 19–ए के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या सी ए 25 सरकार को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। इसमें दूरसंचार क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रमुखता दी है। दूरसंचार विभाग (दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के अन्तर्गत कम्पनियों में भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, आई टी आई लिमिटेड, टेलीकम्यूनिकेशन्स कनसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन्स सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड तथा मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड शामिल है।

इस प्रतिवेदन में 35 पैराग्राफ 10 अध्यायों में विभाजित हैं।

# दूरसंचार क्षेत्र की रूपरेखा

## 1. पृष्ठभूमि

भारतीय दूरसंचार 168 वर्ष से ज्यादा पुराना है, जो 1839 में कोलकाता व डायमंड हार्बर के बीच पहली तार लाइन से शुरू हुआ। 1948 में भारत में प्रति सौ जनसंख्या पर दूरभाष लगभग 0.02 दूरभाष घनत्व के साथ केवल 0.10 मिलियन दूरभाष संयोजन थे। सितम्बर 2008 तक देश में दूरभाष घनत्व प्रति सौ की जनसंख्या पर 30.64 दूरभाष के साथ 353.66 मिलियन दूरभाष (सैल्यूलर मोबाइल सहित) संयोजन थे। 353.66 मिलियन दूरभाष संयोजन में से 315.31 मिलियन (लगभग 82 प्रतिशत) संयोजन वायरलेस और मोबाइल फोन से सम्बंधित थे।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न प्रशासनिक व कार्यात्मक पहलुओं पर नीचे चर्चा की गई है:

## 2. प्रशासन व नियंत्रण

अप्रैल 1989 में गठित दूरसंचार आयोग के पास दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही करने के लिये भारत सरकार की प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां हैं। आयोग व दूरसंचार विभाग (दू वि) अन्य बातो के साथ–साथ नीति निर्धारण, लाइसेंस देने, बेतार स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, दूरसंचार सेवा में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) का प्रशासनिक मानीटरिंग एवं नियंत्रण, अनुसंधान विकास, उपस्करों के व मानकीकरण/वैधीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

दूरसंचार आयोग के अतिरिक्त, दूरसंचार क्षेत्र में लगे अन्य सरकारी संगठन सेन्टर फार डवलपमेन्ट आफ टेलीमेटिक (सी–डॉट) है जो कि एक स्वायत्त निकाय है जिसे 1984 में एक नई पीढ़ी के डिजीटल स्वीचिंग मदों को विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था इसने शहरी व ग्रामीण दोनों में उपयोग के लिये विस्तृत रेंज के स्वीचिंग व सम्प्रेषण उत्पाद विकसित किये है।

दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (दू अ के) व बेतार आयोजना व समन्वय (बे आ स) विंग दू वि की अन्य दो अन्य विंग हैं। दू अ के प्रयोक्ता एजेंसियों के लिए उत्पाद वैधीकरण व मानकीकरण के लिए समर्पित है। यह दूरसंचार आयोग व फील्ड यूनिटों के लिए तकनीकी व अभियन्त्रिकी सहायता उपलब्ध करवाता है।

बेतार आयोजना व समन्वय विंग (बे आ स) स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, बेतार के लाइसेंस बनाने, आवृत्ति आबंटन, स्पैक्ट्रम प्रबन्धन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय की तथा रेडियो संचार प्रणालियों के लिए इंडियन टेलीग्राफी अधिनियम, 1885 के प्रशासन व इंडियन वायरलैस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 से संबंधित नीतियो को देखती है। रेडियो आवृत्तियों के प्रयोग को प्रशासित करने के लिये, बेतार उपस्कर व आवृत्तियों के प्रयोग के लिये लाइसेंस/नवीनीकरण बे आ स द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। निर्धारित लाइसेंस फीस व रायल्टी के अग्रिम भुगतान पर निर्धारित अवधि के लिये लाइसेंस जारी किये जाते हैं व वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात पुनः नवीनीकरण किया जाता है।

## 3. विनियामक नियंत्रण

निजी सेवा सम्भरकों के 1992 में प्रवेश से स्वतंत्र विनियमन की आवश्यकता भी अनिवार्य हो गई। दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रभारों के निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं के नियमन के लिए, जो पहले दू वि में निहित थे, 20 फरवरी 1997 से संसद के अधिनियम जिसे दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 कहते हैं, के द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा दू वि प्रा) की स्थापना हुई। भा दू वि प्रा अधिनियम को 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया, जिसके द्वारा भा दू वि प्रा से न्यायिक व विवाद कार्यों को अलग करके दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय ट्रिब्यूनल (टी डी सैट) की स्थापना, हुई। टी डी सैट, लाइसेंसधारी व लाइसेंसदाता के बीच, दो या अधिक सेवा सम्भरकों के बीच, सेवा सम्भरक व उपभोक्ता समूह के बीच के किसी विवाद का निर्णय तथा भा दू वि प्रा के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरूद्ध किसी अपील की सुनवाई व निपटान करता है।

## 4. दूरसंचार नीतियाँ

विश्वव्यापी सेवा व दूरसंचार सेवाओं में गुणात्मक सुधार पर अधिक बल देते हुए, इसके अतिरिक्त दूरभाष सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आरम्भ करने के लिये, पहली राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा 1994 में की गई। नई दूरसंचार नीति 1999 (न दू नी 99) ने निजी आपरेटरों को निर्धारित लाइसेंस फीस व्यवस्था से राजस्व भागीदारी व्यवस्था में बदलने की अनुमति दी। न दू नी 99 के अन्य प्रावधानों में, आपरेशन के एक ही क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सेवा सम्भरकों के बीच अन्तः संयोजनीयता व अवसंरचना की भागीदारी की अनुमति, दू वि के सेवा प्रावधान कार्य से नीति व लाइसेंस कार्यों को अलग करना, राष्ट्रीय लम्बी दूरी (रा ल दू) तथा अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (अ ल दू) की सेवाओं को प्रतियोगिता के लिए खोलना व सेवा सम्भरकों द्वारा डेटा व वायस यातायात दोनों को ले जाना शामिल था।

न दू नी–99 में वैश्विक सेवा पर बल दिया गया तथा मांग पर दूरभाष व ग्रामीण टेली–डेन्सटी में वृद्धि प्राप्त करने की कोशिश की गई। इसके अनुसरण में, अप्रैल 2002 में दू वि के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत वैश्विक सेवा जिम्मेदारी निधि (वै से जि निधि) नामक निधि की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पूर्ण रूप से वैश्विक सेवा जिम्मेदारियों की पूर्ति करना था। वै से जि के क्रियान्वयन के लिए संसाधन वैश्विक सेवा उगाही के जरिए जुटाए जाते है, जो कि वर्तमान में सभी दूरसंचार सेवा सम्भरकों, शुद्ध मूल्य वर्धित सेवा सम्भरकों जैसे इन्टरनेट, वायस मेल, और ई–मेल सेवा सम्भरकों को छोड़कर, के समायोजित समग्र राजस्व का 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

31 मार्च 2002 तक राजस्व भागीदारी के आधार पर मूल सेवा में अप्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। सभी दूरसंचार सेवाएं निजी क्षेत्र के शामिल होने के लिये खोल दी गई थी। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय डेटा संयोजनीयता और इन्टरनेट सेवायें भी बिना किसी प्रविष्टी फीस और प्रवेशकों की संख्या में बिना किसी प्रतिबंध के खोल दी गई थी।

नेशनल फ्रीक्वेन्सी अलोकेशन प्लान (एन एफ ए पी–2002) को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (अं दू सं) के रेडियो रेगूलेशन के अनुसार विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य स्पैक्ट्रम पर परस्पर विरोधी मांग की पूर्ति करना था।

## 5. दूरसंचार क्षेत्र में सरकारी सा क्षे उ

दूरसंचार क्षेत्र में छः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) व भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) का व्यवसाय मूल रूप से देश में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाना है और इन्हें क्रमशः 1986 व 2000 में निगमित किया गया था। म टे नि लि मुम्बई व दिल्ली में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाती है तथा बाकी देश में भा सं नि

लि सेवाएं उपलब्ध करवाता है। म टे नि लि एवं भा सं नि लि के अतिरिक्त दूरसंचार क्षेत्र में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई टी आई), टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल), इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन सिस्टमस इंडिया लिमिटेड (आई सी एस आई एल) और मिलेनियम टेलीकाम लिमिटेड (एम टी एल) हैं। आई टी आई लिमिटेड को 1948 में उपस्करों की एक वृहत रेंज का विनिर्माण करने के लिए बनाया गया था जिसमें इलैक्ट्रॉनिक स्वीचिंग उपस्कर, संचरण उपस्कर तथा विभिन्न प्रकार के दूरभाष उपकरण शामिल हैं। टी सी आई एल को वैश्विक स्तर पर दूरसंचार के सभी क्षेत्रों में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए 1978 में स्थापित किया गया था। टी सी आई एल की कोर क्षमता संचार नेटवर्क परियोजनाओं, साफ्टवेयर सहायता, स्वीचिंग व संचरण प्रणालियां, सैल्यूलर सेवाएं, ग्रामीण दूरसंचार व ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित सुदृढ़ नेटवर्क में है। आई सी एस आई एल को अप्रैल 1987 में कम्प्यूटर पर आधारित संचार प्रणालियों व उपस्कर के विनिर्माण के लिए स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य संचार व सूचना प्रोद्यौगिकी में बढ़ती मांग को पूरा करना था। यद्यपि, कम्पनी ने इसकी विनिर्माण गतिविधियां बन्द कर दी तथा इसका विनिर्माण लाइसेंस अभ्यर्पित कर दिया। वर्तमान में कम्पनी कम्प्यूटरों व अन्य दूरसंचार प्रणालियों के व्यापार में लगी हुई है। यह भारत व विदेश में कम्प्यूटर व संचार तंत्रों के लिए इंजीनियरिंग तकनीकी व प्रबंधन परामर्श सेवाऐ भी उपलब्ध करवाती है। एम टी एल को फरवरी 2000 में देश में इन्टरनेट सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिए म टे नि लि के पूर्ण स्वयं नियंत्रित सहायक के रूप में स्थापित किया गया था।

## 6. दूरसंचार क्षेत्र में सा क्षे उ का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए दूरसंचार सा क्षे उ के कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय निष्पादन संकेतक इस प्रकार थेः

| सा क्षे उ | सरकार द्वारा शेयरों में निवेश | | | सरकारी ऋण | कुल अर्जित आय | सरकारी निवेश पर प्रदत्त लाभांश | लगाई गई पूंजी | कर पूर्व लाभ (क पू ला) | क पू ला का लगाई गई पूंजी में प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इक्विटी शेयर | प्रैफरेन्स शेयर | कुल | | | | | | |
| | (करोड़ रू. में) | | | | | | | | % |
| बी एस एन एल | 5000.00 | 7500.00 | 12500.00 | 720.00 | 38053.40 | 1500.00 | 85362.04 | 4451.55 | 5.21 |
| एम टी एन एल | 354.37 | ----- | 354.37 | ---- | 5329.93 | 141.75 | 15849.37 | 631.65 | 3.99 |
| आई टी आई | 267.47 | ----- | 267.47 | 100.00 | 1221.39 | ---- | 2946.60 | (357.23) | (12.12) |
| टी सी आई एल | 28.80 | ----- | 28.80 | ---- | 414.68 | ---- | 298.00 | 3.51 | 1.18 |
| आई सी एस आई एल | ---- | ----- | ---- | ---- | 6.99 | ---- | 1.20 | 0.49 | 40.83 |
| एम टी एल | -----* | ----- | ---- | ----- | 0.43 | ---- | 4.52 | 0.36 | 7.96 |
| *कुल* | *5650.64* | *7500.00* | *13150.64* | *820.00* | *45027.02* | *1641.75* | *104461.73* | *4730.33* | *4.53* |

* एम टी एल की 2.88 करोड़ रू. की इक्विटी शेयर पूंजी पूर्णतः म टे नि लि द्वारा अंशदान की गई थी।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, इन छः दूरसंचार सा क्षे उ के रू. 13,150.64 करोड़ के पूंजी निवेश पर, सरकार को रू. 1,641.75 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ, जो कि 12.48 प्रतिशत बनता था। वर्ष के दौरान तीन दूरसंचार सा क्षे उ की कुल आय व कर पूर्व अर्जित लाभ क्रमशः रू. 45,027.02 करोड़ व रू. 4,730.33 करोड़ था। उपर्युक्त सा क्षे उ में लगाई गई रू. 1,04,461.73 करोड़ की कुल पूंजी पर कर पूर्व लाभ का समग्र प्रतिशत 4.53 प्रतिशत बनता था।

# विहंगावलोकन

वर्ष 2007–08 के लिये इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 35 पैराग्राफों को शामिल करते हुये 1 अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है:

| | |
|---|---|
| अध्याय I से III | भारत संचार निगम लिमिटेड |
| अध्याय IV से V | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड |
| अध्याय VI | आई टी आई लिमिटेड |
| अध्याय VII | टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड |
| अध्याय VIII | इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड |
| अध्याय IX | मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड |
| अध्याय X | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही |

## लेखापरीक्षा प्रविधि और वित्तीय निहितार्थ

इस प्रतिवेदन में सीमांकित उपलब्धियां उनमें से है जो मुख्यतः 2007–08 के साथ–साथ 2008–0 के प्रारम्भिक भाग में लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारि लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये पैराग्राफों का कु परिमाणित वित्तीय निहितार्थ 1547.47 करोड़ रू. है। अनियमितताओं की प्रकृति के सन्दर्भ कम्पनीवार विवरण नीचे दिये गये हैं:

### (i) भारत संचार निगम लिमिटेड

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) से सम्बन्धित पैराग्राफों के बारे में वित्तीय निहिता जो कि परिमाणित किया जा सका, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 1520.04 करोड़ रू. है:

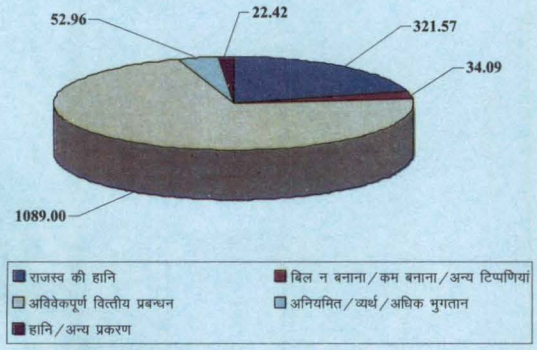




(करोड़ रू. में)

| राजस्व तथा व्यय पैराग्राफ | |
|---|---|
| राजस्व की हानि | 321.57 |
| बिल न बनाना / कम बिल बनाना / अन्य टिप्पणियां | 34.09 |
| अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन | 1089.00 |
| अनियमित / व्यर्थ / अधिक भुगतान | 52.96 |
| हानि / अन्य प्रकरण | 22.42 |
| **कुल** | **1520.04** |

## (ii) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) से सम्बन्धित पैराग्राफों के बारे में वित्तीय निहितार्थ जो कि परिमाणित किया जा सका, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 27.43 करोड़ रू. है:

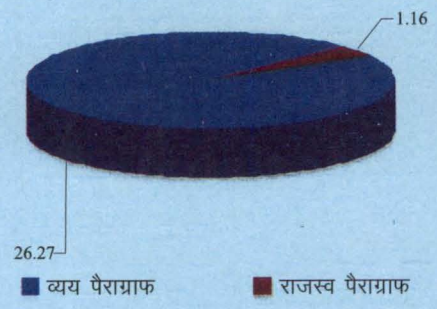


(करोड़ रू. में)

| राजस्व तथा व्यय पैराग्राफ | |
|---|---|
| व्यय पैराग्राफ | 26.27 |
| राजस्व पैराग्राफ | 1.16 |
| कुल | **27.43** |

**प्रत्येक कम्पनी के विशिष्ट अध्यायों की विशेषताएं नीचे प्रस्तुत है :**

# भारत संचार निगम लिमिटेड

## अध्याय I

### प्रस्तावना, संगठनात्मक ढांचा, निवेश एवं अर्जन, भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन, राजस्व बकाया, जनशक्ति तथा उत्पादकता

कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) को 15 सितम्बर 2000 को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले केन्द्रीय सरकार की कम्पनी के रूप में निगमित किया गया। देश में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने का कारोबार, जोकि दूरसंचार सेवा विभाग (दू से वि) तथा दूरसंचार प्रचालन विभाग (दू प्र वि) के ज़िम्मे था, नवनिर्मित कम्पनी भा सं नि लि को 1 अक्तूबर 2000 से स्थानान्तरित किया गया। अध्याय 1 में विशिष्ट रूप से दर्शाये अन्य पहलू निम्नानुसार है:

- कम्पनी को चेन्नई व कोलकाता में दो मेट्रो दूरसंचार जिलों के अतिरिक्त सारे देश को कवर करते हुये 24 दूरसंचार क्षेत्रीय परिमंडलों तथा 19 गैर क्षेत्रीय परिमंडलों में संगठित किया गया है। क्षेत्रीय परिमंडलों को सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) में भी विभक्त किया गया है जो कि कम्पनी की आधारभूत प्रबन्धन यूनिट है। गैर क्षेत्रीय परिमंडल जैसे दूरसंचार भंडार, दूरसंचार फैक्टरी, गुणता आश्वासन, प्रशिक्षण, परियोजना व अनुरक्षण विशेष कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी है।

- 31 मार्च 2008 तक भा सं नि लि की क्रमशः 5000 करोड़ रू. की क्रमशः इक्विटी शेयर पूंजी तथा 7500 करोड़ रू. की वरीयता शेयर पूंजी थी।

- मार्च 2008 के अन्त में, भा सं नि लि का 539.51 लाख लाइनों की सज्जित क्षमता के साथ 38,158 दूरभाष एक्सचेंजों का नेटवर्क था। इस सज्जित क्षमता में से 361.20 लाख दूरभाष संयोजन, (अर्थात् 67 प्रतिशत) दिये जा चुके थे, यद्यपि प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या 4.45 लाख थी। ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों की संख्या 31 मार्च 2007 को 5.53 लाख से कम होकर 31 मार्च 2008 को 5.20 लाख हो गई।

- 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए, भा सं नि लि ने अपनी सेवाओं से 32,359.53 करोड़ रू. कमाए। शुद्ध लाभ 3,009.39 करोड़ रू. था।

- मार्च 2008 की समाप्ति पर विभिन्न श्रेणियों के दूरभाष अभिदाताओं के प्रति 5151.63 करोड़ रू. की राशि बकाया थी। कुल बकाया राशि में से 81.20 प्रतिशत निजि अभिदाताओं के प्रति बकाया थी। जो कि यह 2007–08 में लगभग 1 प्रतिशत कम हो गयी थी।

- डब्ल्यू एल एल सहित प्रति हजार दूरभाष संयोजनों पर कर्मचारियों की संख्या 2003–04 में 8.30 से घटकर 2007–08 में 4.26 हो गई।

***(पैराग्राफ 1)***

## अध्याय II

## नमूना लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित भा सं नि लि से सम्बंधित राजस्व पैराग्राफ

यह अध्याय नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित राजस्व पैराग्राफ पर है, जिसमें 355.66 करोड़ रू. की हानि/गैर वसूली/बिल न बनाना/कम बिल बनाना शामिल हैं। भा सं नि लि ने लेखापरीक्षा के इंगित करने पर 1.37 करोड़ रू. वसूल किये है।

उपर्युक्त पहलुओं के कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार थे:

### पटना में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की खराब कॉल क्षमता

पटना में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज 42 से 50 प्रतिशत के निर्धारित बेंचमार्क के प्रति पूर्ण काल अनुपात की रेंज मात्र 11 से 18 प्रतिशत ही रख सके। इससे 2005–08 की अवधि के दौरान 285 करोड़ रू. के राजस्व की हानि के अतिरिक्त सेवा की खराब गुणता का पता चला जो कि अत्यधिक मिस्ड कॉल के कारण था।

***(पैराग्राफ 2.1)***

### सबसिडी की हानि

गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत 31 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों की ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों और ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों को दोष रहित/कार्यात्मक बनाये रखने में विफल रहे इससे जून 2002 से मार्च 2008 की अवधि के लिए 32.65 करोड़ रू. की सबसिडी की हानि हुई।

***(पैराग्राफ 2.2)***

### देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं का जारी रहना

उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), बिहार, झारखंड तथा महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत 21 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों में देयों के गैर भुगतान के लिये अभिदाता तथा एस टी डी पी सी ओ आपरेटरों के दूरभाष संयोजनों को निर्धारित तिथि में काटने में विफलता रही जिसके परिणामस्वरूप 14.08 करोड़ रू. के राजस्व की गैर वसूली हुई।

***(पैराग्राफ 2.3)***

### संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बिल न बनाना

झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत छब्बीस सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र तथा चेन्नई दूरसंचार जिला अभियांत्रिकी तथा दूरभाष राजस्व लेखा (दू रा ले) यूनिट के कार्यकलापों को समन्वित करने में विफल रहे परिणामस्वरूप दू रा ले यूनिट द्वारा संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति हुई और दी गई दूरसंचार सुविधाओं के लिये बिल जारी करने में विफलता रही। इसके परिणामस्वरूप, फरवरी 2000 से मार्च 2008 की अवधि के लिये 5.64 करोड़ रू. के बिल नहीं बनाये गये।

***(पैराग्राफ 2.4)***

### किराये के कम बिल बनाना

बिहार,, झारखंड तथा राजस्थान दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र दूरभाष एक्सचेंज की बढ़ी हुई क्षमता के अनुरूप उच्चतर दरों पर किराये के बिल जारी करने में विफल रहे परिणामस्वरूप मई 2002 से जून 2007 की अवधि के बीच 3.92 करोड़ रू. के कम बिल बनाये गये।

***(पैराग्राफ 2.5)***

### अवसंरचना प्रभारों के बिल न बनाना

झारखंड और, महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत आठ सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र निजी सेवा प्रदाताओं को प्रदान की गई सुविधाओं के लिये अवसंरचना भागीदारी प्रभारों को वसूलने की विफलता के परिणामस्वरूप दिसम्बर 1996 से मार्च 2008 की अवधि के लिये 3.30 करोड़ रू. की गैर वसूली हुई।

***(पैराग्राफ 2.6)***

## अध्याय III

## नमूना लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित भा सं नि लि से सम्बंधित व्यय पैराग्राफ

यह अध्याय नमूना लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित व्यय पैराग्राफ पर है जिसमें अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबधन, अनियमित/व्यर्थ व्यय तथा कुल 1164.38 करोड़ रू. का अधिक भुगतान दर्शाता है।

उपर्युक्त पहलुओं के कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार थे:

### अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन

भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय विविध बैंकों के साथ कम अवधि की जमा पर 6.19 से 7.38 प्रतिशत वार्षिक औसतन रिटर्न दर से पर्याप्त रोकड़ सुरक्षित रखने के बावजूद भी 7500 करोड़ रू. का सरकारी ऋण जो कि वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में भुगतान योग्य 14.50 प्रतिशत ब्याज की दर के प्रति था, मुक्त करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप अमुक्त सरकारी ऋण पर ब्याज की भिन्नता के कारण 1089 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

***(पैराग्राफ 3.1)***

### उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन का अतिरिक्त अनियमित भुगतान

भा सं नि लि ने सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा दूरसंचार विभाग के अनुदेशों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों के उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 12,500 रू. से बढ़ाकर 25,000 रू. कर दी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 के लिये कम्पनी के कर्मचारियों को 19.78 करोड़ रू. का उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन का अनियमित अतिरिक्त भुगतान हुआ।

***(पैराग्राफ 3.2)***

**स्पैक्ट्रम प्रभारों का परिहार्य भुगतान**

केरल दूरसंचार परिमंडल अपनी मोबाइल सेवाओं के समायोजित सकल राजस्व के परिकलन के लिये भा सं नि लि की बेसिक सेवाओं से और बेसिक सेवाओं के लिये अंतःसम्बद्ध यूसेज प्रभारों के राजस्व तथा व्यय का हिसाब करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 12.44 करोड़ रू. के स्पैक्ट्रम प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

***(पैराग्राफ 3.3)***

**सेवा कर का अधिक भुगतान**

केरल दूरसंचार परिमंडल में नौ सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2005–07 के दौरान उचित मानीटरिंग/नियंत्रण कार्यपद्धति स्थापित करने तथा सैनवट क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 8.67 करोड़ रू. के सेवा कर का अधिक भुगतान हुआ।

***(पैराग्राफ 3.4)***

**डब्ल्यू एल एल उपकरणों की गैर वसूली के कारण हानि**

आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत 32 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र स्वेच्छा से बंद संयोजनों/काटे गये संयोजन अथवा देयों के गैर भुगतान के कारण स्थायी रूप से बंद संयोजनों से वायरलैस टर्मिनल उपकरण वसूलने में विफल रहे परिणामस्वरूप 2002–08 की अवधि के लिये 7.11 करोड़ रू. की हानि हुई।

***(पैराग्राफ 3.5)***

**सैनवट क्रेडिट की गैर प्राप्ति के कारण हानि**

आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल, परिमंडल दूरसंचार भंडार डिपो सिंकदराबाद को डीलर डिपो के रूप में पंजीकृत करने में विफल रहे ताकि बीजक अलग जारी करने में इसे समर्थ किया जा सके इसमें उत्पाद अधिकारियों को स्वीकार्य भंडार मूल्य तथा उत्पाद शुल्क का अंश लक्षित हो। इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार फैक्टरी से अधिप्राप्त भंडारों के लिये सैनवट क्रेडिट की गैर प्राप्ति हुई और इससे 5.91 करोड़ रू. की हानि हुई।

***(पैराग्राफ 3.6)***

**डिजीटल लूप कैरियर प्रणालियों का उपयोग न होना/कम उपयोग होना**

राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत चार सै स्वी क्षे द्वारा डिजीटल लूप कैरियर प्रणाली की अधिप्राप्ति आवश्यकता के बिना की परिणामस्वरूप 4.91 करोड़ रू. मूल्य के डि लू कै का उपयोग नहीं हुआ/कम उपयोग हुआ।

***(पैराग्राफ 3.7)***

**भाड़े पर कार्मिक लेने से अनियमित अतिरिक्त व्यय**

मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के चार सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों में अवसंरचना अनुरक्षण तथा रखरखाव सेवाओं के लिये संस्वीकृत संख्या से अधिक कार्मिक भाड़े पर लिये परिणामस्वरूप वर्ष 2003–2008 के दौरान 3.70 करोड़ रू. का अनियमित अतिरिक्त व्यय हुआ।

***(पैराग्राफ 3.8)***

# महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

## अध्याय IV

## प्रस्तावना, संगठनात्मक ढांचा, निवेश एवं अर्जन, भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन, राजस्व बकाया, जनशक्ति एवं उत्पादकता

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (कम्पनी) को फरवरी 1986 में निगमित किया गया तथा इसने परिचालनों का आरम्भ, पूर्ववर्ती संघ क्षेत्र दिल्ली एवं मुम्बई के तीन नगरपालिका निगमों के प्रबन्धन, प्रचालनों एवं दूरभाष नेटवर्क के नियंत्रण (सार्वजनिक टेलीग्राफ सेवाओं को छोड़कर), को अपने हाथ में लेकर किया। अध्याय में उल्लिखित पहलू इस प्रकार हैं:

- 31 मार्च 2008 को 800 करोड़ रू. की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी के प्रति प्रदत्त पूंजी 630 करोड़ रू. थी, जिसमें से 354.37 करोड़ रू. भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2008 के अन्त तक निवेशित किये गये थे। उक्त निवेश पर प्रतिफल का निगम द्वारा लाभांश के रूप में 40 प्रतिशत का भुगतान किया था।

- मांग में कमी के कारण दूरभाष एक्सचेंजों की समग्र क्षमता उपयोगिता 2003–04 में 73 प्रतिशत से घटकर 2007–08 में 59 प्रतिशत हो गई।

- 2003–04 में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष संयोजनों की संख्या 3.60 लाख से बढ़कर 2007–2008 में 32.42 लाख हो गई। सार्वजनिक दूरभाषों की संख्या 2004–05 में 2.79 लाख से घटकर 2007–08 में 2.39 लाख हो गई।

- 2007–08 के दौरान कम्पनी ने अपनी सेवाओं से 4722.52 करोड़ रू. अर्जित किए। कर पूर्व लाभ 811.72 करोड़ रू. था तथा कर प्रावधान करने के बाद, शुद्ध लाभ 586.89 करोड़ रू. था। कर उपरान्त लाभ 14 प्रतिशत कम हो गया था, यह पिछले वर्ष की तुलना में सेवाओं से आय में 4 प्रतिशत तक की कमी के कारण था। यद्यपि व्यय भी पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में 2 प्रतिशत कम हो गया था।

- 2007–08 तक तीन वर्षों के दौरान राजस्व बकाया कुल राजस्व का 29 प्रतिशत स्थिर रहा। कुल राजस्व बकाया में संदिग्ध राजस्व बकाया की प्रतिशतता वर्ष 2004–2005 में 11 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2007–08 के लिये बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई थी।

- प्रति हजार दूरभाष संयोजनों (सैल्यूलर मोबाइल संयोजनों को सम्मिलित करते हुये) पर कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2003–2004 में 11.53 से घटकर 2007–08 में 6.57 हो गई।

*(पैराग्राफ 4)*

## अध्याय V

## नमूना लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित म टे नि लि से संबंधित राजस्व तथा व्यय पैराग्राफ

इस अध्याय में नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित राजस्व तथा व्यय पैराग्राफ समाहित हैं जिसमें 27.43 करोड़ रू. का वित्तीय निहितार्थ।

कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण निम्नलिखित थे:

### होस्टल भवन के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश

मुंबई नगरपालिका निगम द्वारा अनुबद्ध शर्तों का पालन करने तथा इससे अपेक्षित अधिग्रहण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप म टे नि लि मुम्बई द्वारा पांच से अधिक वर्षों के लिये होस्टल भवन की आठ ऊपरी मंजिलों का अधिग्रहण नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप 16.24 करोड़ रू. का निष्क्रिय निवेश हुआ।

***(पैराग्राफ 5.1)***

### बिल डाक सेवा का लाभ न उठाने के कारण अतिरिक्त व्यय

म टे नि लि मुम्बई डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पहले से सस्ती बिल डाक सेवा का लाभ उठाने में विफल रहा और साधारण डाक के माध्यम से उच्चतर दरों पर दूरभाष बिल प्रेषित किये। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान 6.10 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

***(पैराग्राफ 5.2)***

### प्रतिभूति जमा का अधिक भुगतान

म टे नि लि मुम्बई वृहनमुम्बई बिजली आपूर्ति तथा परिवहन उपक्रम के साथ अधिक भुगतान किये गये प्रतिभूति जमा की प्रतिपूर्ति का दावा करने में विफल रहा परिणामस्वरूप 2.98 करोड़ रू. का अवरोधन हुआ तथा बेस्ट द्वारा अनुमत ब्याज तथा दिसम्बर 2007 को बैंक के साथ जमा पर कम्पनी द्वारा अर्जित ब्याज के मध्य अन्तर होने के कारण 20.43 लाख रू. के ब्याज की हानि हुई।

***(पैराग्राफ 5.3)***

# आई टी आई लिमिटेड

## अध्याय VI

## प्रस्तावना, संगठनात्मक ढांचा, निवेश तथा अर्जन, भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन, राजस्व बकाया, जनशक्ति तथा उत्पादकता

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर को जनवरी 1950 में एक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था और जनवरी 1994 में आई टी आई लिमिटेड (कम्पनी) नया नाम दिया गया। कम्पनी की उत्पादन इकाइयां बंगलोर, पालक्काड़, नैनी, रायबरेली, मनकापुर तथा श्रीनगर में स्थित हैं जहां विभिन्न श्रेणी के दूरसंचार उत्पाद जैसे स्वीचिंग उपस्कर, संचरण उपस्कर, उपग्रह

संचार उपस्कर, आप्टीकल उपस्कर व दूरभाष उपकरण विनिर्मित किये जाते हैं। अध्याय में निर्दिष्ट किये गये पहलू निम्नलिखित हैः

- 31 मार्च 2008 को 700 करोड़ रू. के प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी के प्रति प्रदत्त पूंजी 588 करोड़ रू. थी (इक्विटी पूंजीः 288 करोड़ रू. तथा क्यूमूलेटिव रिडिमेबल प्रेफरेन्स शेयरः 300 करोड़ रू.)। भारत सरकार ने इसमें से 267.47 करोड़ रू. निवेश किये थे।
- चूंकि कम्पनी 2002–03 से हानि उठा रही थी, वर्ष 2002–03 से 2007–08 के लिये लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था।
- स्वीचिंग उत्पाद के सम्बंध में (सी–डॉट एक्सचेंज के सिवाय) प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग 2004–05 के दौरान 47 प्रतिशत से कम होकर 2007–08 के दौरान 21 प्रतिशत हो गई।
- खराब बिक्री निष्पादन तथा अधिक व्यय के कारण कम्पनी को वर्ष 2003–04 के दौरान 705.83 करोड़ रू. की हानि हुई। वर्ष 2004–05 के दौरान हानि कम होकर 309.82 करोड़ रू. हो गई जो कि मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान सहायता की प्राप्ति के कारण थी। बिक्री की लागत में वृद्धि के कारण हानि 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान क्रमशः 427.55 करोड़ रू. तथा 404.70 करोड़ रू. थी। वर्ष 2007–08 के दौरान हानि में कमी 357.23 करोड़ रू. की थी जो कि भारत सरकार से अनुदान सहायता की प्राप्ति के कारण थी।
- 2003–04 से 2006–07 के दौरान देनदारों की प्रतिशतता लगभग बिक्री आंकड़ो के बराबर थी लेकिन 2007–08 के दौरान 1.5 गुणा बढ़ गई।

***(पैराग्राफ 6)***

# टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड

## अध्याय VII

### प्रस्तावना, संगठनात्मक ढांचा, निवेश तथा अर्जन, वित्तीय निष्पादन व जनशक्ति

1978 में, टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार व आधुनिकीकरण के क्षेत्र में जानकारी देने हेतु एक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था। कम्पनी ने परामर्श सेवाओं तथा टर्नकी परियोजनाओं का उत्तरदायित्व न केवल भारत में अपितु विश्वस्तर पर भी लिया था।

- 31 मार्च 2008 को प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 30 करोड़ रू. के प्रति प्रदत्त पूंजी 28.80 करोड़ रू. थी, जिसका भारत सरकार ने पूरी तरह निवेश किया था। वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी में 28.50 करोड़ रू. मूल्य के बोनस शेयर शामिल है इसमें एक 2:1 तथा पांच 1:1 बोनस निर्गम हैं। टे क इं लि ने 1978–83 के दौरान 30 लाख रू. की प्रारम्भिक पूंजी, जिसे सरकार ने निवेश किया था, से व्यापार आरम्भ किया था।
- 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिये, परियोजनाओं से कुल आय 386.34 करोड़ रू. थी। कर से पहले लाभ 3.51 करोड़ रू. था और कर का प्रावधान करने के बाद, कर के बाद निवल लाभ जोकि 2.12 करोड़ रू. था।

***(पैराग्राफ 7)***

# इंटेलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टमस् इंडिया लिमिटेड

## अध्याय VIII

### प्रस्तावना, संगठनात्मक ढांचा, निवेश तथा अर्जन, वित्तीय निष्पादन तथा जनशक्ति

इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन्स सिस्टमस् इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) टी सी आई एल का एक संयुक्त उद्यम व दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (दि रा औ अ वि नि) अप्रैल 1987 में स्थापित किया गया था जो कि संचार प्रणालियों पर आधारित कम्प्यूटर एवं उपस्कर के विनिर्माण के लिये था। यह कम्प्यूटर तथा संचार प्रणालियों के लिए भारत तथा विदेश में अभियांत्रिकी, तकनीकी तथा प्रबन्धन परामर्श सेवायें भी देती है।

- 31 मार्च 2008 को कम्पनी की प्राधिकृत तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी 1.00 करोड़ रू. थी।
- 31 मार्च 2008 की समाप्ति पर, कुल अर्जित आय 6.65 करोड़ रू. थी। वर्ष 2007–08 के लिये कर से पहले और कर देने के बाद लाभ क्रमशः 49.14 लाख रू. तथा 41.70 लाख रू. था।

*(पैराग्राफ 8)*

# मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड

## अध्याय IX

### प्रस्तावना, संगठनात्मक ढांचा, निवेश, वित्तीय निष्पादन तथा जनशक्ति

फरवरी 2000 में कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (कम्पनी) को पूरी तरह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) के स्वयं नियंत्रित सहायक के रूप में पूरे देश में इंटरनेट सेवायें उपलब्ध कराने के लिए निगमित किया गया था।

- 100 करोड़ रू. की प्राधिकृत इक्विटी पूंजी के प्रति प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 2008 तक 2.88 करोड़ रू. थी जिसे म टे नि लि द्वारा पूरी तरह अभिदत्त किया था।
- कम्पनी ने वर्ष 2007–08 के दौरान कर से पहले लघु निवल लाभ 36 लाख रूपये रिकार्ड किया।

*(पैराग्राफ 9)*

# भारत संचार निगम लिमिटेड

## अध्याय I
## संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन

### 1.1 प्रस्तावना

नई दूरसंचार नीति 1999 के अनुसरण में भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग (दू वि) के सेवा प्रावधान कार्यों को निगमित करना तय किया। तदनुसार, 15 सितम्बर 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड (कम्पनी) को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नई दिल्ली स्थित पंजीकृत एवं निगम कार्यालय सहित पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले केन्द्रीय सरकार उपक्रम के रूप में निगमित किया गया। देश में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने का व्यवसाय जोकि दूरसंचार सेवा विभाग (दू से वि) तथा दूरसंचार प्रचालन विभाग (दू प्र वि) के ज़िम्मे था, नवनिर्मित कम्पनी, को 1 अक्तूबर 2000 से स्थानान्तरित किया गया। तथापि, नीति बनाना, लाइसेंस व्यवस्था, वायरलैस स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा क्षे उ) का प्रशासनिक नियन्त्रण, उपस्कर का मानकीकरण तथा मान्यकरण तथा शोध व विकास (शो व वि) के काम को सरकार ने अपने अधीन दूरसंचार विभाग (दू वि) तथा दूरसंचार आयोग के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत रखा।

कम्पनी, समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गये अन्य निर्देशों व भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई लाइसेंस के निबन्धनों व शर्तों के अनुसार देश में सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, रखरखाव व कार्यचालन के संबंध में कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को निभा रही है।

### 1.2 संगठनात्मक ढांचा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक (अ प्र नि) की अध्यक्षता में प्रशासनिक तथा सभी कार्यात्मक नियंत्रण निदेशक बोर्ड में निहित है। जिसकी सहायता पांच कार्यात्मक निदेशकों (वित्त, वाणिज्यिक तथा विपणन, प्रचालन, मानव संसाधन विकास एवं आयोजना तथा नई सेवाएं) द्वारा की जाती है।

कम्पनी 24 दूरसंचार क्षेत्रीय परिमंडलों में संगठित की गई है तथा 19 गैर क्षेत्रीय परिमंडलों ने चेन्नई व कोलकाता दो मेट्रो दूरसंचार जिला के अतिरिक्त सारे देश को कवर किया है। तथापि, यह मेट्रोपोलिटन शहर मुम्बई, दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्र जो कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा कवर किये जाते हैं, को कवर नहीं करती है। क्षेत्रीय परिमंडलों को सैकेण्ड्री क्षेत्रों (सै स्वी क्षे), जो कि कम्पनी की आधारभूत प्रबन्धन यूनिट हैं, में विभक्त किया जाता है। गैर क्षेत्रीय परिमंडल जैसे दूरसंचार भंडार, दूरसंचार फैक्टरी, गुणता आश्वासन, प्रशिक्षण, परियोजना व अनुरक्षण विशेष रूप से बताये गये कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी है।

## 1.3 निवेश व अर्जन

31 मार्च 2008 तक 10,000 करोड़ रू. की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी तथा 7,500 करोड़ रू. की 9 प्रतिशत वरीयता शेयर पूंजी के विरूद्ध प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी तथा वरीयता शेयर पूंजी क्रमशः 5,000 करोड़ रू. तथा 7,500 करोड़ रू. थी।

सभी परिसम्पत्तियों, देयताओं तथा अन्य संविदागत दायित्वों सहित 1 अक्तूबर 2000 से पूर्ववर्ती दू प्र वि तथा दू से वि के कारोबार को ग्रहण करने के बदले में कम्पनी की कुल 5,000 करोड़ रू. की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी तथा 7,500 करोड़ रू. की वरीयता शेयर पूंजी को भारत सरकार द्वारा निवेश माना गया। इसके अतिरिक्त, 7,500 करोड़ रू. की अन्य राशि को भारत सरकार से कम्पनी को ऋण के रूप में माना गया। इस ऋण ने 31 मार्च 2005 तक मूलधन तथा ब्याज को लौटाने के लिये अधिस्थगन आदेश का पालन किया तथा अप्रैल 2005 से 14.5% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज का पालन किया। 31 मार्च 2008 को ऋण की मूलधन राशि 'शून्य' थी और उपचित ब्याज तथा देय 2668.30 करोड़ रू. था क्योंकि कम्पनी ने वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 में क्रमशः 2000 करोड़ रू., 2500 करोड़ रू. तथा 3000 करोड़ रू. का पुनः भुगतान किया था। तथापि, दूरसंचार विभाग (दू वि) के अनुसार, 2800 करोड़ रू. तक मूलधन बकाया था चूंकि दू वि द्वारा विवादित ब्याज राशि समायोजित कर ली गई थी, जिसके लिये कम्पनी ने इसे सारे बकाया ऋण का पुनः भुगतान कर दिया था।

कम्पनी को 31 मार्च 2004 तक 9 प्रतिशत वरीयता शेयर पूंजी पर तथा 31 मार्च 2002 तक इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश के भुगतान से छूट दी गई थी और वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 में शेयर पूंजी पर देय लाभांश पर क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त है। तथापि, 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी ने 1200 करोड़ रू. का लाभांश (इक्विटी शेयर पूंजी पर 525 करोड़ रू. और वरीयता शेयर पूंजी 675 करोड़ रूपये) का प्रस्ताव किया तथा इक्विटी शेयर पूंजी पर 300 करोड़ रू. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

कम्पनी ने भी ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष (ग्रा सा दू) तथा देहाती घरेलू संयोजन के प्रावधान प्रचालन व अनुरक्षण के लिये प्रतिपूर्ति में विश्व सेवा आभार निधि से 31 मार्च 2007 तथा 2008 को समाप्त होने वाले वर्षो के लिये क्रमशः 1,719.15 करोड़ रू. तथा 467.21 करोड़ रू. प्राप्त किये/लेखों में लिये।

## 1.4 भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन

### 1.4.1 भौतिक निष्पादन

31 मार्च 2008 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त तक कम्पनी का भौतिक निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:

| दूरभाष नेटवर्क | 31 मार्च 2004 को | 31 मार्च 2005 को | 31 मार्च 2006 को | 31 मार्च 2007 को | 31 मार्च 2008 को |
|---|---|---|---|---|---|
| ❖ दूरभाष एक्सचेंजों की संख्या | 36618 | 37040 | 37382 | 37808 | 38158 |
| ❖ सीधी एक्सचेंज लाइनों (सी एक्स ला) की कुल सज्जित क्षमता, डब्ल्यू एल एल को सम्मिलित करते हुए (लाख में) | 485.60 | 498.20 | 513.93 | 526.75 | 539.51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ❖ दूरभाष संयोजनों (सी एक्स ला) की संख्या डब्ल्यू एल एल को सम्मिलित करते हुए (लाख में) | 363.94 (75%) | 374.88 (75%) | 379.95 (74%) | 372.95 (71%) | 361.2 (67%) |
| ❖ प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या (लाख में) | 17.55 | 16.20 | 12.10 | 8.97 | 4.45 |
| ❖ सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष संयोजनों की संख्या (लाख में) | 52.54 | 94.47 | 171.64 | 274.29 | 362 |
| ❖ ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष की संख्या (लाख में) | 5.10 | 5.19 | 5.35 | 5.53 | 5.2 |

* कोष्ठक में आंकड़े क्षमता उपयोग के प्रतिशत को दर्शाते है

- तालिका से पता चलता है कि सीधी एक्सचेंज लाइनों (सी एक्स ला) की सज्जित क्षमता में बढ़ोतरी के बावजूद दूरभाष एक्सचेंज की समग्र क्षमता उपयोगिता 2003–04 में 75 प्रतिशत से 2007–08 में 67 प्रतिशत तक गिर गई।

- सज्जित क्षमता की उपलब्धता के बावजूद, 2003–04 से 2007–08 के प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यक्ति अभी भी प्रतीक्षा सूची में थे; यद्यपि संख्या में धीरे–2 कमी हो गई थी; प्रतीक्षा सूची के कारण थे, बड़ी मात्रा में 'तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं' क्षेत्रों' का होना, वर्षांत में सज्जित क्षमता में वृद्धि होना जिससे अनुगामी वर्षों आदि में संयोजन को लगाया जाना।

- सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष संयोजनों की संख्या 2003–04 में 52.54 लाख से बढ़कर 2007–08 में 362 लाख हो गई।

- ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों की संख्या 2006–07 में 5.53 लाख से आंशिक रूप से गिरकर 2007–08 में 5.20 लाख हो गई।

### 1.4.2 वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2008 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार थे:

**(करोड़ रू. में)**

| विवरण | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेवा से आय | 31399.34 | 33450.04 | 36138.94 | 34616.21 | 32359.53 |
| अन्य आय | 2519.25 | 2640.05 | 4037.64 | 5098.90 | 5693.87 |
| व्यय (ब्याज तथा पूर्व अवधि समायोजन को छोड़कर) | 27075.29 | 29372.24 | 30817.26 | 30686.25 | 32773.89 |
| ब्याज | 88.24 | 29.29 | 1089.80 | 779.41 | 862.54 |
| कर पूर्व लाभ तथा पूर्व अवधि समायोजन | 6755.07 | 6688.56 | 8269.52 | 8249.45 | 4416.97 |
| पूर्व अवधि समायोजन | (58.90) | (534.38) | (405.50) | (95.64) | 34.58 |
| कर पूर्व लाभ तथा आय की विशेष मदें | 6696.17 | 6154.18 | 7864.02 | 8153.81 | 4451.55 |
| आय की विशेष मदें (ग्रामीण दूरभाष प्रचालन से हुई हानि की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति) | 2300.00 | 1765.90 | 582.96 | -- | -- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कर पूर्व लाभ | 8996.17 | 7920.08 | 8446.99 | 8153.81 | 4451.55 |
| कर प्रावधान | 3019.64 | (2263.21) | (492.71) | 347.94 | 1442.16 |
| कर उपरान्त लाभ | 5976.53 | 10183.29 | 8939.69 | 7805.87 | 3009.39 |
| प्रस्तावित / प्रदत्त लाभांश (कर सहित) | 318.01 | 1337.88 | 1339.79 | 1359.84 | 1754.93 |

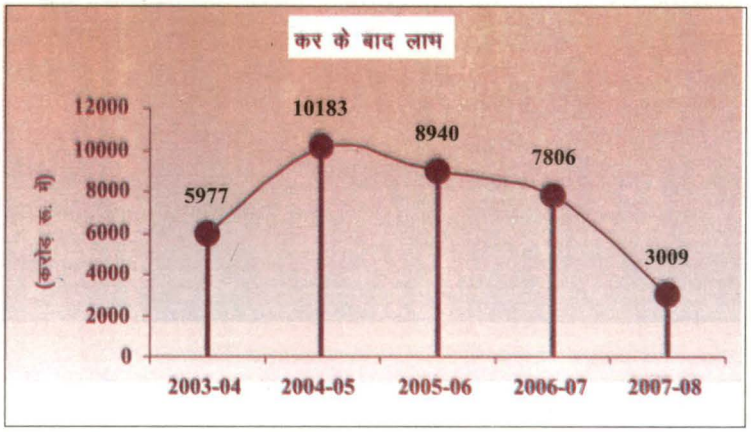


यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष में कर उपरांत लाभ में काफी कमी हुई (61.45 प्रतिशत) जिसका मुख्य कारण सेवाओं से आय में कमी और व्यय में बढ़ोत्तरी है।

## 1.5 राजस्व बकाया

**1.5.1** मार्च 2008 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राजस्व बकाया की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

**(करोड़ रू. में)**

| क्रम संख्या | विवरण | **2005-06** | **2006-07** | **2007-08** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **राजस्व आय** | 36138.94 | 34616.21 | 32359.53 |
| 2. | विविध देनदार<br>(क) छः माह से अधिक<br><br>(ख) छः माह तक<br>कुल योग (क)+(ख) | <br>4887.41<br>(71%)<br>2001.97<br>**6889.38** | <br>5898.89<br>(80%)<br>1477.53<br>**7376.42** | <br>6216.38<br>(83%)<br>1286.19<br>**7502.57** |
| 3. | राजस्व बकाया | **6889.38** | **7376.42** | **7502.57** |
| 4. | राजस्व आय से राजस्व बकाया की प्रतिशतता | **19** | **21** | **23** |
| 5. | राजस्व बकाया जिसे संदिग्ध वसूली समझा गया | **3301.09** | **4134.31** | **4226.22** |
| 6. | कुल राजस्व बकाया का संदिग्ध बकया राजस्व की प्रतिशतता | **48** | **56** | **56** |

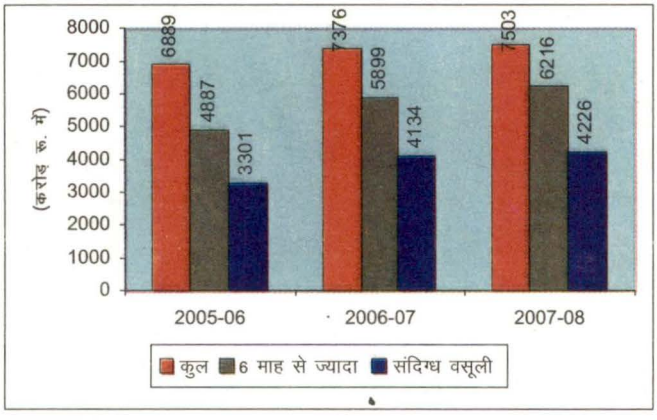


यह देखा जा सकता है कि राजस्व आय से राजस्व बकाया का प्रतिशत जो कि वर्ष 2006–07 के लिए 21 प्रतिशत था 2007–08 में बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया यद्यपि कुल राजस्व बकाया से संदिग्ध राजस्व बकाया वर्ष 2006–07 एवं 2007–08

में 56 प्रतिशत स्थिर रहा।

### 1.5.2 दूरभाष राजस्व देयक

वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के विरूद्ध बकाया दूरभाष देयों का श्रेणी वार ब्यौरा नीचे की तालिका में दर्शाया गया:

(करोड़ रू. में)

| वर्ष | केन्द्रीय सरकार | | राज्य सरकार | | निजी अभिदाता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | कुल बकाया की प्रतिशतता | राशि | कुल बकाया की प्रतिशतता | राशि | कुल बकाया की प्रतिशतता |
| 2005-06 | 697.65 | 14.32 | 179.55 | 3.68 | 3995.29 | 82 |
| 2006-07 | 749.44 | 14.57 | 171.40 | 3.33 | 4224.47 | 82.10 |
| 2007-08 | 809.36 | 15.71 | 159.30 | 3.09 | 4182.97 | 81.20 |

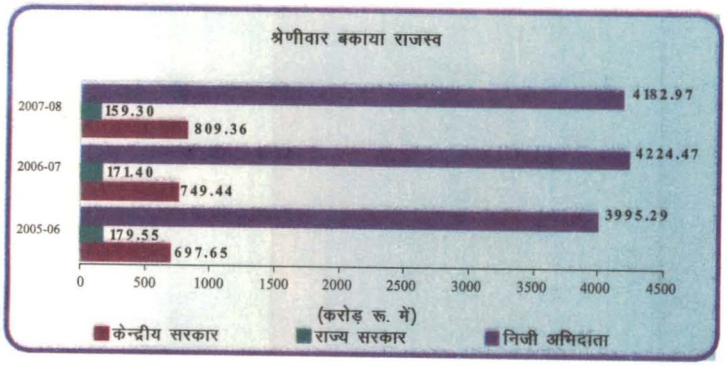


मार्च 2008 के अन्त तक विभिन्न दूरभाष अभिदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के विरूद्ध 5151.63 करोड़ रू. की राशि बकाया थी। 2007–08 में कुल बकाया राशि में से निजी अभिदाताओं के विरूद्ध 81.20 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकारी विभागों के विरूद्ध 15.71 प्रतिशत तथा विभिन्न राज्य सरकारों के विरूद्ध 3.09 प्रतिशत राशि बकाया थी। निजी अभिदाताओं के विरूद्ध बकाया बिलों की राशि 2007–08 में लगभग 1 प्रतिशत कम हो गई थी तथापि निजी अभिदाताओं से भारी बकाया राशि को वसूल करने के लिए भा सं नि लि को संगठित प्रयास करना चाहिए।

## 1.6 जनशक्ति

31 मार्च 2008 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के अन्त तक कम्पनी की कुल जनशक्ति नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

| वर्ष | समूह क | समूह ख | समूह ग | समूह घ | औद्योगिक श्रमिक | कुल जनशक्ति | दैनिक वेतन भोगी मजदूर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 7889 | 49158 | 238042 | 47090 | 3673 | **345822** | 3899 |
| 2004-05 | 6947 | 51242 | 230556 | 47525 | 3583 | **339853** | 3867 |
| 2005-06 | 7600 | 54257 | 213054 | 48319 | 3718 | **326948** | 3648 |
| 2006-07 | 7533 | 52109 | 211822 | 45259 | 3783 | **320506** | 3423 |
| 2007-08 | 7564 | 50843 | 202481 | 44206 | 2992 | **308086** | 3096 |

पिछले वर्षों की तुलना में 2007–08 के दौरान, समूह 'क' का छोड़कर, जिनमे 0.41 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई, जनशक्ति में समग्र कमी हुई।

## 1.7 उत्पादकता

वर्ष 2003–04 के लिए कम्पनी की प्रति एक हजार दूरभाष संयोजन जिसमें डब्ल्यू एल एल तथा सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष संयोजन शामिल है, उत्पादकता (अर्थात् प्रति हजार दूरभाष संयोजन के अनुपात में कर्मचारी) 8.30 थी जो सुधरकर 2007–08 में 4.26 हो गई।

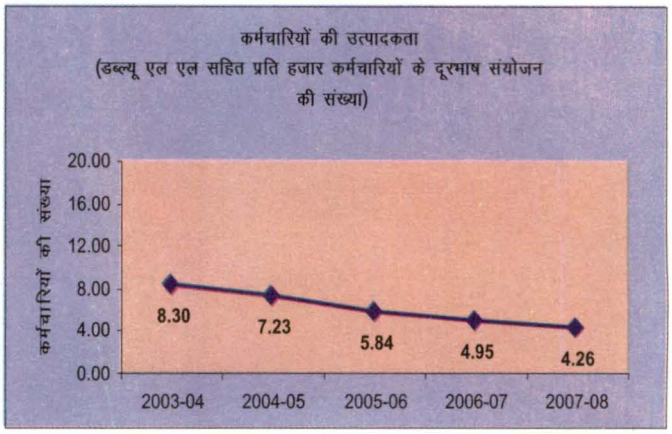

# अध्याय–II

# लेन देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष–राजस्व

## 2.1 पटना में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की खराब काल कार्यक्षमता

**पटना में स्तर–I ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों में निर्धारित 42 प्रतिशत के मुकाबले 11 से 18 प्रतिशत तक की पूर्ण काल अनुपात में कमी ने सेवाओं में क्षमता की कमी को दर्शाया, इसके अतिरिक्त 2005–08 अवधि के दौरान 285 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टी ए एक्स) प्रेषण संचार का मुख्य केन्द्र होता है क्योंकि देश और विदेश के अभिदाताओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपस में जोड़ने वाली सभी आने और जाने वाली कालें इसी के माध्यम से जाती है।

कम्पनी ने टी ए एक्स की कार्यक्षमता को जांचने हेतु महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन नियम[•] जैसे कि पूर्ण काल अनुपात (सी सी आर) निर्धारित किये हैं। सी सी आर प्रयत्न की गई कालों की संख्या पर पूर्ण की गई कालों का अनुपात है। कम्पनी ने टी ए एक्स में 42 से 50 प्रतिशत के बीच सी सी आर का निर्धारित नियम तय किया है।

महाप्रबंधक (रखरखाव), पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र (पू दू क्षे) पटना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (अक्तूबर 2007) ने दर्शाया कि 2005–08 की अवधि के दौरान पटना के तीन[•] स्तर–I टी ए एक्स में सी सी आर न्यूनतम औसत 42 प्रतिशत के मुकाबले 11 से 18 प्रतिशत रही, जो कि अनुमत सीमा से अधिक मिस्ड कालों और परिणामस्वरूप राजस्व हानि को दर्शाता है। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निम्न कारणों से सी सी आर कम रही।

- निगम कार्यालय ने नवम्बर 2004 में स्तर–I टी ए एक्स की कम कार्य निष्पादन के कारणों की जांच हेतु तकनीकी लेखापरीक्षा कराने के लिये निर्देश दिये। फिर भी लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि तकनीकी लेखापरीक्षा ने अपने निष्कर्षों को नवम्बर 2004 में सौंप दिया था परन्तु पू दू क्षे कोलकाता जनवरी 2006 तक कार्यवाही करने में असफल रहा।
- जनवरी 2006 में एक कार्यबल का गठन किया गया और उसने अपना प्रतिवेदन फरवरी 2007 में सौंप दिया जिसमें 13 मुख्य कार्यवाही करने योग्य बिन्दु थे जैसे कि गेटवे मोबाईल स्वीचिंग केन्द्र को चालू करना जहां निजी सेवा प्रदाताओं के अन्तः संयोजन बिन्दु (पी ओ आई) को स्तर–I टी ए एक्स से स्थानान्तरित करनाः पी ओ आई को चालू करना जो कि प्रारम्भिक चरण में था; और टी ए एक्स की सिंक्रोनाइजेशन। यद्यपि इन सभी को लागू करने के लिये कार्यवाही की गई परन्तु लेखापरीक्षा ने पाया कि सी सी आर में वांछित सुधार नहीं आया।

---

[•] कॉल प्रक्रिया दक्षता, सर्किट अभिग्रहण दक्षता, उत्तर अभिग्रहण अनुपात

[•] ओ सी बी टैक्स पटना (पटना–1), इ डब्ल्यू एस, डी टैक्स पाटलीपुत्र (पटना–2) और ए एक्स ई–10 टी ए एक्स राजेन्द्र नगर (पटना–3)

लेखापरीक्षा ने कार्यबल (टास्क फोर्स) प्रतिवेदन और उसके लागू होने पर हुई वृद्धि को जांचा और पाया कि कार्यवाही करने योग्य बिन्दु केवल सामान्य प्रकृति के वृहत स्तर तकनीकी मुद्दों को बताते हैं उनमें योजना को लागू करने के लिये विवरणों का अभाव था। इस प्रकार विभिन्न एजेन्सियों के असम्बद्ध प्रयत्नों ने कोई परिणाम नहीं दिया और सी आर आर कम रही। इस प्रकार कमियों को पहचानने और उसके बाद समन्वय की विफलता कार्य बल द्वारा पहचाने गये प्रत्येक कार्यवाही योग्य बिन्दु पर तय समय सीमा के तहत कार्यवाही करने की विफलता के परिणामस्वरूप 2004 से सी सी आर में सुधार नहीं हुआ और 2005–08 के दौरान मिस्ड कालों की अत्यधिक विस्तार के कारण अनुमानतः 285 करोड़ रू.• की राजस्व हानि हुई **(परिशिष्ट I)**।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर म प्र (एम) पू दू क्षे कोलकाता ने बताया कि हानि की गणना काल्पनिक थी क्योंकि यह माना गया था कि सभी मिस्ड कालों के कारण राजस्व हानि हुई थी। उन्होंने यह भी वर्णन किया कि बार–बार काल की कोशिश इसलिये भी असफल हो सकती थी क्योंकि जिस व्यक्ति को काल की जा रही हो, वह व्यस्त हो अथवा यह वापिसी काल की प्रार्थना हो। स्विच इन मिस्ड कालों को असफल रिकार्ड करते थे परन्तु कोई राजस्व हानि नहीं होती थी। आगे यह बताया गया कि बिहार में स्तर–I टी ए एक्स की कार्यकुशलता अंतिम संचार तंत्र जैसे कि स्तर–II टी ए एक्स भा सं नि लि को मोबाइल संचार तंत्र और निजी सेवा प्रदाताओं पर निर्भर करता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने केवल 42 प्रतिशत सी सी आर (शेष 58 प्रतिशत) को ध्यान में लिया था, इस प्रकार जिस व्यक्ति को काल की गई, के व्यस्त होने के कारण मिस्ड काल, लम्बित काल बैक प्रार्थना, संचार तन्त्र में अधिक संचय और एस डी सी ए तन्त्रों की क्षमता की कमियों को समावेश करने के लिये पर्याप्त अवसर रखे गये थे। यद्यपि स्तर–I टी ए एक्स का कार्य निष्पादन अन्य संचार तन्त्रो के कार्य निष्पादन पर निर्भर था, परन्तु यह कार्य बल द्वारा पहचान लिये गये थे। इन पहचाने गये क्षेत्रों पर उचित कार्यवाही करने की विफलता के परिणामस्वरूप सी सी आर निरन्तर कम बनी रही।

मामला मन्त्रालय को मई 2008 में भेजा गया था; उनका उत्तर अक्तूबर 2008 तक प्रतीक्षित था।

## 2.2 सबसिडी की हानि

**गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डलों के अन्तर्गत 31 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों की ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाईनों और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को दोष रहित/कार्यशील रखने की विफलता से जून 2002 से मार्च 2008 तक की अवधि में 32.65 करोड़ रू. की सबसिडी की हानि।**

सार्वभौमिक सेवा दायित्व जैसा कि नयी दूरसंचार नीति–1999 (एन टी पी–99) में दर्शाया गया था, का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को मिलाकर सभी को संगत और किफायती कीमत पर बुनियादी दूरभाष सेवाएं उपलब्ध कराना था। प्रशासक (सार्व से दा नि) द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सबसिडी के रूप में वित्तीय सहायता योग्य सार्वभौमिक सेवा प्रदाता (सार्व से प्रदा) को विशेष सेवाओं के लिये प्रदान की जानी थी जिनमें ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (ग्रा घ सी ए ला) का प्रावधान/रखरखाव, ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष के प्रचालन व रखरखाव और केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एम ए आर आर) प्रोद्यौगिकी का बदलाव शामिल था। ग्रामीण दूरभाष सेवाओं के लिये भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने एक सा से प्रदाता के रूप में प्रशासक सा से दा नि दूरसंचार विभाग (दू वि) के साथ समर्थन के लिये समझौता किया था।

---

• भा सं नि लि, होम नेटवर्क व अन्य आपरेटर नेटवर्क से उद्भूत टी ए एक्स में कॉल प्राप्त हुई थी। भा सं नि लि इस स्थिति में नहीं था कि वह होम नेटवर्क कॉल व अन्य आपरेटर नेटवर्क कॉल की विखंडित आंकड़े भेजें। अतः सभी कॉल होम नेटवर्क कॉल मानी गई थी और राजस्व की हानि की गणना 1.20 रू. प्रति कॉल की गई थी।

सा से क्षे नि द्वारा ग्रामीण दूरभाष सेवाओं के लिये दी गई सबसिडी में (i) एक फ्रंट लोडेड भाग जिसको भुगतान त्रैमास में किया जाना था जब जिन सेवाओं के लिये वह दिया गया है, स्थापित हो जाए या शुरू कर दी जाये (ii) एक इक्वेटिड वार्षिक सबसिडी भाग, जो कि सा से प्र द्वारा एस डी सी ए द्वारा किये गये दावों के विरूद्ध त्रैमास समाप्ति के 30 दिनों के अन्दर, या सम्बद्ध समझौतों की वैध अधिकतम अवधि के अन्दर, भुगतान किया जाना, शामिल था; हालांकि यदि कोई आर डी ई एल/वी पी टी एक त्रैमास में सात दिनों से अधिक त्रुटिपूर्ण या अकार्यशील रहती, तो देय सबसिडी को त्रुटिपूर्ण या अकार्यशील दिनों के समानुपात में घटा दिया जाना था। यदि त्रुटि एक त्रैमास में 45 दिनों या ज्यादा रहती, तो वी पी टी/आर डी ई एल को पूरे त्रैमास के लिये सबसिडी का भुगतान नहीं होना था। आगे आर डी ई एल द्वारा समझौते में वर्णित दायित्वों/लक्ष्यों की अप्राप्ति के प्रकरण मे प्रशासक कमियों के लिये लिक्विडेटिड नुकसानों को वसूलने का हकदार था जो कि आर डी ई एल को देय फ्रंट लोडेड सबसिडी का दस प्रतिशत होगी।

गुजरात दूरसंचार परिमंडल के 13 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों के सबसिडी दावों संबंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (जून 2007 और फरवरी 2008) ने दर्शाया कि एक्सचेंजों में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता और विस्तृत प्रतीक्षा सूची होने के बावजूद इन सै स्वी क्षेत्रों में, विशिष्ट एस डी सी ए में आर डी ई एल प्रदान नहीं की गई परिणामस्वरूप सबसिडी की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत 18 सै स्वी क्षेत्रों में वी पी टी एक त्रैमास में 7 से 45 दिनों से अधिक अकार्यशील रहे। इसके परिणामस्वरूप जून 2002 से मार्च 2008 तक की अवधि में 32.65 करोड़ रूपये की सबसिडी की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उपरोक्त सभी सै स्वी क्षेत्रों (दिसम्बर 2006 और फरवरी 2008 के मध्य) ने लेखापरीक्षा निरीक्षणों को स्वीकार किया। राजस्थान, उ.प्र. (पश्चिम), उ.प्र. (पूर्व) और मुम्बई दूरसंचार परिमण्डलों ने जवाब दिया कि त्रुटिहीन कार्यशील वी पी टी रखने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेगें। गुजरात दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत राजकोट, सूरत और गोधरा सै स्वी क्षेत्रों ने बताया कि उपकरणों/अन्य अवसंरचना की अनुपलब्धता के कारण आर डी ई एल को प्रदान नहीं किया जा सका।

परिमण्डलों/सै स्वी क्षेत्रों की क्रियात्मक और त्रुटिहीन ग्रामीण दूरभाष सेवाओं को प्रदान करने/रखने की विफलता के कारण जून 2002 से मार्च 2008 तक की अवधि में 32.65 करोड़ रूपये की सबसिडी की हानि हुई।

मामला अगस्त/सितम्बर 2008 को मंत्रालय भेज दिया गया था; उनका उत्तर अक्तूबर 2008 तक प्रतीक्षित था।

## 2.3 देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना

**पांच दूरसंचार परिमंडलों में इक्कीस सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र देयों के गैर भुगतान के लिये अभिदाताओं के दूरभाष संयोजन काटे जाने में विफल रहे परिणामस्वरूप 14.08 करोड़ रू. की गैर वसूली हुई।**

भा सं नि लि द्वारा बनाये गये नियमों में निर्धारित है कि बिलों के जारी होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर अभिदाताओं द्वारा दूरभाष बिलों को भुगतान करना है, अन्यथा बिल जारी होने की तारीख से 35 वे दिन के पहले दूरभाष काट दिये जाने योग्य हो जाता है। एस टी डी/पी सी ओ प्रकरण में बिल का भुगतान बिल की प्राप्ति की तारीख से चार कार्य दिवसों

के भीतर होना है, अन्यथा संयोजन काट दिये जाने योग्य हो जाता है। फरवरी तथा अक्तूबर 2003 में कम्पनी के निगम कार्यालय ने इन प्रावधानों को पुनः दुहराया।

उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), बिहार, झारखंड तथा महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत 21 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की संवीक्षा से पता चला कि देय तारीख के भीतर देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी, अभिदाताओं को संयोजन काटे बिना दूरभाष सेवायें जारी रखना अनुमत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 1993 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान अभिदाताओं से 14.08 करोड़ रू. के राजस्व की गैर वसूली हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–III** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय महाप्रबंधक दूरसंचार जिला नौएडा ने बताया कि 72.92 लाख रू. वसूल किये गये थे। बिहार तथा झारखंड दूरसंचार परिमंडलों के सै स्वी क्षे ने तथ्य तथा आंकड़े स्वीकार किये और मु म प्र दू बिहार दूरसंचार परिमंडल ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि 47.25 लाख रू. की वसूली कर ली गई थी। महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल के अंतर्गत कोल्हापुर तथा जालना सै स्वी क्षे ने क्रमशः 2.67 लाख रू. तथा 13.40 लाख रू. वसूल किये थे। सै स्वी क्षे द्वारा की गई कुल वसूली लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 14.08 करोड़ रू. के प्रति 2.28 करोड़ रू. थी। इससे निर्दिष्ट होता है कि देयों के गैर भुगतान में दूरभाष सेवाओं का समय पर काटे जाने के लिये पर्याप्त नियंत्रण की कमी है।

जून 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 2.4 संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बिल न बनाना

**झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत 26 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र तथा चैन्नई दूरसंचार जिला संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण दूरसंचार सुविधाओं के लिये बिल जारी करने में विफल रहे परिणामस्वरूप 5.64 करोड़ रू. की गैर वसूली हुई।**

दूरसंचार जिला की अभियांत्रिकी यूनिट दूरभाष राजस्व लेखा (दू रा ले) शाखा को दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने के सात दिनों के भीतर पूर्ण संज्ञापन पत्र भेजने हेतु अपेक्षित है ताकि अभिदाता अभिलेखा कार्ड (अ अ का) में विवरण दर्ज करने में दूरभाष राजस्व लेखा को समर्थ बनाया जा सके और अभिदाता को बिल जारी किये जा सके। दू रा ले शाखा को प्रतिवर्ष अप्रैल में प्रचालन शाखा से गैर निर्देशिका मदो की एक सूची भी प्राप्त करनी होती है तथा उसे अ अ का से उसकी जांच यह सुनिश्चित करने के लिये होती है कि सभी दूरसंचार सुविधाओं के संबंध में किराया वसूल कर लिया गया था।

जून 2006 से फरवरी 2008 के दौरान झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत 26 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र तथा चैन्नई दूरभाष जिला के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि फरवरी 2000 से मार्च 2008 की अवधि के लिये दू रा ले द्वारा संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण विभिन्न अभिदाताओं के संबंध में किराये के लिये बिल नहीं जारी किये गये थे परिणामस्वरूप 5.64 करोड़ रू. के बिल नहीं बनाये गये थे जैसा कि **परिशिष्ट IV** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, झारखंड तथा बिहार परिमंडलों द्वारा अनुपूरक बिल जारी किये गये थे और 2.72 करोड़ रू. की राशि वसूल की गई थी **(परिशिष्ट IV)**। अप्रैल 2008 को 2.92 करोड़ रू. की शेष राशि के वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

जून 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 2.5 किराये के कम बिल बनाना

**बिहार, झारखंड तथा राजस्थान दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र एक्सचेंज की बढ़ी हुई क्षमता के अनुरूप उच्चतर दरों पर किराये के बिल जारी करने में विफल रहे परिणामस्वरूप 3.92 करोड़ रू. के कम बिल बनाये गये।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) द्वारा स्वीकृत नियमों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिये एक एक्सचेंज/मल्टी एक्सचेंज/कम दूरी प्रभार्य क्षेत्र (क दू प्र क्षे) की कुल सज्जित क्षमता पर आधारित किराये की दर की व्यवस्था है। भा सं नि लि का कारपोरेट कार्यालय ने स्पष्ट किया कि (नवम्बर 2003) क दू प्र क्षे में सभी एक्सचेंज की कुल सज्जित क्षमता पर शहरी अभिदाताओं के किराये के बिल बनाने के प्रयोजन हेतु विचार होना चाहिये। उच्चतर कुल एक्सचेंज क्षमता में किराये के दर उच्चतर होंगे।

बिहार, झारखंड तथा राजस्थान दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि यद्यपि एक्सचेंज की सज्जित क्षमता बढ़ गई थी और एक्सचेंज क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था, तदनुसार किराया तथा कॉल प्रभार बढ़ाने में विफलता थी परिणामस्वरूप मई 2002 से जून 2007 की अवधि के बीच 3.92 करोड़ रू. के कम बिल बनाये गये जैसा कि **(परिशिष्ट V)** में दर्शाया गया है।

यह इंगित किये जाने पर, बिहार तथा झारखंड परिमंडलों के अन्तर्गत सै स्वी क्षे के लेखा अधिकारियों (दू रा ले) ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया कि योजना विंग से एक्सचेंज क्षमता के विस्तार के संबंध में सूचना की गैर प्राप्ति के कारण कम बिल बनाये गये थे और अनुपूरक बिल जारी किये जायेंगे। म प्र दू जि जोधपुर, राजस्थान दूरसंचार परिमंडल ने बताया (जनवरी 2008) कि भा सं नि लि ग्राहक बेस में कमी से भयभीत होकर दरें बढ़ाई नहीं गई थी और दिसम्बर 2006 के परिपत्र के आधार पर मामला कारपोरेट कार्यालय के साथ शिथिलता के लिये उठाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मई 2002 से टैरिफ में वृद्धि देय थी, यह कारपोरेट कार्यालय द्वारा दिसम्बर 2006 के पप्रिपत्र जारी होने से चार वर्ष पहले थी।

इस प्रकार, एक्सचेंज की बढ़ी हुई क्षमता पर आधारित किराया संशोधित करने में विफलता रही परिणामस्वरूप 3.92 करोड़ रू. के कम बिल बनाये गये।

जून 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 2.6 अवसंरचना प्रभारों का बिल न बनाना

**झारखंड और महाराष्ट्र परिमंडलों के अन्तर्गत आठ सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों की निजी सेवा प्रदाताओं को प्रदान की गई सुविधाओं के लिये अवसंरचना भागीदारी प्रभारों की वसूलने की विफलता के परिणामस्वरूप 3.30 करोड़ रू. के बिल न बनना।**

लाइसेंसशुदा निजी सेवा प्रदाताओं (नि से प्र) ने अपनी सेवाएं 1995–96 से देनी आरम्भ की, और उन्होंने इसके लिए अपने अधिकार क्षेत्र में अन्तःसंयोजन (पी ओ आई)[1] के लिये भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) के पब्लिक स्वीचिड टेलीफोन नेटवर्क (पी एस डी एच) के साथ अन्तः संयोजन बिन्दु (पी ओ आई) की मांग की। आरम्भ में भा सं नि लि ने पी ओ आई एक्टिव लिक[2] के माध्यम से प्रदान की। यद्यपि अप्रैल 2002 के बाद भा सं नि लि ने पी ओ आई को पैसिव लिक[3] द्वारा भी प्रदान करना आरम्भ किया।

---

[1] पी ओ आई से अभिप्राय दो नेटवर्क के मध्य अंतःसंयोजन स्थापित करने के लिये नाना प्रकार की बंदरगाहों में संयोजन देना

[2] एक्टिव लिंक से अभिप्राय भा सं नि लि एक्सचेंज परिसरों में पी एस पी के संचरण उपस्कर में प्रतिष्ठापित किये गये हैं और इन उपस्करों के माध्यम से उनके नेटवर्क भा सं नि लि के नेटवर्क से जोड़े गये (सम्बद्ध) किये गये हैं।

[3] पैसिव लिंक से अभिप्राय ऐसे लिंक से है जिसमें पी एस पी के संचरण उपस्कर भा सं नि लि एक्सचेंज परिसरों के समीप प्रतिष्ठापित किये गये हैं और भा सं नि लि के एक्सचेंज परिसरों में केवल संचरण केबिल मॉडम युक्त/बिना मॉडम

भा सं नि लि के एक्सचेंज परिसर के अन्दर पी ओ आई को प्रदान करने, स्थापित करने और प्रेषण यन्त्र के कार्य के लिये, भा सं नि लि निगम कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार निजी सेवा प्रदाताओं से पोर्ट प्रभारों के रूप में तय वार्षिक प्रभार और अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि बिल्डिंग, स्थान, बिजली, टावरों, केबल इत्यादि को प्रदान करने के लिये प्रभारों के रूप में वसूली का हकदार था। आरम्भ में यह अवसंरचना सांझा प्रभार तदर्थ रूप में थे। रेडियो लिंक के लिये दो लाख रूपये प्रति साईट, और क्रमशः सेल्युलर मोबाइल और बुनियादी सेवा प्रदाताओं के लिये केबल आधारित लिंक के लिये एक लाख रूपये प्रति साईट की दर से तदर्थ पर आधारित था। फरवरी 2001 में नि से प्र पर नयी मांग देने के बाद पूर्व संचित तदर्थ प्रभारों को समायोजित करने के बाद एक्टिव/पैसिव लिंक, बिजली, स्थान, केबल डक्ट टावरों इत्यादि की अवसंरचना पर अलग से प्रभार लगाने हेतु निर्देश जारी किये गये। अप्रैल 2002 तक भा सं नि लि पैसिव लिंकों के माध्यम से संचारों के अन्तःसंयोजन की अनुमति दे चुका था और नि स प्रदाताओं द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया था कि उन पर प्रभार पूर्ववर्ती तिथि और जब निर्णीत हो, से देय थे। परिणामस्वरूप मई 2006 से अवसंरचना प्रभार, लिंक के अतिरिक्त सभी घटकों के लिये संशोधित कर दिये गये और अप्रैल 2006/जून 2006 से एक्टिव/पैसिव लिंक पर अवसंरचना प्रभार संशोधित कर दिये गये। एक्टिव लिंक के लिये। अप्रैल 2006 से प्रभार में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान था।

झारखंड दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत दो सै स्वी क्षेत्रों और महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत छः सै स्वी क्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2006 से जनवरी 2008) ने दर्शाया कि समय–समय पर जारी उपरोक्त निर्देशों पर विचार योग्य कदम नहीं उठाये गये, परिणामस्वरूप फरवरी 2001 से मार्च 2008 तक की अवधि में 2.22 करोड़ के अवसंरचना प्रभारों के बिल नहीं बनाये गये/वसूले गये, म प्र दू जि जमशेदपुर और मु म प्र दू जि पुणे में 1.08 करोड़ रूपये के बिल न बनाने को देखा गया। विवरण **परिशिष्ट–VI** में दर्शाया गया है।

इंगित किये जाने पर दूरसंचार जिला धनबाद और रांची ने 69.26 लाख रूपये के बिल जारी किये और 4.11 लाख रूपये वसूले। महाप्रबंधक (वित्त), महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल के अनुसार, परबानी, सांगली, गदचरौली, चन्द्रपुर, नागपुर, पुणे, षोलापुर के सै स्वी क्षेत्रों ने भी बिल जारी किये और 1.55 करोड़ रूपये की राशि वसूली, शेष 1.61 करोड़ रू. की वसूली मार्च 2008 तक प्रतीक्षित थी।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2008 में भेजा गया; उनका उत्तर अक्तूबर 2008 तक प्रतीक्षित था।

## 2.7 पट्टे पर दिये गये परिपथों के प्रावधानों में विलम्ब से राजस्व की हानि

**बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत चार सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों की निर्धारित समय पर अन्तः संयोजन बिन्दु और पटटे पर दिये गये परिपथों को प्रदान करने में विफलता के पणिामस्वरूप 2.90 करोड़ रूपये संभावित राजस्व की हानि।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने पट्टे पर दिये गये परिपथों के त्वरित प्रावधान हेतु निर्देश जारी किये (मार्च 2001) इसमें लिखित था कि फैक्स द्वारा भुगतान की प्राप्ति के तुरन्त बाद अन्तिम संज्ञापन पत्र जारी किया जाना चाहिये और अन्तिम संज्ञापन पत्र जारी होने के सात दिनों के अन्दर परिपथों को चालू कर देना चाहिये। अन्तः संयोजन बिन्दु (पी ओ

वाली दर्शाई गई है तथा पी एस पी के नेटवर्क इन संचरण केबिल के माध्यम से भा सं नि लि के नेटवर्क से सम्बद्ध किये गये हैं।

आई) के संबंध में निगम कार्यालय ने निर्देश दिया था (दिसम्बर 2005) कि भुगतान प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अन्दर पी ओ आई को चालू कर देना चाहिये।

बिहार दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत प्रबन्धक दूरसंचार जिला आरा, झारखंड दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत महाप्रबंधक दूरसंचार रांची, महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत महाप्रबंधक जिला पुणे और उड़ीसा दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत अभियंता दूरसंचार जिला फूलबनी के जून 2007 से अक्तूबर 2007 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच में दर्शाया कि जनवरी 2004 से मई 2007 तक की अवधि में 81 पट्टे पर दिये गये परिपथों के प्रावधान में 13 से 854 दिनों तक का विलम्ब था, और छः पी ओ आई के प्रकरण में 112 से 300 दिनों का विलम्ब था। परिपथों और पी ओ आई को प्रदान करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप जनवरी 2004 से मई 2007 तक की अवधि में 2.90 करोड़ रू. के संभावित राजस्व की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट–VII** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर रांची, पुणे और आरा सै स्वी क्षेत्रों ने तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार किया। मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार उड़ीसा ने बताया (जनवरी 2008) कि परिपथों को प्रदान करने में विलम्ब हुआ क्योंकि सै स्वी क्षेत्रों द्वारा परिपथ पहली बार दिये गये थे और सॉफ्टवेयर को लगाने में पर्याप्त समय की आवश्यकता थी। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि 2001 और 2005 में भा स नि लि मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार सॉफ्टवेयर पहले ही लगा लेने चाहिये थे।

मामला जून 2008 में मंत्रालय को भेजा गया था; अक्तूबर 2008 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

## 2.8 दावों की गैर वसूली

**2000–2008 की अवधि के दौरान तीन दूरसंचार परिमण्डलों द्वारा संचार लेखा नियंत्रक से देयों की कम/गैर वसूली के परिणामस्वरूप 2.74 करोड़ रू. की गैर वसूली।**

1 अक्तूबर 2000 से भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) के गठन के परिणामस्वरूप, दूरसंचार परिचालन विभाग और दूरसंचार सेवा विभाग के सभी कर्मचारियों को भा सं नि लि में प्रतिनियुक्ति पर समझा गया था। परिणामस्वरूप 1 अक्तूबर 2000 से पूर्व व्यापी प्रभाव से संवर्ग 'ख' 'ग' और 'घ' कर्मचारी भा सं नि लि में समाहित कर लिये गये। भा सं नि लि में कार्यरत और दूरसंचार विभाग में जारी रखे गये कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति/पेंशन और अन्य लाभों के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये अक्तूबर 2000 से दू वि सैल का गठन किया गया। फरवरी 2002 में बढ़े हए अतिरिक्त कार्यों जैसे कि लाइसेंस फीस का संग्रहण, यूनिवर्सल सर्विस सबसिडी दावों का निपटारा, स्पैक्ट्रम राजस्व का बिल बनाने और उनका संग्रहण के साथ–साथ सेवानिवृत्ति फायदों का निपटारा, के साथ दू वि सैल का नाम बदलकर संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए) रख दिया गया।

मुख्य महाप्रबंधक (मु म प्र) परिश्चम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल, पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र (पू दू क्षे) और पूर्वी दूरसंचार परियोजना (पू दू प) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (सितम्बर–दिसम्बर 2007) ने दर्शाया कि अक्तूबर 2000 से भा सं नि लि के सवंर्ग 'ख' 'ग' 'घ' कर्मचारी सी सी ए के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर थे और उनके वेतन व भत्ते सम्बद्ध दूरसंचार परिमण्डलों द्वारा आहरित किये जा रहे थे। लेखापरीक्षा ने आगे ध्यान में लाया कि तीन दूरसंचार परिमण्डल उस राशि को सी सी ए से वसूलने में असफल रहा जिसका विवरण नीचे दिये गया है।

- अक्तूबर 2000 से अगस्त 2007 के दौरान पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल ने सी सी ए में प्रतिनियुक्ति स्टाफ के वेतन व भत्तों पर 3.04 करोड़ रू. का व्यय किया इसके विरूद्ध परिमण्डल ने 2.21 करोड़ का दावा किया, परिणामस्वरूप शेष 83.96 लाख रू. की राशि का दावा नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि दावित 2.21 करोड़ रू. की

राशि में से, सी सी ए द्वारा 1.59 करोड़ रू. का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 61.81 लाख रू. की कम वसूली हुई।

- इसी प्रकार पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र (ई टी पी) और पूर्वी दूरसंचार परियोजना (ई टी आर) ने अक्तूबर 2000 से मई 2007 की अवधि के लिये सी सी ए पर कोई दावा नहीं किया, परिणामस्वरूप 1.29 करोड़ रू. की गैर वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2008) कि दावा कर दिया गया है और मामले को दू वि के समक्ष उठाया जायेगा।

इस प्रकार पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल, ई टी आर और ई टी पी द्वारा दावा पेश करने और मामले को सी सी ए के समक्ष रखने की विफलता के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2000 से अगस्त 2007 की अवधि के दौरान 2.74 करोड़ रू. की गैर वसूली हुई **(परिशिष्ट–VIII)**।

मामला मई 2008 को मंत्रालय भेज दिया गया था, उनका उत्तर अक्तूबर 2008 तक प्रतीक्षित था।

## 2.9 पोर्ट प्रभारों का कम बिल बनाना/बिल न बनाया जाना

**चेन्नई में 3 दूरसंचार परिमण्डलों में निजी परिचालकों से पोर्ट प्रभारों की वसूली की विफलता के परिणामस्वरूप 1.46 करोड़ रू. के कम बिल बनाया जाना/बिल न बनाया जाना।**

पोर्ट प्रभार भा सं नि लि के (कम्पनी) संचार का निजी परिचालकों द्वारा उपयोग करने की अनुमति देने के लिये लगाया गया प्रविष्टी प्रभार है। उपयोग और अन्तःसंयोजन (इन्टरकनेक्टिविटी) प्राप्त करने के लिये निजी परिचालकों को अन्तःसंयोजन (इन्टरकनेक्ट) समझौता करना होता है जिसके अन्य बातों के साथ–साथ, निर्धारित समय–समय पर वार्षिक पोर्ट प्रभारों का संचयन शामिल है। ले प जांच में पाया गया कि मौजूदा/समर्पित पोर्ट प्रभारों का कम बिल बनाया गया अथवा नहीं बनाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया:

**(i)** मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार (मु म प्र दू) तमिलनाडु परिमण्डल ने अपने अधिकार क्षेत्र में सभी सै स्वी क्षेत्रों को निर्देश जारी किये (दिसम्बर 2003) कि जनवरी 2003 से पोर्ट के चालू होने की वास्तविक तिथि या संस्वीकृति की तिथि से एक महीना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, को पोर्ट को प्रदान करने की तिथि माना जायेगा।

परिमण्डल के अन्तर्गत कुन्नूर, कोयम्बटूर और बैलोर सै स्वी क्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि सै स्वी क्षेत्र ने पोर्ट के चालू होने की तिथियों से प्रभारों का बिल बनाना जारी रखा जबकि संस्वीकृति की तिथि से एक महीने की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप मई 2003 से जनवरी 2006 तक पोर्ट प्रभारों का 37.77 लाख रू. कम का बिल बनाया गया। पोंडिचेरी, कुन्नूर और त्रिची सै स्वी क्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच ने आगे दर्शाया कि प्रारम्भिक मांग पत्रों के माध्यम से निजी परिपालकों से पहले वर्ष के पोर्ट प्रभारों की वसूली के बाद, फरवरी 2006 से मार्च 2008 तक के बाद के 8.71 लाख रू. के पोर्ट प्रभारों की वसूली नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, पोंडिचेरी, कुन्नूर और त्रिची सै स्वी क्षे ने 11.92 लाख रू. के पूरक बिल जारी किये जिसमें 7.57 लाख रू. वसूल कर लिये गये या समायोजित कर लिये गये। कोयम्बटूर सै स्वी क्षे ने पूरक बिलों को जारी करने के लिये सहमति दी। इस प्रकार निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप मई 2003 से मार्च 2008 तक की अवधि में 46.48 लाख रू. के बिल नहीं बनाये गये या कम राशि के बिल बनाये गये।

**(ii)** एक अन्य प्रकरण में, कम्पनी द्वारा निर्देश जारी किये गये (सितम्बर 2005) जिसमें निहित था कि निजी परिचालकों के आवेदन पर चालू पोर्ट को समर्पित करने के मामले में, या कम्पनी द्वारा यातायात औचित्य के आधार पर काटे गये पोर्ट के मामले में, पोर्ट प्रभारों को निजी परिचालकों से एक वर्ष के लिये वसूल किया जाना था। लागू प्रभार समर्पण की तिथि से एक वर्ष के लिये भा सं नि लि के पास उपलब्ध पोर्ट प्रभारों के अग्रिम के विरूद्ध पोर्ट के इस्तेमाल न की गयी अवधि के साथ समायोजित किया जाना था और शेष राशि का भुगतान निजी परिचालकों द्वारा किया जाना चाहिये।

तमिलनाडु दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत पांच सै स्वी क्षे, चेन्नई टेलीफोन्स के अन्तर्गत उपमहाप्रबन्धक (एल डी और एन वी एस) और दक्षिण दूरसंचार क्षेत्र (द दू क्षे) का मुख्य महाप्रबंधक के अभिलेखों की जांच (दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2008 तक) ने दर्शाया कि इन परिमण्डलों में विभिन्न निजी परिचालकों द्वारा समर्पित किये गये पोर्टों के संबंध में पोर्ट प्रभारों का बिल नहीं बनाया गया था जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2006 से नवम्बर 2008 की अवधि के लिये 99.39 लाख की राशि के बिल नहीं बनाये गये जैसा कि **परिशिष्ट–IX** में दर्शाया गया है।

इंगित किये जाने पर इकाईयों ने बताया कि पूरक बिलों को जारी किया जा रहा है। ध्यान में लायी गई गैर बिलिंग की पूरी राशि के विरूद्ध तमिलनाडु परिमण्डल, चेन्नई टेलीफोन्स और एस टी आर द्वारा 71.31 लाख रू. की राशि वसूल कर ली गई थी और जुलाई 2008 तक 28.08 लाख रू. की शेष राशि की वसूली का विवरण प्रतीक्षित था।

मामला अप्रैल/सितम्बर 2008 तक मंत्रालय को भेज दिया गया था, उनका उत्तर अक्तूबर 2008 तक प्रतीक्षित था।

## 2.10 मल्टी पोर्टोकोल लेबल स्वीचिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और पट्टे पर दिये गये परिपथों का बिल न बनाना/कम बिल बनाना

**चार दूरसंचार परिमण्डलों के अन्तर्गत चार सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों का विभिन्न पट्टे पर दिये गये परिपथों और एम पी एल एस–वी पी एन पर अग्रिम किराया वसूलने की विफलता और पोर्टो की बैण्डविथ में सुधार पर किराये के असंशोधन के परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रू. की राशि का बिल न बनाना/कम बिल बनाना।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) द्वारा अपनाये गये नियमों में निहित है कि सभी किराये अग्रिम में देय है और ऐसा न होने पर परिपथ वापिस लिया जा सकता है।

भा सं नि लि ने (मई 2003 में मल्टी पोर्टोकोल लेबल स्वीचिंग (म पो ले स्वी) तकनीक शुरू की जिसके कारण उसके अभिदाताओं को कम कीमत पर अत्यधिक सुरक्षित और भरोसेमंद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदान किया जाना था। एम पी एल एस आधारित वी पी एन सेवाओं के लिये टैरिफ में केवल अभिदाताओं के परिसर से निकटतम एम पी एल एस नोड तक स्थानीय लोड प्रभार और पोर्ट प्रभार, जहां लागू हो, शामिल था (अक्तूबर 2003); एक पोर्ट के उच्चतर बैंडविथ पर उन्नत होने पर, कमतर बैंडविथ का किराया यथानुपात आधार पर समायोजित होना है (सितम्बर 2005)।

चेन्नई दूरसंचार जिला (चे दू जि) के अन्तर्गत उपमहाप्रबंधक (एल डी और एन वी एस), तमिलनाडु परिमण्डल के अन्तर्गत प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार (प्र म प्र दू) कोयंबटूर मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार महाराष्ट्र, गुजरात परिमंडल के अन्तर्गत प्रधान महाप्रबंधक वडोदरा के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2007 से दिसम्बर 2007) ने दर्शाया कि अनेक मामलों में

उपभोक्ताओं को एम पी एल एस–वी पी एन और पटटे पर परिपथों के प्रावधानों के प्रकरण में, अग्रिम किरायों का बिल नहीं बनाया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2005–08 की अवधि के लिये चे दू जि में पोर्टों की उन्नति पर अतिरिक्त समानुपातिक किराये का बिल नहीं बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रू. की राशि के बिल नहीं बनाये गये या कम बिल बनाये गये जैसा कि **परिशिष्ट–X** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्र म प्र दू कोयम्बटूर और चे दू जि, चेन्नई ने क्रमशः 11.04 लाख और 29.25 लाख रू. के पूरक बिल जारी किये। महाराष्ट्र परिमण्डल के मुख्य लेखा अधिकारी ने बताया (फरवरी 2008) कि परिपथों के बिल न बनने का कारण मुख्यतः लीज्ड परिपथ अनुभाग द्वारा दूरसंचार राजस्व लेखा शाखा को परिपथों की कमीशनिंग रिपोर्ट नहीं देना था। महाप्रबन्धक (वित्त) द्वारा आगे यह भी बताया गया (अगस्त 2008) कि बिल जारी कर दिये गये थे और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 64.66 लाख रू. में से 40.75 लाख रू. की वसूली कर ली गई थी। वडोदरा के प्र मु म प्र दू जि कार्यालय के लेखा अधिकारी (टी आर वी ए एस) ने बताया (मार्च 2008) कि 17.01 लाख रू. के पूरक बिल जारी किये जा चुके थे।

मामला सितम्बर 2008 को मंत्रालय भेजा गया था, उनका उत्तर अक्तूबर 2008 तक प्रतीक्षित था।

## 2.11 वास्तविक अभिदाताओं के अनुचित सत्यापन के कारण राजस्व की हानि

**कर्नाटक झारखंड तथा बिहार दूरसंचार परिमंडल सैल्युलर मोबाइल के वास्तविक अभिदाताओं का सत्यापन करने में विफल रहे परिणामस्वरूप 1.02 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (कम्पनी) तथा दूरसंचार विभाग (दू वि) ने सैल्युलर मोबाइल दूरभाष सेवा में कपट व राजस्व की हानि से बचने के विचार से पश्ची भुगतान व पूर्व भुगतान के लिये अभिदाता आवेदनों की महत्वपूर्ण सत्यापन कार्यविधि निर्धारित की (अप्रैल तथा दिसम्बर 2004)। आवेदन के साथ प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों से वास्तविक अभिदाताओं का सत्यापन, पतों का पश्ची सत्यापन तथा ग्राहकों की क्रेडिट क्षमता, कॉलिंग प्रोफाइल पर आधारित क्रेडिट सीमा का निर्धारण तथा देय तारीख तक देयों के गैर भुगतान के कारण जावक व आवक संयोजनों का काटा जाना इस दिशा में अपरिहार्य उपाय है।

कर्नाटक, झारखंड व बिहार के अन्तर्गत पांच सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी व अक्तूबर 2007) से पता चला कि पहचान के लिये दस्तावेजों के सत्यापन में अपर्याप्तता तथा कम्पनी द्वारा जारी बिलों में भी विलम्ब रहा, परिणामस्वरूप 102 मोबाइल अभिदाताओं से 1.02 करोड़ रू. के राजस्व की गैर वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट XI** में वर्णित है।

उत्तर में, कर्नाटक दूरसंचार परिमंडल ने बताया (सितम्बर 2007) कि मौखिक आधार पर वास्तविक ग्राहकों की पुष्टि की गई थी तथा बिहार तथा झारखंड दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत सै स्वी क्षे ने यह बताकर प्रकरण स्वीकार किये (अक्तूबर 2007) कि बकाया राशि की वसूली की संभावना नगण्य थी क्योंकि अभिदाता फरार थे।

इस प्रकार, कारपोरेट कार्यालय द्वारा जारी अनुदेशों के उचित पालन में कमी के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2005 से नवम्बर 2005 की अवधि के लिये 1.02 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई।

अप्रैल 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 2.12 किराये का बिल न बनाया जाना

**उड़ीसा दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत उप महाप्रबंधक टेलीफोन कोरापुट की विभिन्न अभिदाताओं को पट्टे पर दिये गये परिपथों के समय पर बिल जारी न किये जाने की विफलता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक की अवधि में 40.69 लाख रू. की राशि का बिल न बनाया जाना।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने (नवम्बर 2002) में पट्टे पर दिये गये परिपथों पर अग्रिम वार्षिक किराये की वसूली के लिये सभी परिमंडलों के मुखिया को स्पष्टीकरण जारी किये। यह स्पष्ट किया गया था कि पट्टे पर दिये गये परिपथों की बिलिंग और अग्रिम वार्षिक किराये की वसूली उस अवधि के पूरे होने से पहले की जानी चाहिये जिसके लिये किराया पहले ही वसूल किया जा चुका है।

उड़ीसा दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत कोरापुट सै स्वी क्षे की दूरभाष राजस्व लेखाओं (अक्तूबर–नवम्बर 2007) के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक की अवधि में 14 पट्टे पर दिये गये परिपथों और 22 पोर्ट में अग्रिम वार्षिक किराये, पोर्ट प्रभारों और पैसिव लिंक प्रभारों के लिये बिल जारी नहीं किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप 40.69 लाख की राशि के बिल नहीं बने।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी म प्र दू जि कोरापुट ने बताया (अक्तूबर 2008) कि बिल जनवरी 2008 में जारी किये गये थे और भुगतान कर दिया गया था। यह अग्रिम वार्षिक किराये को जारी करने और वसूली में अपर्याप्त नियन्त्रणों को दर्शाता है।

मामला सितम्बर 2008 में मंत्रालय को भेज दिया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 2.13 लेखापरीक्षा के निर्देश पर वसूली

**लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर भा सं नि लि के तीन परिमण्डलों द्वारा अभिदाताओं से 1.37 करोड़ रू. के लम्बित बकायों की वसूली की गई।**

अप्रैल 2003 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान तीन दूरसंचार परिमण्डलों के अन्तर्गत तीन सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों (सै स्वी क्षे) के संबंध में अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि गलत टैरिफ लगाने से, बिलों को जारी न करने से और बाहरी एजेन्सियों द्वारा केबलों को नुकसान पहुंचाने की एवज में मुआवजे की गैरवसूली की वजह से 1.37 करोड़ रू. की राशि के कम बिल बनाये गये या बिल नहीं बनाये गए जैसाकि **परिशिष्ट XII** में दर्शाया गया है।

इंगित किये जाने पर, सै स्वी क्षेत्रों ने 1.37 करोड़ रू. के बिलों को जारी कर दिया और राशि वसूली।

मामला अगस्त 2008 को मंत्रालय भेज दिया गया था; उनका उत्तर (अक्तूबर 2008) प्रतीक्षित था।

# अध्याय–III
# लेनदेन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष–व्यय

## 3.1 अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन

**भा सं नि लि मार्च 2005 को 18,829 करोड़ रू. का पर्याप्त रोकड़ को जो कि 6.19 से 7.38 प्रतिशत प्रतिवर्ष रिटर्न की औसतन दर के साथ बैंक में रखा गया था, सुरक्षित रखने के बावजूद भी 7,500 करोड़ रू. का सरकारी ऋण मुक्त करने में विफल रहा यह ऋण 14.50 प्रतिशत ब्याज की दर पर था। इस अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप 2005–07 की अवधि के दौरान ब्याज के भुगतान पर 1,089 करोड़ रू. का अधिक व्यय हुआ।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) का निर्माण पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग (दू से वि) तथा दूरसंचार प्रचालन विभाग (दू प्र वि) के कार्यों का निगमीकरण करके हुआ था (1 अक्तूबर 2000)। भारत सरकार तथा भा सं नि लि के मध्य किये गये समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार, दू से वि तथा दू प्र वि द्वारा कार्यान्वित कारोबारी के संबंध में सभी सम्पत्ति व दायित्व भा सं नि लि को 63,000 करोड़ रू. के अनन्तिम मूल्य पर हस्तांतरित कर दिये थे इसमें 7,500 करोड़ रू. का सरकारी ऋण भी शामिल था। सरकारी चालू उधार दर पर समान वार्षिक किश्तों व ब्याज में मूलधन की अदायगी सहित ऋण पन्द्रह वर्षों के लिये ऋण 14.5 प्रतिशत पर था। प्रारम्भ में मार्च 2004 तक ऋण की अदायगी और उस पर ब्याज का ऋण स्थगन था और इसे आगे मार्च 2005 तक बढ़ा दिया गया था।

भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्तूबर 2007) से पता चला कि यद्यपि कम्पनी की बैंकों में कम अवधि के जमा की पर्याप्त निधि थी जोकि मार्च 2005 में 18,829 करोड़ रू. से बढ़कर मार्च 2007 में 35,953 करोड़ रू.हो गई थी, अप्रैल 2005 में इसने 7,500 करोड़ रू. का सरकारी ऋण मुक्त नहीं किया। यह वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण था क्योंकि कम्पनी ने वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान विविध बैंकों में कम अवधि के जमा पर निवेशित निधि में 6.19 से 7.38 प्रतिशत के रिटर्न की औसतन दर अर्जित की। इसके परिणामस्वरूप 2005–07 की अवधि के लिये ब्याज भिन्नता के कारण अमुक्त सरकारी ऋण पर 1,089 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह भी ध्यान में आया कि कम्पनी में पहली और दूसरी किश्तों के भुगतान में चूक की थी और दूरसंचार विभाग पर क्रमशः 18.87 करोड़ रू. तथा 14.71 करोड़ रू. का शास्तिक ब्याज प्रभारित किया। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2006 को कम्पनी में आई सी आई सी आई बैंक में कम अवधि की जमा पर 17,042 करोड़ रू. थे इसमें निवेश के लिये खतरे की अत्यधिक सम्भावना थी क्योंकि यह एक प्राइवेट बैंक था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2008) कि कम्पनी में वृहत वर्तमान दायित्व था और इसे कम अवधि की जमा पर तदनुरूप बैंक शेष. रखना पड़ा था। यह भी बताया गया था कि भा सं नि लि में मोबाइल संचार के लिये ग्लोबल प्रणाली (जी एस एम) तथा ब्राडबैंड सैक्टर जिसमें बहुत निवेश की आवश्यकता होती है, की वृहत विस्तार योजना थी। तथापि, अदालती मामलों व अप्रत्याशित कारणों के कारण विस्तार योजना को अलग नहीं किया जा सका था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि कम्पनी में तदनुरूप वर्षों के दौरान सभी वर्तमान दायित्व व व्यय पूरा करने के बाद मार्च 2005, 2006 व 2007 को 18,000 करोड़ रू. से अधिक रोकड़

सुरक्षित था। साथ ही वर्तमान सम्पत्ति भी वर्तमान दायित्व से अधिक उच्चतर थी और कम्पनी अपने सभी दायित्व पूरा करने के लिये आरामदायक स्थिति में थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रू. में)

| समाप्त वर्ष | वर्तमान सम्पत्ति, ऋण व अग्रिम | वर्तमान दायित्व व प्रावधान | निवल वर्तमान सम्पत्ति |
|---|---|---|---|
| मार्च 2005 | 38478 | 22001 | 16477 |
| मार्च 2006 | 46138 | 21604 | 24534 |
| मार्च 2007 | 53747 | 21827 | 31920 |

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2004–07 के लिये कम्पनी का सारा पूंजी व्यय 6,838 और 8,617 करोड़ रू. के बीच रहा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है इसमें जी एस एम और ब्राडबैंड विस्तार के घटक शामिल हैं।

(करोड़ रू. मे)

| वर्ष | वार्षिक योजना परिव्यय | वास्तविक पूंजी व्यय | असमाप्त योजना परिव्यय | समाप्त वर्ष को बैंक जमा |
|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 14777 | 7578 | 7199 | 18829 |
| 2005-06 | 15081 | 6838 | 8243 | 28679 |
| 2006-07 | 16931 | 8617 | 8314 | 35953 |

असमाप्त वार्षिक योजना परिव्यय सरकारी ऋण मुक्त किये जाने के बाद भी आन्तरिक राजस्व की उत्पत्ति व सुरक्षित नकद से आसानी से अर्थ प्रबन्धन किया जा सकता था।

जून 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.2 उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन का अतिरिक्त अनियमित भुगतान

**भारत संचार निगम लिमिटेड ने सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा दूरसंचार विभाग के अनुदेशों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों की उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा बढ़ाई। इसके परिणामस्वरूप 19.78 करोड़ रू. का उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन का अतिरिक्त अनियमित भुगतान हुआ।**

संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सैं नि लि) में कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान सार्वजनिक उद्यम विभाग (सा उ वि) के दिशा निर्देशों तथा दूरसंचार विभाग (दू वि) के अनुमोदन से शासित (नियंत्रित) है। सा उ वि तथा दू वि द्वारा दिये गये विस्तृत दिशानिर्देश व अनुदेश निम्नलिखित हैं

- सा उ वि ने स्पष्ट किया (नवम्बर 1997) कि केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा अपने कर्मचारियों को किसी प्रकार का अनुग्रह, मानदेय, पुरस्कार आदि को पात्रता से ज्यादा एवं अधिक भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक बोनस अधिनियम के प्रावधान अथवा अनुग्रह के संबंध में सा उ वि द्वारा जारी अनुदेशों को निर्धारित कार्यविधि के अनुसार भलीभांति अनुमोदित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राशि प्राधिकृत नहीं हो।

- बोनस अधिनियम के भुगतान के भीतर अथवा बाहर जहां कहीं भी नई प्रोत्साहन योजना का प्रारम्भ अथवा विद्यमान प्रोत्साहन योजना का संशोधीकरण किया गया है, इसमें सरकार अर्थात् प्रशासनिक मंत्रालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- इन अनुदेशों के अनुसरण में, दू वि ने 2004–05 वर्ष के लिये भा सं नि लि के स्टाफ को उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन के भुगतान के लिये दिशानिर्देश जारी किये (अक्तूबर 2005) और उससे आगे के वर्षों के लिये उ जु प्रो की अधिकतम सीमा 12,500 रू. तय की थी।

भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितम्बर 2007) से पता चला कि 2004–05 के लिये उ जु प्रो संस्वीकृत करते समय कम्पनी ने दू वि द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया। तथापि वर्ष 2005–06 के लिये, लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि दू वि द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, कर्मचारी के लिये भुगतान योग्य उ जु प्रो की अधिकतम सीमा 12,500 रू. से बढ़ाकर 25,000 रू. कर दी गई थी। लेखापरीक्षा ने फिर यह भी देखा कि चूंकि विद्यमान उ जु प्रो योजना में यह एक संशोधन था इसमें दू वि के पूर्व मुक्तान्तर की आवश्यकता थी इसकी अनदेखी कम्पनी ने की थी। इस प्रकार, भा सं नि लि कर्मचारियों को 25,000 रू. की अधिकतम बढ़ी हुई सीमा के साथ उ से प्रो का भुगतान 12,500 रू. की निर्धारित सीमा के विरूद्ध हुआ था परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 के लिये 19.78 करोड़ रू. उ जु प्रो का अधिकतम भुगतान हुआ **(परिशिष्ट XIII)**।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2008) कि अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक (अ प्र नि), भा सं नि लि के कार्यवृत्त के अनुसार, सचिव (दूरसंचार) की सहमति से उ जु प्रो की अधिकतम सीमा 12,500 रू. से बढ़ाकर 25,000 रू. कर दी गई। इसलिये वर्ष 2005–06 के लिये उ जु प्रो का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं हुआ था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि भा सं नि लि ने उ जु प्रो की अधिकतम सीमा की वृद्धि को उचित बताते हुये दू वि को न तो कोई प्रस्ताव भेजा और न ही दू वि ने उसके लिये कोई अनुमोदन दिया। अ प्र नि द्वारा सचिव (दूरसंचार) के साथ चर्चा के मात्र उल्लेख से दू वि की औपचारिक सहमति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसी मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत म टे नि लि एक सामान्य सा क्षे उ ने 8,500 रू. पर उ जु प्रो की अधिकतम सीमा को रोक दिया। भा सं नि लि द्वारा अधिकतम सीमा 25,000 रू. तक बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं दिया गया था।

इस प्रकार दू वि के आदेशों के उल्लंघन तथा सा उ वि के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 25,000 रू. की अधिकतम बढ़ी हुई सीमा के साथ उ जु प्रो का भुगतान किया परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 के लिये 19.78 करोड़ रू. के उ जु प्रो का अतिरिक्त अनियमित भुगतान हुआ।

जून 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.3 स्पैक्ट्रम प्रभारों का परिहार्य भुगतान

**केरल दूरसंचार परिमंडल अपनी मोबाइल सेवाओं के समायोजित सकल राजस्व के परिकलन के लिये भा सं नि लि की बेसिक सेवाओं से और सेवाओं के लिये अन्तःसम्बद्ध यूसेज प्रभारों के राजस्व व व्यय पर विचार करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप 12.44 करोड़ रू. के स्पैक्ट्रम प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।**

बेसिक व मोबाइल दूरभाष सेवाओं के प्रचालन के लिये दूरसंचार विभाग (दू वि) के साथ भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) का लाइसेंस करार में समायोजित सकल राजस्व (स स रा)

की निर्धारित प्रतिशतता पर लाइसेंस फीस व स्पैक्ट्रम प्रभारों के भुगतान का अनुबन्ध करते हैं। वित्तीय वर्ष के लिये स स रा के परिकलन हेतु, अन्तःसंयोजन के प्रावधान के कारण अन्य आपरेटरों से राजस्व के माध्यम से गुजरने अर्थात् अंतःसंयोजन यूसेज प्रभार (अं यू प्र) राजस्व के भाग के रूप में शामिल किये जाने थे और बेसिक, सैल्युलर तथा लम्बी दूरी के सेवा सम्भरकों को गुजरने वाली कॉल प्रभारों से संबंधित सार्वजनिक स्विच दूरभाष नेटवर्क (सा स्वि दू ने) का मूल्य कटौती की जाने वाला मद था।

केरल दूरसंचार परिमण्डल की सैल्यूलर मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के अभिलेखों की नमूना जांच में, जनवरी 2008 में बताया कि स स रा का परिकलन करते समय भा सं नि लि की मोबाइल व बेसिक सेवाओं के मध्य अं यू प्र के कारण राजस्व को जोड़ व घटा (वृद्धि एवं कटौती) मद नहीं माना गया था। इसके परिणामस्वरूप यह स स रा ने बढ़ा–चढ़ाकर (अत्यधिक) बताया था जिससे दू वि को स्पैक्ट्रम प्रभारों के रूप में 12.44 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ इसमें 2005–06 से 2006–07 की अवधि के लिये माइक्रोवेव एसेस प्रभार शामिल है जैसा कि **परिशिष्ट XIV** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मुख्य महाप्रबंधक, केरल दूरसंचार परिमंडल ने स स रा की गणना में अं यू प्र प्रभारों के गैर समावेश की पुष्टि यह कहते हुये की कि अन्य सेवा सम्भरकों के साथ केवल लेन–देन के प्रकरण में यह वृद्धि एवं कटौती मद अनुज्ञेय है। यह भी कहा गया था कि कम्पनी की बेसिक व मोबाइल सेवाओं के मध्य अं यू प्र लेन देन भा सं नि लि के उसी सेवा क्षेत्र के भीतर थे, इसके लेखों में केबल अन्तःखंड समायोजन की आवश्यकता थी और भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था।

परिपत्र 134 के अनुसार भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय से प्राप्त स्पष्टीकरण ने मार्च 2008 में लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण की पुष्टि की और पुष्टि की कि भा सं नि लि के एक खंड से दूसरे में उपार्जित व हस्तांतरित दूरसंचार यातायात के संबंध में 'प्रभारों के माध्यम से पास' की गणना उन्हीं दरों पर की जायेगी जो कि अन्य सेवा सम्भरकों से/के लिये प्राप्त व भुगतान योग्य अं यू प्र की गणना के लिये लागू होती है।

इस प्रकार मोबाइल सेवाओं के स स रा की गणना करते समय बेसिक सेवाओं के कारण तथा उनसे प्राप्त योग्य अं यू प्र का गैर समावेश हुआ, परिणामस्वरूप भा सं नि लि द्वारा 2005–06 से 2006–07 के लिये 12.44 करोड़ रू. के स्पैक्ट्रम प्रभारों (माइक्रोवेव एसेस प्रभारों सहित) का परिहार्य भुगतान हुआ।

अगस्त 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)

## 3.4 सेवा कर का अधिक भुगतान

**केरल दूरसंचार परिमंडल में नौ सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र 2005–07 के दौरान पूरी मात्रा में उपयुक्त सैनवेट क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 8.67 करोड़ रू. के सेवा कर का अधिक भुगतान हुआ।**

सितम्बर 2004 में शुरू हुये सैनवेट क्रेडिट नियमों में कर योग्य सेवा के विनिर्माता अथवा सम्भरक को अनुमति दी थी कि वे विशेष इनपुट पूंजीगत सामान पर तथा प्रयुक्त इनपुट सेवाओं में अथवा विशेष अंतिम उत्पाद या आउटपुट सेवाओं के विनिर्माता के संबंध में भुगतान शुल्क/सेवा कर की

क्रेडिट लें। उपलब्ध सैनवेट क्रेडिट का उपयोग किसी उत्पाद पर उत्पाद शुल्क या आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिये किया जा सकता था।

भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय ने सभी मुख्य महाप्रबंधक, भा सं नि लि दूरसंचार परिमंडल को अनुदेश (11 मार्च 2005) दिये कि वे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वयं उपयुक्त सैनवेट क्रेडिट सकारात्मक रूप से प्राप्त करें। सैनवेट क्रेडिट नियमों के अन्तर्गत लाभ की राशि की मात्रा विचारणीय थी, परिमंडलों के अध्यक्ष व उनके आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों को निर्देश दिये गये थे कि वे सैनवेट क्रेडिट प्राप्त करने के लिये प्रत्येक सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) का व्यक्तिगत मानीटर करें। फरवरी 2007 में कारपोरेट कार्यालय ने नकद को अनावश्यक बहिर्गमन से बचाने के लिये उपर्युक्त आदेशों को दोहराया।

केरल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत नौ सै स्वी क्षे के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2008) से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2005–07 के दौरान सै स्वी क्षे• उपयुक्त सैनवेट क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहे और 2005–07 की अवधि के दौरान 8.67 करोड़ रू. के सेवा कर का अधिक भुगतान हुआ **(परिशिष्ट XV)**। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि समय–2 पर कारपोरेट कार्यालय के अनुदेशों के बावजूद भी, मुख्य महाप्रबंधक केरल दूरसंचार परिमंडल उचित मानीटरिंग तथा नियंत्रण कार्य पद्धति स्थापित करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप सेवा कर के अधिक भुगतान के कारण नकद का अनावश्यक बहिर्गमन हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी, मु म प्र केरल दूरसंचार परिमंडल कार्यालय ने बताया (अप्रैल 2008) कि सभी सै स्वी क्षे के ध्यान में मामला लाया गया था और सै स्वी क्षे से रिपोर्ट प्राप्त होने पर फिर उत्तर भेजा जायेगा। उत्तर इस तथ्य का द्योतक है कि परिमंडल कार्यालय में संबंधित वित्तीय वर्ष में देय सैनवेट क्रेडिट प्राप्त करने के लिये सै स्वी क्षे पर नियंत्रण व उचित मानीटरिंग की कार्यपद्धति में कमी रही है।

इस प्रकार, परिमंडल कार्यालय द्वारा अपर्याप्त मानीटरिंग के अतिरिक्त संबंधित वित्तीय वर्षों में देय सैनवेट क्रेडिट प्राप्त करने में सै स्वी क्षे विफल रहे परिणामस्वरूप 2005–07 के दौरान 8.67 करोड़ रू. के सेवा कर का अधिक भुगतान हुआ।

मई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.5 डब्ल्यू एल एल उपकरणों की गैर वसूली के कारण हानि

**आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत 32 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र बंद हुये संयोजनों के लिये वायरलैस टर्मिनल उपकरण वसूलने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 7.11 करोड़ रू. की हानि हुई।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) की वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) प्रौद्योगिकी में फोन सेवाओं के अभिदाताओं को कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये टर्मिनलों के लिये भुगतान करना था। अभिदाताओं को शुरू में बाजार से उपकरण प्राप्त करने, भा सं नि लि से 10,000 रू. की लागत पर खरीदने अथवा भा सं नि लि से ऋण लेने के लिये विकल्प दिये गये थे (फरवरी 2001)। बाद में (जून 2001), टर्मिनल 10,000 रू. के जमा में गैर ब्याज वापिस योग्य भुगतान पर अथवा नामित बीमा कम्पनी से भा सं नि लि द्वारा प्राप्त टर्मिनल की लागत पर बीमा कवर करने के लिये 20 रू. के मासिक बीमा प्रभार पर उपलब्ध कराये गये थे। बांद में यह भी

• इरनाकुलम, कोलम, तिरूवनन्तपुरम, त्रिचूर, पालक्कड, मालापुरम, तिरूवला, अलेप्पी और कोट्टयम।

स्पष्ट किया गया था (अक्तूबर 2003) कि बीमा हैंडसैट की वास्तविक लागत के लिये किया जायेगा और पूरी तरह हैंडसेट के नुकसान को कवर करते हुये व्यापक होगा जो कि चोरी, अभिदाता द्वारा उपकरण न लौटाये जाने के कारण अथवा अभिदाता के गायब होने आदि के कारण से हुई थी।

आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत 32 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 4,953 मोबाइल/एच एच टी तथा 14,191 अचल डब्ल्यू एल एल टर्मिनल के अभिदाता, जिन्होंने ऋण/बीमा कवरेज चुना था, के स्थिर डब्ल्यू एल एल टर्मिनल स्वेच्छा से बंद कर दिये गये/संयोजन काट दिये गये थे अथवा 2002–03 से 2007–08 की अवधि के दौरान देयों के गैर भुगतान के कारण स्थायी रूप से बंद कर दिय गये थे, लेकिन ऋण पर दिये गये या बीमाकृत इन टर्मिनलों को भा सं नि लि स्टॉक में वापिस नहीं किया गया था। यद्यपि बहुतायत में ये टर्मिनल बीमा द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किये गये थे, उचित डाटा बेस के गैर अनुरक्षण के कारण आज तक बीमा कम्पनियों के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, अभिदाताओं से जिनके लिये बीमा कवरेज उपलब्ध नहीं था इसमें स्वेच्छा से बंद करने के प्रकरण शामिल हैं, से टर्मिनल वसूलने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि सै स्वी क्षे को अभिदाताओं का पता–ठिकाना मालूम नहीं था। संयोजनों के बंद होने पर टर्मिनल वसूलने तथा हानि के लिये बीमा दावों को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप 7.11 करोड़ रू. की हानि हुई, यह टर्मिनल उपकरणों का ह्रासित मूल्य है। जैसा कि **परिशिष्ट XVI** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात दूरसंचार परिमंडल के सभी सै स्वी क्षे ने बताया (अगस्त 2007) कि टर्मिनल उपकरणों को वापिस प्राप्त करने के लिये कार्रवाई की जायेगी। मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के सै स्वी क्षे से उत्तर प्राप्त नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2008)।

जून 2008 को, किसी भी परिमंडल में अभिदाताओं से न तो टर्मिनल उपकरण और न ही उनकी लागत वसूल की गई थी।

जुलाई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.6 सैनवेट क्रेडिट की गैर प्राप्ति के कारण हानि

**आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल टेलीकाम फैक्ट्री से अधिप्राप्त भंडारों के संबंध में सैनवेट क्रेडिट की गैर प्राप्ति के परिणामस्वरूप 5.91 करोड़ रू. की हानि हुई।**

सितम्बर 2004 में शुरू हुये सैनवेट क्रेडिट नियमों में कर योग्य सेवा के विनिर्माता अथवा सम्भरक को अनुमति देते हैं कि वे विशेष इनपुट पूंजीगत सामानों तथा प्रयुक्त इनपुट सेवाओं अथवा विशेष अंतिम उत्पाद अथवा आउटपुट सेवायें उपलब्ध कराने के विनिर्माता के संबंध में भुगतान किये गये शुल्क/सेवा कर का क्रेडिट लें। उपलब्ध सैनवेट क्रेडिट का उपयोग किसी उत्पाद में उत्पाद शुल्क अथवा आउटपुट सेवाओं में सेवा कर के भुगतान के लिये किया जा सकता था। यह क्रेडिट पूंजीगत सामान/इनपुट सेवाओं के पूर्तिकार द्वारा जारी बीजक अथवा बिल अथवा चालान के आधार पर जहां कर भाग अलग से दर्शाया गया है, प्राप्त किया जा सकता है।

आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल ने 2005–07 के दौरान दूरसंचार फैक्टरियों↑ से 32.13 करोड़ रू. मूल्य के भंडार अधिप्राप्त किया तथा परिमंडल दूरसंचार भंडार डिपो (प दू भं डि), सिकन्दराबाद में

↑ दूरसंचार फैक्टरी मुम्बई, जबलपुर, कोलकाता, गोपालपुर तथा खडगपुर

इनका स्टॉक किया। बाद में, प दू भं डि द्वारा सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के लिये ये भंडार परिमंडल कार्यालय के आबंटन के अनुसार आपूर्त कर दिये गये थे। परिमंडल कार्यालय ने आपूर्त भंडारों के मूल्य के लिये सै स्वी क्षे के विरूद्ध संज्ञापन हस्तांतरण डेबिट (सं ह डे) जारी किया तथा भंडार वाउचरों की प्रतियां संलग्न की जिसमें सै स्वी क्षे द्वारा सैनवट क्रेडिट प्राप्त करने के लिये उत्पाद शुल्क तथा अन्य उगाही के अंश दर्शाये गये थे।

आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल कार्यालय, प दू भं डि, सिकन्दराबाद तथा पांच[$] सै स्वी क्षे के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2008) से पता चला कि दूरसंचार फैक्टरी से सामान की प्राप्ति पर प दू भं डि बीजक पर आधारित सैनवट क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सका था क्योंकि यह अंतिम परेषिती नहीं था। सै स्वी क्षे भी प दू भं डि, सिकन्दराबाद से आपूर्त भंडार के लिये निर्मित सं ह डि के आधार पर सैनवट क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सका था, क्योंकि उत्पाद प्राधिकारियों ने दावों के समर्थन में मूल बीजक के प्रस्तुतीकरण का आग्रह किया था। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि परिमंडल कार्यालय प दू भं डि को डीलर डिपो के रूप में पंजीकृत करने में कार्यवाही शुरू करने में विफल रहा ताकि वह स्टोर की कीमत व उत्पाद शुल्क के तत्वों को दिखाने वाला अलग बीजक जारी कर सके जो कि उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा दिसंबर 2006 तक मान्य था। दिसंबर 2006 में, प दू भं डि को उत्पाद प्राधिकारियों के साथ डीलर डिपो के रूप में पंजीकृत किया गया था तथा अप्रैल 2007 से सै स्वी क्षे को सैनवट क्रेडिट प्राप्त करने के लिये अलग बीजक जारी किये थे। इस प्रकार, प दू भं डि को डीलर डिपो में पंजीकृत करवाने में परिमंडल कार्यालय में विलम्ब के परिणामस्वरूप सै स्वी क्षे द्वारा सैनवट क्रेडिट की गैर प्राप्ति हुई जिससे जून 2004 से मार्च 2007 के दौरान 5.91 करोड़ रू. की परिगामी हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2008) कि केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों ने सैनवट क्रेडिट की प्राप्ति के लिये हैदराबाद दूरसंचार जिला की नोडल प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति पर यह बताते हुये आपत्ति की थी कि भंडारों का केवल अंतिम परेषित सैनवेट क्रेडिट के लिये पात्र था। संबंधित सै स्वी क्षे में सं ह डि को जारी करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल कार्यालय दिसंबर 2006 तक प दू भं डि, सिकन्दराबाद को डीलर डिपो के रूप में पंजीकृत करवाने में विफल रहा जिससे सैनवट क्रेडिट की गैर प्राप्ति हुई।

इस प्रकार, प दू भं डि सिकन्दराबाद को डीलर डिपो के रूप में पंजीकृत करने में विलम्ब हुआ, परिणामस्वरूप सै स्वी क्षे द्वारा सैनवेट क्रेडिट की गैर प्राप्ति हुई तथा 2004–07 के दौरान 5.91 करोड़ रू. की परिणामी हानि हुई।

जून 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.7 डिजीटल लूप कैरियर प्रणालियों का उपयोग न होना/कम उपयोग होना

**राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत चार सै स्वी क्षे द्वारा डिजिटल लूप कैरियर प्रणाली की अधिप्राप्ति आवश्यकता के बिना की परिणामस्वरूप 4.91 करोड़ रू. मूल्य की डि लू कै का उपयोग नहीं हुआ/कम उपयोग हुआ।**

एसेस नेटवर्क में डिजिटल लूप कैरियर (डि लू कै) प्रणालियों का उपयोग सेवायें[•] उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतिष्ठापित केबिल संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिये किया जाता है जहां अभिदाता

[$] 1. कुरनूल, 2. महबूबनगर, 3. नेल्लौर, 4. श्रीकाकुलम तथा 5. वारांगल

[•] दूरभाष सेवायें, एकीकृत सेवायें डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेट, वीडियो कानफ्रेंसिंग, मांग पर वीडियो तथा अन्य मूल्य वर्धित सेवायें

घनत्व अधिक है जैसे उच्च उन्नत भवन, कार्यालय परिसर या शापिंग सेन्टर। डि लू कै प्रणालियों का उपयोग उपभोक्ताओं को पट्टे पर दी गई लाइनें व उच्च गति के डेटा परिपथ उपलब्ध कराने के लिये किया जा सकता है। डि लू कै प्रणाली में एक केन्द्रीय कार्यालय टर्मिनल (के का ट) होता है जिसे दूरभाष एक्सचेंज परिसर में प्रतिष्ठापित किया जाता है और इसे आप्टीकल फाइबर केबल द्वारा रिपोर्ट टर्मिनल (रि ट) से जोड़ा जाता है और अभिदाता को रि ट से जोड़ा जाता है जो कि आप्टीकल फाइबर लाइन व अभिदाता लाइन के मध्य एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। सामान्यतः डि लू कै प्रणालियों में एकल के का ट समाकृति है जो कई रि ट को सहारा देता है। रि ट में 30,120,240 अथवा 480 लाइनों की क्षमता हो सकती है और आवश्यकता पर निर्भर रहकर क्षमता का चयन किया जा सकता है। जुलाई 2005 मे, भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय के ध्यान में आया कि डि लू कै प्रणालियों का उपयोग खराब था और अपनी सभी फील्ड यूनिटों को अनुदेश दिया कि वे तीन से चार माह के भीतर मानीटर करें और 80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करें।

राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत उदयपुर, कोटा, जयपुर तथा जोधपुर सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि भा सं नि लि कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा केन्द्रीकृत आबंटन पर आधारित इन सै स्वी क्षे ने नौ के का ट तथा 32 रि ट के साथ नौ डि लू कै प्रणालियां अधिप्राप्त की थीं और मार्च 2003 तथा जनवरी 2007 के मध्य उन्हें प्रतिष्ठापित किया। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि कॉरपोरेट कार्यालय में अपनी आवश्यकता का प्रक्षेपण करते समय (जून 2002) राजस्थान दूरसंचार परिमंडल को 480 लाइनों के बजाय 240 लाइनों की क्षमता वाले रि ट की आवश्यकता थी जो कि राजस्थान में डि लू कै प्रणालियों के माध्यम से सेवाओं के लिये अपर्याप्त मांग के कारण थी। तथापि, राजस्थान दूरसंचार परिमंडल ने उचित रि ट क्षमता पर निर्णय लेते समय, सम्भाव्य उपभोक्ताओं के किसी बाजार सर्वेक्षण पर अपनी आवश्यकता को आधार नहीं बनाया। कॉरपोरेट कार्यालय ने 480 लाइनों की क्षमता वाले रि ट आबंटित किये जो कि चार सै स्वी क्षे द्वारा अधिप्राप्त व प्रतिष्ठापित किये गये। लेखापरीक्षा को ज्ञात हुआ कि डि लू कै प्रणालियों का क्षमता उपयोग खराब रही और कॉरपोरेट कार्यालय के अनुदेशों के बावजूद भी, सै स्वी क्षे इसमें सुधार नहीं कर सका था। तीन रि ट का क्षमता उपयोग शून्य था, 32 में से 20 रि ट का उपयोग 35 प्रतिशत से नीचे थे और 2007–08 में सभी रि ट का समग्र उपयोग 33 प्रतिशत था **(परिशिष्ट–XVII)**। इस प्रकार, कॉरपोरेट कार्यालय तथा राजस्थान दूरसंचार परिमंडल कार्यालय के मध्य समन्वय की कमी के कारण उच्चतर क्षमता की रि ट की अधिप्राप्ति हुई परिणामस्वरूप डि लू कै प्रणालियों का उपयोग नहीं हुआ/कम हुआ और उनकी अधिप्राप्ति पर 4.91 करोड़ रू. का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ **(परिशिष्ट–XVIII)**।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) राजस्थान दूरसंचार परिमंडल ने बताया (मई 2008) कि डि लू कै प्रणालियां 21वीं सदी के प्रारम्भ में मांग पर विचार करने पर अधिप्राप्त की गई थीं जो कि अभिदाता घनत्व, उच्च उन्नत भवन, शापिंग व कार्यालय परिसरों की वृद्धि से संबंधित तथ्यपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित थी। यह भी कहा गया था कि भा सं नि लि तथा अन्य सेवा सम्भरकों द्वारा हाल के वर्षों में आरम्भ की गई मोबाइल सेवाओं के विस्तार के कारण डि लू कै प्रणालियों की उचित लोडिंग प्राप्त नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जून 2002 में राजस्थान दूरसंचार परिमंडल में डि लू कै प्रणालियों के लिये निम्नतर मांग का पूर्वानुमान था लेकिन 480 लाइनों की क्षमता वाले रि ट अंतिम रूप से अधिप्राप्त किये। इसके अतिरिक्त, डि लू कै प्रणालियों के उपयोग पर मोबाइल क्रान्ति (परिवर्तन) में सीधा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह विविध परिवर्तित सेवायें जैसे पट्टे पर दी गई लाइनें, डेटा परिपथ जिसे मोबाइल सेवायें उपलब्ध नहीं करा सकती, की सम्भाल कर सकता है। इसलिये तथ्य यह है कि डि लू कै प्रणालियों का इष्टतम उपयोग इनके चालू किये जाने के तीन से पांच वर्षों की समयाविधि के बीत जाने के बाद भी किया जाना है।

इस प्रकार, भा सं नि लि कॉरपोरेट कार्यालय तथा राजस्थान दूरसंचार परिमंडल डि लू कै प्रणालियां अधिप्राप्त करने से पहले मांग का मूल्यांकन करने में विफल रहे, इससे अधिक अधिप्राप्ति हुई तथा प्रणालियों का उपयोग नहीं हुआ/कम हुआ। इसके परिणामस्वरूप अधिप्राप्ति पर 4.91 करोड़ रू. का अविवकपूर्ण व्यय हुआ।

जुलाई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.8 भाड़े पर कार्मिक लेने से अनियमित अतिरिक्त व्यय

**मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दूरंसचार क्षेत्र के अन्तर्गत चार सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों ने अवसंरचनात्मक अनुरक्षण तथा रख–रखाव सेवाओं हेतु संस्वीकृत संख्या से अधिक कार्मिकों को भाड़े पर लिया, परिणामस्वरूप 3.70 करोड़ रू. का अनियमित अतिरिक्त व्यय हुआ।**

भारत संचार निगम लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग द्वारा गठित वर्ग 'घ' कर्मचारियों के संबंध में स्टाफ मानक का पालन किया। इन मानकों के आधार पर, सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों (सै स्वी क्षे) के लिये वर्ग 'घ' पद संस्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्यालय के अनुदेश अवसंरचनात्मक सेवाओं के लिये भाड़े पर लगे हुये कार्मिकों पर व्यय की अनुमति नहीं देते हैं। कॉरपोरेट कार्यालय के दिशानिर्देशों के आधार पर, मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक ने अपने सै स्वी क्षे को अनुदेश दिये कि वे अवसंरचनात्मक अनुरक्षण के लिये कार्मिकों को भाड़े पर न लें तथा यह भी अनुदेश दिये कि वे रख रखाव सेवाओं जैसे गृह पालन, बागवानी तथा स्वच्छता के लिये कार्मिक लगाने पर वर्ग 'घ' संवर्ग में रिक्तियों को संख्या के अनुसार प्रतिबन्ध लगायें।

मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत झाबुआ, मंदसौर रतलाम सै स्वी क्षे तथा छत्तीसगढ़ दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत अम्बिकापुर सै स्वी क्षे के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई से दिसंबर 2007) से पता चला कि 2003–08 के दौरान अवसंरचना अनुरक्षण तथा रखरखाव सेवाओं के लिये वर्ग 'घ' संवर्ग की संस्वीकृत संख्या से अधिक 30 से 172 निजी कार्मिक भाड़े पर लिये गये थे। इसके परिणामस्वरूप अनुज्ञेय सीमा से बाहर भाड़े पर अधिक कार्मिक लिये जाने पर 3.70 करोड़ रू. का अनियमित अतिरिक्त व्यय हुआ **(परिशिष्ट XIX)**। लेखापरीक्षा के ध्यान में यह भी आया कि परिमंडल कार्यालय सै स्वी क्षे द्वारा अधिक कार्मिकों के लगाये जाने पर मानीटर करने तथा उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण करने में विफल रहा, इसके अतिरिक्त कारपोरेट कार्यालय द्वारा अवसंरचना अनुरक्षण के लिये कार्मिकों के लगाये जाने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंडलीय अभियंता (मं अ) (आयोजना) रतलाम ने बताया (जुलाई 2007) कि 141 न्यायसंगत वर्ग 'घ' रिक्तियों की कमी थी और कार्मिकों को भाड़े पर लिये जाने पर किये गये व्यय के साथ इसकी सूचना समय–2 पर परिमंडल कार्यालय को दे दी गई थी। मं अ (आयोजना) मंदसौर ने बताया कि बहुत से दूरभाष एक्सचेंज में स्टाफ की प्रखर कमी के कारण कार्यचालन कर्मीदल–रहित था। यह भी बताया गया था कि दोष दर के कड़े लक्ष्य तथा निजी आपरेटर से प्रतिस्पर्धा के साथ यह सम्भव नहीं था कि गृह व्यवस्था, स्वच्छता, बागवानी व अनुरक्षण के लिये कार्मिकों को लगाये बिना प्रणाली की व्यवस्था की जाये। अन्य दो सै स्वी क्षे ने बताया कि नियमित फील्ड स्टाफ की कमी के कारण दूरभाष एक्सचेंज के रख रखाव व अनुरक्षण के लिये लोगों को लगाया गया था। मं अ, रतलाम का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिमंडल कार्यालय मानक, आवश्यकता व औचित्य के आधार पर सै स्वी क्षे के लिये संस्वीकृत संख्या का अनुमोदन करता है जिसने रतलाम सै स्वी क्षे के लिये वर्ग 'घ' के केवल 33 पदों को संस्वीकृत किया था। शेष तीन सै स्वी क्षे ने रिपोर्ट दी कि अवसंरचना अनुरक्षण के लिये भाड़े पर लगाये गये

कार्मिकों का उपयोग किया जा रहा था। कारपोरेट कार्यालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है और वर्ग 'घ' कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या के अतिरिक्त कार्मिकों को भाड़े पर लेना उचित नहीं बताया गया है।

इस प्रकार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत सै स्वी क्षे द्वारा वर्ग 'घ' की संस्वीकृत संख्या से अधिक तथा अवसंरचना अनुरक्षण सेवाओं के लिये कार्मिकों को भाड़े पर लेने के परिणामस्वरूप 2003–2008 वर्ष के दौरान 3.70 करोड़ रू. का अनियमित अतिरिक्त व्यय हुआ।

मई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.9 पूर्तिकारों को अनुचित लाभ

**फोर्स माज्योर खंड के अन्तर्गत पी आई जे एफ केबिल की आपूर्ति के लिये मूल सुपुर्दगी अवधि का गलत पुनःनिर्धारण किये जाने तथा केरल दूरसंचार परिमंडल द्वारा उच्चतर दरों पर भुगतान को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप पूर्तिकारों को 2.25 करोड़ रू. का अधिक भुगतान।**

आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल ने तीन फर्मों• को क्रय आदेश (क्र आ) दिये (नवम्बर 2001) तथा कारपोरेट कार्यालय के अनुदेशों के आधार पर 3465 कि मी पोलिथिलीन इनसुलेटिड जैली युक्त (पी आई जे एफ) केबिलों का अपवर्तन केरल दूरसंचार परिमंडल में किया (फरवरी 2002)। केबिलों की आपूर्ति के लिये सुपुर्दगी अनुसूची 1 नवम्बर 2001 से 30 अप्रैल 2002 तक छः माह की अवधि के लिये थी। फर्म गुजरात में स्थित थी तथा साम्प्रदायिक दंगों के कारण विशेष सुपुर्दगी अनुसूची के भीतर केबिल की आपूर्ति नहीं हो सकी थी। मार्च 2003 में, भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय ने तीन फर्मों के लिये मासिक सुपुर्दगी अवधि फोर्स माज्योर खंड के अन्तर्गत निम्नलिखित दो शर्तों के साथ बढ़ाई :

1) जहां नियत/अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि अथवा इसका भाग 28.2.2002 से 23.4.2002 के बीच की अवधि के दौरान पड़ता है, मूल मासिक अनुसूचित सुपुर्दगी तारीख की पूर्णता की तारीख से 55 दिनों तक मूल अनुसूचित मासिक सुपुर्दगी अवधि पुनः निर्धारित हो जाएगी।

2) क्र आ के लिये जहां आपूर्ति विस्तार/अनन्तिम विस्तार के अभाव में मूल सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के कारण नहीं की जा सकती थी, विस्तार/अनन्तिम विस्तार की तारीख से 55 दिनों की अवधि दी जायेगी।

भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय ने स्पष्ट किया (जनवरी 2005) कि फोर्स माज्योर खंड के अन्तर्गत विस्तार की अवधि के दौरान प्राप्त केबिलों के लिये 2001–02 की निविदा की कीमतें लागू होगी एवं अन्य के लिये 2002–03 की निविदा की दरें लगेगी। 2001–02 की निविदा के लिये पी आई जे एफ केबिलों की कीमत 2002–03 निविदा से उच्चतर थी।

केरल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत आठ* सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2007 से जनवरी 2008) से पता चला कि सै स्वी क्षे ने फोर्स माज्योर खंड के अन्तर्गत सुपुर्दगी अनुसूची, मूल सुपुर्दगी अवधि जिस तारीख में फर्मों को विस्तार दिया अर्थात् 30 अप्रैल 2002 के बजाय केरल दूरसंचार परिमंडल द्वारा दी गई तारीख अर्थात् 27 सितम्बर 2002 से

---

• जी टी सी एल मोबाइल कम टैक्नॉलॉजी लिमिटेड, जी टी सी एल लिमिटेड तथा आर एच पी केबिल तथा उद्योग लिमिटेड

*कालीकट, पलकड, कोट्टायम, तिरूवाला, मालापुरम, अलाप्पझा, त्रिवेन्द्रम एवं कन्नूर सै स्वी क्षे

पुनः गलत तय की थी। जैसाकि केरल दूरसंचार परिमंडल ने अतिरिक्त चार माह अर्थात् मई से अगस्त तक की अनुमति दी थी और सितम्बर 2002 से सुपुर्दगी अनुसूची पुनः तय की थी, अक्तूबर तथा नवम्बर 2002 के दौरान 1856 कि मी पी आई जे एफ केबिलों की आपूर्ति के लिय 2001–02 निविदा की उच्चतर दरों पर आपूर्तिकर्ता फर्मों को भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2.25 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ तथा फार्मों को अनुचित लाभ हुआ **(परिशिष्ट–XX तथा XXI)**।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, उप महाप्रबंधक (आयोजना) केरल दूरसंचार परिमंडल ने बताया मार्च (2008) कि कारपोरेट कार्यालय की दूसरी शर्त के अनुसार क्र आ प्रकरण में, जहां आपूर्ति विस्तार के अभाव में, मूल सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के कारण नहीं की जा सकती थी, विस्तार की तारीख से 55 दिनों की अवधि दी जायेगी। इस प्रकार लेखापरीक्षा की टिप्पणी है कि पुनः अनुसूचित तारीख जो 30 अप्रैल 2002 की सुपुर्दगी की मूल तारीख से 55 दिन होनी थी, स्वीकार नहीं की जा सकती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 28 फरवरी 2002 से 23 अप्रैल 2002 के मध्य दंगे थे और मूल सुपुर्दगी अवधि 30 अप्रैल 2002 तक समाप्त नहीं हुई थी। इसलिये, कारपोरेट कार्यालय की पहली शर्त लागू की जायेगी तथा मासिक सुपुर्दगी अवधि की पुनः अनुसूची 30 अप्रैल 2002 के सन्दर्भ में होनी चाहिये, जैसा कि **परिशिष्ट–XX** में दर्शाया गया।

इस प्रकार, केरल दूरसंचार परिमंडल द्वारा फोर्स माज्योर के अन्तर्गत मूल सुपुर्दगी अवधि के पुनः गलत निर्धारण किये जाने के परिणामस्वरूप 2.25 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ और पूर्तिकारों को अनुचित लाभ हुआ।

अगस्त 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.10 निगम कार्यालय के अनुदेशों का अनुपालन करने में विफलता

**भा सं नि लि निगम कार्यालय के अनुदेशों में व्यवस्था है कि ठेकेदारों को भुगतान से पहले खम्भा रहित केबिल नेटवर्क के लिये स्वीकरण जांच पूर्ण की जानी चाहिये। उड़ीसा दूरसंचार परिमंडल में तीन सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों ने ठेकेदार को स्वीकरण जांच किये बिना 2.10 करोड़ रू. का अनियमित रूप से भुगतान किया।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) के मानकों में व्यवस्था है कि तकनीकी व विकास (त तथा वि) परिमंडल द्वारा स्वीकरण जांच (स्वी जां) के माध्यम से 100 प्रतिशत जांच की शर्त पर खम्भा रहित केबिल नेटवर्क का भार अपने ऊपर सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों (सै स्वी क्षे) द्वारा लिया गया था। 2006 में भा सं नि लि निगम कार्यालय ने फिर से बताया कि खम्भा रहित कार्यकलाप पर्यवेक्षण की उच्च गुणता तैयार करके किये जाने चाहिये ताकि दोष दर में कमी हो और लैंड लाइन सेवा की गुणता में सुधार हो। यह भी निर्देश दिया गया था कि खम्भा रहित कार्य के लिये स्वी/जां पिलर वार दिया जाना था और भुगतान स्वी/जां के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही किया जाना था।

उड़ीसा परिमंडल में भुवनेश्वर, कोरापुट व राउरकेला सै स्वी क्षे के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2004–08 के दौरान 69 प्राक्कलनों से संबंधित खम्भा रहित कार्य निष्पादित किये गये थे और स्वी/जां की आवश्यक पूर्णता के बिना ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया था। इसक परिणामस्वरूप 2.10 करोड़ रू. का अनियमित भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा के ध्यान में यह भी आया कि सै स्वी क्षे के पास कोई विश्वसनीय नियंत्रण कार्यविधि नहीं थी जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि त व वि परिमंडल द्वारा स्वी/जां की संतोषजनक पूर्णता के बाद ही भुगतान किया गया है।

यह इंगित किये जाने पर, कोरापुट सै स्वी क्षे ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (नवम्बर 2007) कि इसके बाद स्वी/जां की सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद ही बिल पारित किये जायेंगे। भुवनेश्वर सै स्वी क्षे ने बताया (फरवरी 2008) कि अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा। राउरकेला सै स्वी क्षे ने उल्लेख किया (जनवरी 2008) कि पिलर के निष्पादन के लिये ज्वाइन्टिंग सामग्री व पर्याप्त 5 युग्म केबिल की गैर उपलब्धता के कारण स्वी/जां नहीं की जा सकती थी। यह भी बताया गया था कि चालू बिलों का भुगतान किया जा रहा था और प्राक्कलनों की पूर्णता से पहले, स्वी/जां पूरी हो जायेगी। उत्तर सही स्थिति नहीं दर्शाता है क्योंकि दो वर्षों के बाद भी, 2004–06 के दौरान राउरकेला सै स्वी क्षे में पूरे किये गये कार्यों की स्वीकृति जांच नहीं हो सकी थी। इसके अतिरिक्त, निगम कार्यालय ने स्वी/जां पिलर बार (अनुसार) की पूर्णता के अनुदेश दिये थे और स्वी/जां की पूर्णता के बाद चालू बिलों का पिलर वार भुगतान किया जा सकता था।

इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी से स्वी/जां के बिना बिलों के भुगतान के परिणामस्वरूप 2.10 करोड़ रू. का न केवल अनियमित भुगतान हुआ बल्कि सेवा की बेहतर गुणता प्राप्त करने के लिये निगम कार्यालय के निर्णायक चिन्ह से समझौता भी किया।

जुलाई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.11 सुरक्षा गार्ड की तैनाती पर परिहार्य अनियमित व्यय

**मुख्य महाप्रबंधक, कर्नाटक दूरसंचार परिमंडल ने निगम कार्यालय के अनूदेशों के उल्लंघन में गैर भा सं नि लि बे ट्रा–रि स्टे स्थलों के लिये सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनुमोदित की परिणामस्वरूप 2005–08 की अवधि के दौरान 1.74 करोड़ रू. का परिहार्य अनियमित व्यय हुआ।**

भा सं नि लि निगम कार्यालय ने कुछ दूरसंचार परिमंडलों द्वारा मोबाइल संचार नेटवर्क हेतु ग्लोबल प्रणाली से संबंधित गैर भा सं नि लि बेस ट्रान्स रिसीवर स्टेशन (बे ट्रा–रि स्टेशन) स्थलों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती पर समीक्षा की तथा निर्णय किया (अप्रैल 2005) कि शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर भा सं नि लि स्थलों में ऐसे सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किये जाने चाहिये। तदनुसार, निगम कार्यालय ने दूरसंचार परिमंडलों के सभी मुख्य महाप्रबंधक (मु म प्र) के लिये इसका पालन करने हेतु अनुदेश जारी किये थे।

महाप्रबंधक (विकास), मोबाइल सेवा (म प्र मो से), बंगलोर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2008) से पता चला कि मु म प्र कर्नाटक दूरसंचार परिमंडल ने बंगलोर में स्थित गैर भा सं नि लि बे ट्रा–रि स्टे स्थलों में 180 सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनुमोदित की (जुलाई 2005)। निगम कार्यालय के अनुदेशों के उल्लंघन में सुरक्षा गार्ड की तैनाती के परिणामस्वरूप 2005–08 की अवधि के दौरान 1.74 करोड़ रू. का परिहार्य अनियमित व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, उप महाप्रबंधक, मोबाइल सेवा बंगलोर ने बताया (जनवरी 2008) कि गार्ड किसी विशेष स्थल के लिये नहीं थे और समीपवर्ती आस–पड़ोस में गैर भा सं नि लि स्थलों पर गश्त लगाने के लिये एकत्रित करके समूह बनाये गये थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि ये क्षेत्र चोरी सम्भावित क्षेत्र थे और कुछ स्थलों ने चोरी की रिपोर्ट की थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया था कि इन क्षेत्रों में बिजली की स्थिति भी नियमित मानीटरिंग तथा नियमित हस्तचालित प्रचालनों को आश्वासन दिया और इसलिये सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये थे।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि भा सं नि लि निगम कार्यालय ने उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद 2005 में एक पालिसी निर्णय लिया कि शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर भा सं नि लि स्थलों में सुरक्षा गार्ड नियुक्त नहीं किये जायें। इसके अतिरिक्त निगम कार्यालय ने फील्ड इकाइयों को अनुदेश दिये कि वे कर्मीदल रहित गैर भा सं नि लि स्थलों के कार्य का मानीटर केन्द्रीकृत रूप से करें और डीजल भरने तथा नेमी प्रकृति के निरीक्षणों के लिये भी शहर में गैर भा सं नि लि बे ट्रा–रि स्टे स्थलों के समूह के लिये समर्पित स्टाफ रखें।

इस प्रकार निगम कार्यालय के अनुदेशों के उल्लंघन में सुरक्षा गार्ड की तैनाती के परिणामस्वरूप 2005–08 की अवधि के दौरान 1.74 करोड़ रू. का परिहार्य अनियमित व्यय हुआ।

मई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)

## 3.12 क भ नि योजना की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता

**महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल 2000 से क भ नि योजना के अन्तर्गत आने वाले अपने कर्मचारियों की निश्चित श्रेणी से क भ नि अंशदान वसूलने में विफल रहा परिणामस्वरूप 2.58 करोड़ रू. के प्रेषण में विलम्ब हुआ जिसमें क भ नि प्राधिकारियों के लिये 1.37 करोड़ रू. नियोक्ता का अंशदान शामिल है।**

कर्मचारियों की भविष्य निधि (क भ नि) योजना 1952 में आवश्यक है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक नियोक्ता जो इस योजना के अन्तर्गत आता है को कर्मचारियों का एवं नियोक्ता का अंशदान क भ नि मे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षे भ नि आ) के साथ अंशदान माह की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर जिस माह से अंशदान संबंधित है जमा करें। ऐसे प्रकरण में, यदि नियोक्ता विफल होता है, तो वह कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के संबंधित अनुच्छेद के अन्तर्गत विलम्बित भुगतान के लिये ब्याज व नुकसान के लिये उत्तरदायी है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) निगम कार्यालय ने स्पष्ट किया (मई/जून 2007) कि 1 अक्तूबर 2000 से पहले दूरसंचार विभाग (दू वि) में जिन आकस्मिक श्रमिकों की स्थिति स्थायी नहीं थी उन्हें भा सं नि लि में नियमित कर दिया गया था और 30 सितम्बर 2000 के बाद भा सं नि लि द्वारा 'अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों' को क भ नि योजना के अन्तर्गत कवरेज के लिये भा सं नि लि का भर्ती कर्मचारी समझा जायेगा। यह भी अनुदेश दिया था (जून 2007) कि मई 2007 तक उनकी नियुक्ति की तारीख से क भ नि देयों के बकाया 30 जून 2007 तक क भ नि संगठन के साथ जमा किया जाना था।

महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल कार्यालय के रायगढ़ तथा कल्याण सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेख और 12• सै स्वी क्षे से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवम्बर 2007 तथा अप्रैल 2008) से पता चला कि कॉरपोरेट कार्यालय के अनुदेशों के विपरीत, यूनिट अक्तूबर 2000 से संबंधित कर्मचारियों से 1.21 करोड़ रू. का क भ नि अंशदान का बकाया वसूलने में विफल रही तथा क भ नि प्राधिकारियों के लिये नियोक्ता का 1.37 करोड़ रू. का क भ नि योगदान का भाग के साथ इसे प्रेषित करने में भी विफल रही। इसके परिणामस्वरूप, अक्तूबर 2000 से अगस्त 2007 की अवधि के लिये 2.58 करोड़ रू. के क भ नि देयों का गैर प्रेषण हुआ, इसके अतिरिक्त

• अहमदनगर, धुले, गोआ, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नासिक,रत्नागिरी, सांगली, संवतवाड़ी एवं वरधा

सांविधिक आवश्यकताओं का गैर अनुपालन, विलम्बित भुगतान पर शास्ति व ब्याज को बढ़ावा मिला।

क भ नि के प्रेषण के लिये लेखापरीक्षा द्वारा निरन्तर अनुसरण करने पर प्रबन्धन ने कार्यवाही की तथा महाप्रबंधक (वित्त) महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल ने कर्मचारी के भाग सहित 2.44 करोड़ रू. के भुगतान की पुष्टि करते समय (अगस्त 2008) बताया कि संबंधित कर्मचारी से क भ नि देयों के बकाया उनके वेतन से वसूला जायेगा। उत्तर में महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल द्वारा खराब मानीटरिंग व नियंत्रण लक्षित होता है।

जून 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)

## 3.13 उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन का अधिक भुगतान

**भारत संचार निगम लिमिटेड के वर्ग क व ख अधिकारियों को वर्ष 2002–03 के लिये उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन का भुगतान के मं भ के बजाय उच्चतर औ मं भ के आधार पर किया गया था जो कि कारपोरेट कार्यालय के अनुदेशों के उल्लंघन में था। जिसके कारण 1.72 करोड़ रू. के उ जु प्रो को अधिक भुगतान हुआ।**

भारत संचार निगम लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालय ने वर्ष 2002–03 के लिये अपने वर्ग 'क' व 'ख' अधिकारियों को 1 मार्च 2003 को उनके न्यूनतम वेतनमान पर एक माह के बेसिक वेतन के तीन–चौथाई के समकक्ष तदर्थ उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन (पी एल आई) संस्वीकृत किया (सितम्बर 2003) जो कि न्यूनतम 6,428 रू. और अधिकतम 7,500 रू. की शर्त पर था। न्यूनतम 8,570 रू. और अधिकतम 10,000 रू. की शर्त पर 2002–03 के लिये पी एल आई का अंतिम भुगतान की घोषणा उनके संबंधित वेतनमान में न्यूनतम पर एक माह के बेसिक वेतन के रूप में की गई थी (फरवरी 2006)।

अक्तूबर 2006 में, भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2002–03 के लिये वर्ग 'क' व 'ख' अधिकारियों को पी एल आई केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (के मं भ) वेतनमान पर स्वीकार्य थी, न कि औद्योगिक मंहगाई भत्ता (औ मं भ) वेतनमान पर। यह भी अनुदेश दिया गया था कि उच्चतर औ मं भ वेतनमान पर आधारित पी एल आई का अधिक भुगतान संबंधित कर्मचारियों से वसूला जाना था।

25 दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2007–अप्रैल 2008) से पता चला कि सै स्वी क्षे ने कारपोरेट कार्यालय के अनुदेशों के उल्लंघन में पी एल आई के शेष 25 प्रतिशत का भुगतान के मं भ वेतनमान के बजाय औ मं भ पर आधारित वेतनमान से किया। लेखापरीक्षा के ध्यान में यह भी आया कि अधिक भुगतान वसूलने में कारपोरेट कार्यालय के अनुदेशों के बावजूद भी, सै स्वी क्षे ऐसा करने में विफल रहे जिससे सै स्वी क्षे में खराब नियंत्रण लक्षित होता है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002–03 के लिये 1.72 करोड़ रू. के पी एल आई का अधिक भुगतान हुआ **(परिशिष्ट XXII)**।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, सै स्वी क्षे ने अधिक भुगतान स्वीकार करते समय बताया कि इसे वसूला जायेगा।

मई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)

## 3.14 ठेकेदार को अनुचित लाभ

**हैदराबाद दूरसंचार जिला मुद्रित पृष्ठों की संख्या के आधार पर दूरभाष निर्देशिका के मुद्रण और आपूर्ति के भुगतान का नियमन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 95.55 लाख रू. का अधिक भुगतान।**

हैदराबाद दूरसंचार जिला (है दू जि) ने अक्तूबर 2003 में खुली निविदा पर आधारित एक करार इंडियाकॉम लिमिटेड के साथ किया था जो कि तीन द्विवार्षिक मुख्य दूरभाष निर्देशिका तथा दो अनुपूरक दूरभाष निर्देशिका तथा 2003• तथा 2005* में क्रमशः 2.73 लाख व 2.25 लाख मुख्य दूरभाष निर्देशिका की मुद्रित प्रतियां तथा 2005 में अनुपूरक निर्देशिका के जारी करने के लिये था।

निविदा ने यह निर्धारित किया था कि 7.28 लाख सीधी एक्सचेंज लाइन (सी एक्स ला) के अभिदाताओं से संबंधित प्रविष्टियां प्रत्येक निर्देशिका में प्रत्येक पृष्ठ के तकनीकी विनिर्देशनों के साथ मुद्रित की जानी थी तथा मामले को मुद्रित किया जाना था। यह भी विशेष तौर पर बताया गया था कि मुद्रण से पहले निविदा में दिये गये विनिर्देशनों के अनुसार निर्देशिका के प्रत्येक निर्गम के मुद्रित पृष्ठों का एक नमूना जो कि कालम प्रथक्करण तथा प्रति कॉलम प्रविष्टि की संख्या से संबंधित है, प्रधान महाप्रबंधक (प्र म प्र) है दू जि से अनुमोदित करवाना चाहिये। निविदा में भी विशेष रूप से दूरभाष निर्देशिका के पृष्ठों की संख्या का उल्लेख नहीं था। प्र म प्र है दू जि ने तीन कॉलम में कारोबारी सूची तथा प्रति पृष्ठ 424 प्रविष्टियों के साथ चार कॉलम में आवासीय सूची का मुद्रण अनुमोदित किया। प्रति पृष्ठ प्रविष्टियों की संख्या के आधार पर बातचीत समिति ने प्रति निर्देशिका 1924 पृष्ठों का हिसाब किया तथा मुख्य निर्देशिका 2003, 2005 व 2007 के लिये क्रमशः 140 रू, 148 रू. तथा 159 रू. पर दरों को अंतिम रूप दिया।

निविदा अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2007) तथा है दू जि के मुख्य निर्गम 2003 व 2005 की मुद्रित प्रति से पता चला कि प्रति पृष्ठ 424 प्रविष्टियों के मानक के विरूद्ध प्र म प्र है दू जि ने 500 प्रविष्टियों से अधिक मुद्रित पृष्ठों का नमूना अनुमोदित किया। प्रति पृष्ठ प्रविष्टियों की संख्या में वृद्धि के परिणामतः 2003 व 2005 की निर्देशिका के लिये प्रति निर्देशिका पृष्ठों की संख्या क्रमशः 1730 तथा 1425 पृष्ठों तक कम करवा दी गई थी यह दरों को अंतिम रूप दिये जाने के आधार पर प्रति निर्देशिका 1924 पृष्ठों के मानक के विरूद्ध थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार द्वारा पहले से और कम पृष्ठों वाली निर्देशिका का मुद्रण हुआ और परिणामतः कम्पनी को 95.55 लाख रू. की हानि हुई **(परिशिष्ट–XXIII)**।

यह इंगित किये जाने पर सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्यिक सेवा) है दू जि ने बताया (अक्तूबर 2007) कि ठेकेदार के साथ निर्देशिका का मुद्रण करते समय किसी अवस्था में भी बिना किसी व्यतिक्रम के करार का पूर्णतया पालन किया गया था। उसने यह भी बताया कि पृष्ठों की संख्या को ध्यान में न रखकर सात लाख डेल (डी इ एल) की सी एक्स ला की संख्या के आधार मूलभूत दर तय की गई थी। इसके अतिरिक्त मूलभूत दर केवल डेल (डी इ एल) की वृद्धि या कमी पर संशोधित की गई थी, वास्तविक रूप से मुद्रित पृष्ठों की संख्या पर नहीं।

उत्तर विश्वसोत्पादक नहीं है क्योंकि प्रति निर्देशिका मूलभूत दर को प्रति पृष्ठ 424 प्रविष्टियां तथा प्रति निर्देशिका 1924 पृष्ठों के संदर्भ में तय किया गया था। इसलिये प्रविष्टियों की संख्या में वृद्धि करके व 1924 पृष्ठों के आधार पर तय दरों पर भुगतान करके पृष्ठों की कम करना क्रम में नहीं था। इसके अतिरिक्त दूरभाष निर्देशिका के मुद्रण की मुख्य लागत का हिसाब पृष्ठों की संख्या पर है और भुगतान का विनियमन डेल (डी इ एल) की संख्या के आधार पर बगैर कुल पृष्ठों की

---

• वास्तव में 2003 निर्गम 2004 में मुद्रित किया गया था

* वास्तव में 2005 निर्गम 2006 में मुद्रित किया गया था

संख्या जो वास्तव में उपयोग की गई थी को ध्यान में रखकर किया गया जो ठेकेदार को अनुचित लाभ बढ़ाना बनता था।

इस प्रकार है दू जि वास्तविक रूप से मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या पर आधारित दूरभाष निर्देशिका के मुद्रण व आपूर्ति के लिये भुगतान नियमित करने में विफल रहा परिणामस्वरूप 95.55 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

मई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.15 कोरडेक्ट डब्ल्यू एल एल प्रणाली का निष्क्रिय होना

**अप्रचलित तथा प्रयुक्त कोरडेक्ट बेतार लोकल लूप एक्सचेंज जो नागपुर में चालू किये गये थे, ने कार्य नहीं किया, परिणामस्वरूप 84.50 लाख रू. का निष्क्रिय निवेश हुआ।**

महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत प्रधान महाप्रबंधक दूरभाष (प्र म प्र दू) ने नरेन्द्र नगर में 1.16 करोड़ रू. की लागत पर 1 के• लाइन कोरडेक्ट♦ बेतार लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) एक्सचेंज के प्रतिष्ठापन के लिये एक परियोजना प्राक्कलन संस्वीकृत किया (जुलाई 2006)। फरवरी 2002 में एक्सचेंज उपस्कर मूल रूप में कल्याण में प्रतिष्ठापित किये गये और मई 2005 में निकालकर नागपुर में हस्तांतरित कर दिये गये थे। परियोजना प्राक्कलन में यह व्यवस्था दी गई थी कि प्रतिष्ठापन कार्य 25 कि मी के कवरेज क्षेत्र के साथ उपस्कर की प्राप्ति के तीन महीनों के भीतर पूरा किया जायेगा। परियोजना प्राक्कलन ने एक्सचेंज चालू होने पर 45 लाख रू. वार्षिक निवल लाभ पर विचार किया।

प्र म प्र दू नागपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2007) से पता चला कि एक्सचेंज चालू करने तथा संचालन में तकनीकी समस्याओं के अतिरिक्त एक्सचेंज प्रतिष्ठापन में विलम्ब था। लेखापरीक्षा को ज्ञात हुआ कि यद्यपि मई 2005 में उपस्कर प्राप्त किया गया था, एक्सचेंज जनवरी 2007 में ही नरेन्द्र नगर, नागपुर में चालू किया गया था एक्सचेंज चालू किये जाने के बाद भी, संयोजन नहीं दिये जा सकते थे, क्योंकि इसका कवरेज क्षेत्र मात्र पांच कि मी था और उपस्कर के साथ उपलब्ध कराये गये वाल सैट तथा बैटरी का जीवन पहले से ही समाप्त हो गया था। इसके अतिरिक्त, कोरडेक्ट डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी एक पुरानी प्रौद्योगिकी थी और 2004 से आगे एम एस सी पर आधारित सी डी एम ए* डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी व्यापक तरीके से भारत संचार निगम लिमिटेड में शुरू की गई। इसलिये 2005 में कल्याण से नागपुर में कोरडेक्ट डब्ल्यू एल एल एक्सचेंज के पुनः स्थापन का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था। इस प्रकार, अप्रचलित प्रौद्योगिकी के साथ चालू करने में विलम्ब से नरेन्द्र नगर, नागपुर में चालू किये गये एक्सचेंज का गैर उपयोग हुआ। परिणामस्वरूप, 84.50 लाख रू. का निष्क्रिय निवेश हुआ, इसके अतिरिक्त 45 लाख रू. वार्षिक पर परिकलित प्रक्षेपित लाभ कमाने के लिये अवसर गंवा दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, सहायक महाप्रबंधक (फोन) प्र म प्र दू नागपुर ने बताया (सितम्बर 2007) कि वाल सैट में प्रयुक्त बैटरी का प्रतिस्थापन प्राप्त करने के लिये महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल कार्यालय से अनुरोध किया गया था। यह भी आगे बताया गया था कि प्रणाली वार्षिक अनुरक्षण संविदा (वा अ सं) के अन्तर्गत नहीं थी और इसलिये प्रणाली को सुधारना तथा लोड़ करना सम्भव नहीं था। उत्तर विश्वासोत्पादक नहीं है क्योंकि उपस्कर की प्राप्ति के दो वर्षों

---

• 1 के– एक हजार

♦ डिजिटल एनहान्स कोर्डलैस टैलीकम्युनिकेशन प्रणाली

* कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस

के बाद भी, उपभोक्ताओं को संयोजन उपलब्ध नहीं कराये जा सके थे। इसके अतिरिक्त, कोरपोरेट कार्यालय ने कोरडेक्ट डब्ल्यू एल एल एक्सचेंज हटाने का निर्णय किया तथा इसलिये अप्रचलित होने के कारण नरेन्द्र नगर में एक्सचेंज ने अपनी और उपयोगिता भी गंवा दी।

इस प्रकार, अप्रचलित तथा प्रयुक्त कोरडेक्ट डब्ल्यू एल एल प्रणाली के स्थान परिवर्तन तथा विलम्ब से चालू होने के परिणामस्वरूप इसका गैर उपयोग हुआ तथा 84.50 लाख रू. का निष्क्रिय निवेश हुआ। कम्पनी ने 45 लाख रू. वार्षिक प्रक्षेपित लाभ अर्जित करने का अवसर भी गंवा दिया।

जुलाई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 3.16 लाइसेंसधारकों को कमीशन का अधिक भुगतान

**महाप्रबंधक दूरसंचार रांची द्वारा लाइसेंसधारकों को अनियमित भुगतान हुआ, परिणामतः 66.03 लाख रू. का अधिक भुगतान।**

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने अपनी लाइसेंसधारी पालिसी 2004 को सुपरसीड करते हुये नई बिक्री एवं वितरण पालिसी 2006 शुरू की थी (अगस्त 2006) इसे 01 सितम्बर 2006 से क्रियान्वित किया गया था। पालिसी के दिशा निर्देशों ने निर्धारित किया कि नई पालिसी में स्थानान्तरित होने के इच्छुक वर्तमान लाइसेंसधारियों के साथ करार निष्पादित किये जाने थे। इसके अतिरिक्त परिमंडलों के मुख्य महाप्रबंधक (मु म प्र) को प्राधिकृत किया कि वे कार्य पर आधारित अन्य वर्ष के लिये लाइसेंस के अधिकार में वृद्धि करें। एक लाख रू. और उससे अधिक पूर्व भुगतान रिचार्ज कूपन की बिक्री के लिये कमीशन के भुगतान की दर पूर्व पर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी गई थी और केवल लाइसेंसधारियों के साथ करार पर हस्ताक्षर की तारीख से कमीशन का भुगतान होना था।

झारखंड दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला रांची के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि नई पालिसी में विद्यमान लाइसेंसधारकों के हस्तांतरण के लिये नवम्बर 2006 में, मु म प्र द्वारा अनुमोदन जारी किया गया था, इसमें अनुदेश थे कि पालिसी के अनुसार कमीशन करार की हस्ताक्षर की तारीख से ही प्रभावी होना था। नवम्बर 2006 से मार्च 2007 के दौरान, नये करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे और लाइसेंसधारियों को शामिल किया गया था। इस बीच, मु म प्र ने सै स्वी क्षे को निर्देश दिया (जनवरी 2007) कि सै स्वी क्षे 1 सितम्बर 2006 के लिये करार की प्रभावी तारीख हस्तांतरित करने के लिये लाइसेंसधारियों के साथ पूरक करार करें, कॉरपोरेट कार्यालय के अनुदेशों के अनुसार, जिस तारीख से नई पालिसी क्रियान्वित की जाने के लिये मानी गई थी। छः में से चार सै स्वी क्षे ने मु म प्र के निर्देशों का पालन किया तथा लाइसेंसधारियों के साथ पूर्वव्याप्ति पूरक करार किया (जनवरी 2007 से जून 2007)। परिमंडल में 14 में से 10 लाइसेंसधारकों को करार पर हस्ताक्षर की वास्तविक तारीख से थोड़ा पहले, तीन से सात माह की रेंज में उच्चतर दरों पर कमीशन का भुगतान किया, परिणामतः 66.03 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट XXIV** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी (नकद) म प्र दू जि रांची ने बताया (जनवरी 2008) कि 1 सितम्बर 2006 से 22 सितम्बर 2006 की अवधि में भुगतान किये गये 20.34 लाख रू. का कमीशन वसूल कर लिया गया था। 45.69 लाख रू. की शेष राशि के वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

जुलाई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

# महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड

## अध्याय IV
## संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन

### 4.1 प्रस्तावना

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (कम्पनी) को नई दिल्ली स्थित अपने पंजीकृत एवं निगम कार्यालय के साथ फरवरी 1986 में निगमित किया गया तथा इसने प्रचालन का शुभारंभ पूर्ववर्ती दिल्ली संघ क्षेत्र एवं मुम्बई के तीनों नगरपालिका निगमों (यथा मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम और थाणे नगर निगम) के टेलीफोन नेटवर्क को (सार्वजनिक टेलीग्राफ सेवाओं के अतिरिक्त) दूरसंचार विभाग (दू वि) से इसके उत्तरदायित्वों के हस्तान्तरण के बाद किया। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली तथा मुम्बई में अपने नेटवर्क द्वारा मूलभूत दूरभाष सेवाओं के साथ, मूल्य वर्धित सेवाओं को जैसे इंटीग्रेटिड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आई एस डी एन) वायस मेल, इन्टरनेट टेलीफोनी, बेतार में लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) तथा सैल्यूलर मोबाइल सेवायें आदि उपलब्ध करा रहा है।

### 4.2 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रशासनिक एवं समग्र क्रियात्मक नियंत्रण निदेशक बोर्ड में निहित है जिसके अध्यक्ष चेयरमेन एवं प्रबन्धक निदेशक (चे एवं प्र नि) हैं, जिसको तकनीकी, वित्तीय एवं मानव संसाधन विभागों के प्रभार में तीन क्रियात्मक निदेशक तथा कम्पनी का एक सचिव कार्य में मदद करते हैं। कम्पनी की दिल्ली व मुम्बई इकाई की अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

### 4.3 निवेश तथा अर्जन

800 करोड़ रू. के प्राधिकृत इक्विटी पूंजी शेयर पूंजी के विरूद्ध 31 मार्च 2008 को 630 करोड़ रू. की प्रदत्त पूंजी है जिसमें 354.37 करोड़ रू. भारत सरकार द्वारा निवेशित है। उक्त निवेश (630 करोड़ रू.) का अर्जन कम्पनी द्वारा प्रदत्त लाभांश के रूप में 2003–04 से 2004–05 तक प्रत्येक वर्ष में 45 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2005–06 तथा 2007–08 में घटकर 40 प्रतिशत रह गया जैसा कि उप–पैराग्राफ 4.4.2 की तालिका में देखा जा सकता है।

### 4.4 भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन

#### 4.4.1 भौतिक निष्पादन

31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में प्रत्येक की समाप्ति पर कम्पनी का भौतिक निष्पादन निम्न था:

| दूरभाष नेटवर्क | 31 मार्च 2004 को | 31 मार्च 2005 को | 31 मार्च 2006 को | 31 मार्च 2007 को | 31 मार्च 2008 को |
|---|---|---|---|---|---|
| दूरभाष केन्द्रो की संख्या | 520 | 528 | 529 | 538 | 552 |
| सीधी एक्सचेंज लाइनों की कुल सज्जित क्षमता (डी ई एल) डब्ल्यू एल एल सहित (लाख में) | 61.23 | 61.02 | 66.87 | 67.52 | 67.69 |
| दूरभाष संयोजनों की संख्या (डी ई एल) डब्ल्यू एल एल सहित (लाख मे) | 44.74 (73%)* | 42.72 (70%)* | 39.83 (60%)* | 39.20 (58%)* | 39.68 (59%)* |
| सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष संयोजनों की संख्या (लाख में) | 3.60 | 8.82 | 19.41 | 27.47 | 32.42 |
| सार्वजनिक दूरभाषों की संख्या, स्थानीय तथा एस टी डी दोनों (लाख में) | 2.40 | 2.79 | 2.79 | 2.60 | 2.39 |

* कोष्ठक के आंकडे उपयोग की गई क्षमता की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

इसकी समीक्षा से निम्न का पता चला:

➢ समग्र दूरभाष एक्सचेंजों की क्षमता उपयोगिता वर्ष 2003–04 में 73 प्रतिशत से गिरकर 2006–07 में 58 प्रतिशत हो गई, तथापि 2007–08 में यह एक प्रतिशत बढ़ गयी थी।

➢ सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष की संख्या 2003–04 में 3.60 लाख से बढकर 2007–08 में 32.42 लाख हो गई।

➢ सार्वजनिक दूरभाषों की संख्या 2003–04 के 2.40 लाख से बढ़कर 2005–06 में 2.79 लाख हो गई, यद्यपि यह 2007–08 में 8 प्रतिशत कम हो गई।

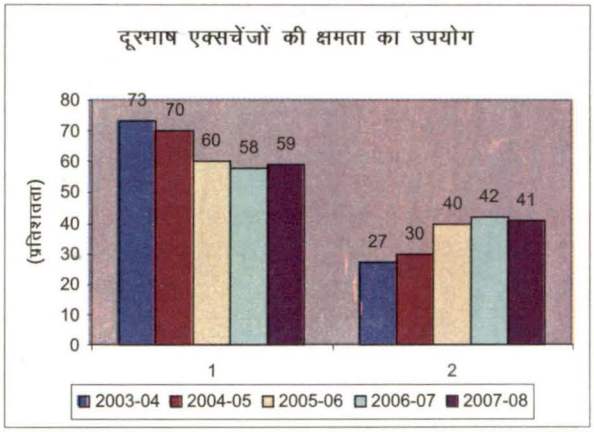


## 4.4.2 वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के कम्पनी के वित्तीय परिणाम नीचे प्रतिवेदित है:

(करोड़ रू. में)

| विवरण | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेवाओं से आय | 6369.60 | 5582.07 | 5562.99 | 4909.32 | 4722.52 |
| अन्य आय | 314.33 | 491.72 | 528.01 | 673.53 | 607.42 |
| व्यय (ब्याज एवं पूर्वावधि समायोजन को छोड़कर) | 4963.36 | 4822.30 | 5395.20 | 4788.15 | 4695.50 |
| ब्याज | 34.62 | 35.81 | 24.44 | 2.01 | 2.78 |
| कर से पहले लाभ एवं पूर्वावधि समायोजन | 1685.95 | 1215.67 | 671.36 | 792.68 | 631.65 |
| पूर्वावधि समायोजन | (-) 84.12 | (-) 9.45 | 2.63 | 215.70 | 180.07 |
| कर से पूर्व लाभ | 1601.83 | 1206.22 | 673.99 | 1008.38 | 811.72 |
| कर प्रावधान | 451.35 | 267.24 | 93.70 | 326.65 | 224.83 |
| कर के बाद लाभ | 1150.48 | 938.98 | 580.29 | 681.73 | 586.89 |
| प्रदत्त पूँजी | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
| प्रस्तावित लाभांश जिसमें कर सम्मिलित है | 319.82 | 322.78 | 287.34 | 289.21 | 294.83 |
| ➢ अन्तिम लाभांश | 283.50 | 283.50 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
| ➢ लाभांश पर कर | 36.32 | 39.28 | 35.34 | 37.21 | 42.83 |
| प्रदत्त पूंजी पर लाभांष की प्रतिशतता | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |

पिछले वर्ष की तुलना में कर के बाद लाभ में 14 प्रतिशत गिरावट रही जो मुख्यतः सेवाओं से आय में पिछले वर्ष (की आय) तुलना में 4 प्रतिशत की कमी के कारण थी यद्यपि व्यय भी पिछले वर्ष के व्यय से 2 प्रतिशत कम हो गया था।

## 4.5 राजस्व बकाया

31 मार्च 2008 को समाप्त पांच वर्षों के राजस्व बकाया की स्थिति निम्नानुसार थी:

(करोड़ रू. में)

| क्र. स. | विवरण | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्व आय | 6369.60 | 5582.07@ | 5562.99 | 4909.32 | 4722.52 |
| 2. | विविध देनदार | | | | | |
| | (क) 6 माह से अधिक | 930.30 | 1056.23@ | 536.22 | 594.41 | 739.16 |
| | (ख) 6 माह तक | (45%)* | (54%)* | (33%)* | (42%)* | (54%)* |
| | | 1117.75 | 915.23@ | 1077.12 | 806.79 | 619.39 |
| | **(ग) कुल (क+ख)** | **2048.05** | **1971.45@** | **1613.34** | **1401.20** | **1358.55** |
| 3. | राजस्व बकाया [2(ग)] | 2048.05 | 1971.45@ | 1613.34 | 1401.20 | 1358.55 |
| 4. | राजस्व आय से राजस्व बकाया की प्रतिशतता [क्र. सं. (3/ 1) X 100] | 32 | 35 | 29 | 29 | 29 |
| 5. | राजस्व बकाया जिसे संदिग्ध वसूली समझा गया | 397.85 | 213.42@ | 179.91 | 293.96 | 378.25 |
| 6. | कुल बकाया राजस्व में संदिग्ध बकाया राजस्व की प्रतिशतता [क्र.सं. (5/3) X 100] | 19 | 11 | 11 | 21 | 28 |

* कोष्ठकों में आंकड़े छः माह से अधिक कुल राजस्व बकाया के देनदारों (बकाया राजस्व) की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।[क्र.सं. 2(क) /3 X 100]

@ कम्पनी के वर्ष 2005–06 के वार्षिक लेखों में इन पिछले वर्ष के आंकड़ों की गणना फिर से की गई हैं।

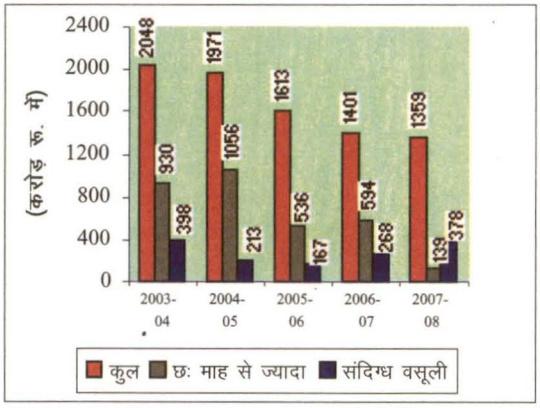


यह देखा गया कि कुल राजस्व बकाया में संदिग्ध राजस्व बकाया की प्रतिशतता वर्ष 2006–07 में 21 प्रतिशत थी, 2007–08 में बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई।

## 4.6 जनशक्ति

31 मार्च 2008 को समाप्त प्रत्येक पांच वर्षों के अन्त में म टे नि लि का कुल जनशक्ति बल निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

| वर्ष | समूह क | समूह ख | समूह ग | समूह घ | कुल जनशक्ति | प्रतिदिन भाड़ा मजदूर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 1083 | 6042 | 33083 | 15552 | **55760** | 82 |

| वर्ष | समूह क | समूह ख | समूह ग | समूह घ | कुल जनशक्ति | प्रतिदिन भाड़ा मजदूर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 1390 | 5916 | 32004 | 15089 | **54399** | 82 |
| 2005-06 | 1130 | 6658 | 29834 | 13511 | **51133** | 79 |
| 2006-07 | 1232 | 5523 | 28878 | 12821 | **48454** | 75 |
| 2007-08 | 1257 | 5342 | 28214 | 12538 | **47351** | 71 |

जैसा कि उपरोक्त सारणी में दर्शित है कि पिछले पांच वर्षों में समग्र जनशक्ति में गिरावट थी।

## 4.7 उत्पादकता

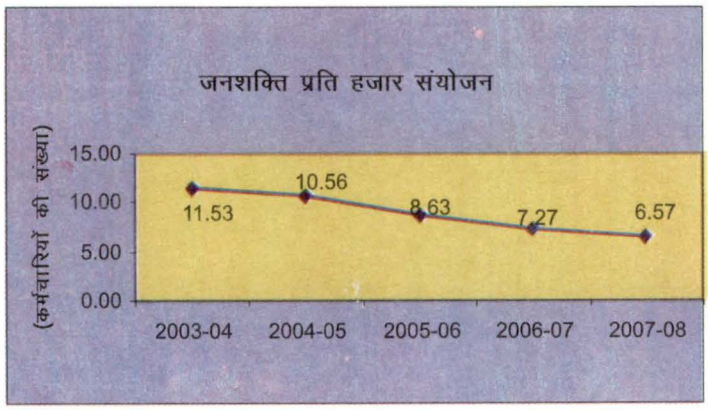


31 मार्च 2008 तक विगत पांच वर्षों में प्रत्येक के लिए कम्पनी के कर्मचारियों की उत्पादकता (अर्थात प्रति हजार दूरभाष संयोजन अथवा सी एक्स ला सैल्यूलर मोबाइल संयोजन सहित पर कर्मचारियों की संख्या का अनुपात) ने क्रमिक सुधार दर्शाया। जैसाकि ग्राफ में निर्दिष्ट है, कर्मचारियों की संख्या प्रति हजार दूरभाष संयोजन (सैल्यूलर मोबाइल संयोजन सहित) 2003–04 में 11.53 से कम होकर 2007–08 में 6.57 हो गई।

# अध्याय–V
# महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
# लेनदेन लेखापरीक्षा में मुख्य निष्कर्ष

## 5.1 होस्टल भवन के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश

**म टे नि लि मुम्बई यूनिट नगरपालिका प्राधिकारी से भूतल व 12 मंजिल होस्टल भवन में ऊपर की आठ मंजिलों के लिये अधिभोग प्रमाणपत्र पांच वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी प्राप्त करने में विफल रही परिणामस्वरूप 16.24 करोड़ रू. का निष्क्रिय निवेश हुआ।**

मुख्य महाप्रबंधक, महानगर दूरभाष निगम लिमिटेड (कम्पनी) मुम्बई ने दूरसंचार प्रौधोगिकी तथा प्रबन्धन में श्रेष्ठता के लिये केन्द्र में (सी ई टी टी एम) मुम्बई में होस्टल भवन के निर्माण के लिये 14.73 करोड़ रू. की लागत से परियोजना प्राक्कलन संस्वीकृत किया (नवम्बर 1999)। प्राक्कलन वर्ग 'क' विंग (भूतल), ख व ग विंग (12 मंजिलों व भूतल) तथा 'घ' विंग (पांच मंजिला व भूतल) के निर्माण के लिये दिये गये थे। 'क' विंग में अतिरिक्त 12 मंजिलों में प्राक्कलन 30.57 करोड़ रू. तक संशोधित किये गये थे (मार्च 2002)। ख, ग व घ विंग के संबंध में होस्टल भवन का निर्माण कार्य नवम्बर 2002 में और फरवरी 2004 में 'क' विंग में पूरा हो गया था।

मुख्य महाप्रबंधक सी ई टी टी एम मुम्बई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने फरवरी 2004 में अधिभोग प्रमाणपत्र के लिये आवेदन किया था जिसके विरूद्ध चार मंजिल तक होस्टल बिल्डिंग में अंश अधिभोग की अनुमति प्रदान की गई थी (अप्रैल 2005)। इसमें अनुबंध था कि मुम्बई नगरपालिका निगम अधिनियम की सभी शर्तों का पालन किया जायेगा। लेखापरीक्षा को पता चला कि लिफ्ट इंस्पैक्टर प्रमाणपत्र तथा मुख्य अग्नि अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र एक वर्ष के विलम्ब के बाद क्रमशः अप्रैल 2005 व नवम्बर 2005 में प्राप्त किया गया था। आडिट ने आगे यह भी पाया कि कम्पनी ने अनिवार्य अनुमति, कि जमीन कृषि उपयोगी नहीं है प्राप्त नहीं कर सकी थी तथा परामर्शदाता को अप्रैल 2007 में नियुक्त किया। जब कम्पनी ने मुम्बई नगरपालिका निगम अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया, यह विभिन्न विंग के निर्माण के तीन से पांच वर्षों के बाद भी शेष आठ मंजिलों के अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रही और भवनों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप 16.24 करोड़ रू.• का निष्क्रिय निवेश हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2008) कि कम्पनी के परामर्शदाता व अधिकारी प्लाट के गैर कृषि उपयोग हेतु अनुमति जारी करने के लिये निरन्तर कलैक्टर कार्यालय पहुंच रहे थे और जून 2008 में इसे प्राप्त कर लिया गया था। यह भी बताया गया था कि पूर्ण अधिग्रहण प्रमाणपत्र देने के लिये ग्रेटर मुम्बई के नगरपालिका निगम के पास पहुंच की जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नवम्बर 2002 में ख ग व घ विंग पूरे हो गये थे और फरवरी 2004 में 'क' विंग पूरा हो गया था। सिनक्रोनाइज़ेशन की कमी तथा उसी समय सहायक कार्य के गैर निष्पादन के कारण प्रत्येक अवस्था यहां तक कि अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विलम्ब था। इसलिये अधिग्रहण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिये अनुमति, अधिग्रहण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये पूर्वापेक्षा 2002 में विकास से पूर्व प्राप्त कर लेना चाहिये। अप्रैल 2007 में जॉब के लिये सलाहकार नियुक्त किया गया था, जब सिविल कार्य लगभग समाप्त हो गया था।

---

• खाली आठ मंजिलों के लिये परिकलित यथानुपात

जुलाई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 5.2 बिल डाक सेवा प्राप्त न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने ग्राहकों को दूरभाष बिलों के प्रेषण के लिये डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पहले से सस्ती बिल डाक सेवा प्राप्त करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 6.10 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।**

भारत सरकार (भा स) ने भारतीय डाकघर 2003 (प्रथम संशोधन नियम) शुरू किया था तथा 10–ग नियम के अनुसार बिल डाक सेवा (वि डा से) शामिल की। परिणामतः सितम्बर 2003 से डाक विभाग (डा वि) ने बिलों के संचरण, मासिक लेखा बिल 90 दिनों में कम से कम एक बार ग्राहक के लिये सेवा सम्भरक द्वारा तैनात उसी प्रकृति की अन्य ऐसी मदों के लिये बि डा से की व्यवस्था की थी। 20 ग्राम तक प्रति वस्तु टैरिफ 3 रू तथा प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम अथवा 20 ग्राम से अधिक उसके भाग के लिये 1.60 रू. था। म टे नि लि बि डा से के अन्तर्गत दूरभाष बिल भेजने के लिये पात्र था क्योंकि इसने डा वि द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया था।

महाप्रबधंक कार्यालय नवी मुम्बई, दक्षिण, मध्य, पूर्व–।,।। तथा पश्चिम–।,।।, ।।। के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी–अक्तूबर 2007) से पता चला कि म टे नि लि पहले से और सस्ते बि डा से उपलब्ध नहीं कर सका था और 5 रू. प्रति बिल की दर पर साधारण डाक के माध्यम से दूरभाष बिल प्रेषित किये जा रहे थे। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि म टे नि लि, कॉरपोरेट कार्यालय तथा मुम्बई यूनिट बि डा से प्राप्त करने की अपनी पात्रता को प्रभावित करने व डाक विभाग से सुविधा प्राप्त करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान दूरभाष बिलों के प्रेषण पर 6.10 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय किया **(परिशिष्ट–XXV)**।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, संयुक्त महाप्रबंधक (टी आर एवं आई आर), म टे नि लि, कॉरपोरेट कार्यालय ने बताया (जून 2008) कि कम्पनी ने स्वयं बि डा से प्राप्त करने के लिये ईमानदारी से प्रयास किये थे और सभी प्रयासों के बावजूद, डा वि म टे नि लि को सुविधा देने में अनिच्छुक था। यह भी बताया गया था कि समझौता ज्ञापन पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिये गये थे, यह 01.05.2008 से प्रभावी होना था। उत्तर विश्वासोत्पादक नहीं है क्योंकि म टे नि लि डा वि के साथ एक व्यापक समझौता ज्ञापन प्राप्त करने का निरन्तर प्रयास कर रहा था, इसमें विविध मामले जैसे भारत डाक द्वारा दूरभाष बिलों का संग्रहण, रिचार्ज कूपन की बिक्री, प्रत्यक्ष डाक सेवा जिसमें बि डा से शामिल है, कवर किया गया था (पूरा किया गया था)। जब समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने में विलम्ब था, बि डा से के क्रियान्वयन में भी विलम्ब हुआ। म टे नि लि बि डा से के निर्गम से संपर्क तोड़ने में विफल रहा और स्वयं भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर सितम्बर 2003 से इसके क्रियान्वयन का आग्रह किया न कि अप्रैल 2008 से आगे के लिये जो कि समझौता ज्ञापन के आधार पर है क्योंकि यह उनका कानूनी अधिकार था।

अप्रैल 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 5.3 प्रतिभूति जमा का अधिक भुगतान

**म टे नि लि मुम्बई वृहनमुम्बई बिजली आपूर्ति तथा परिवहन उपक्रम के साथ अधिक भुगतान किये गये प्रतिभूति जमा की प्रतिपूर्ति का दावा करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप 2.98 करोड़ रू. की निधि का अवरोधन हुआ तथा 20.43 लाख रू. के ब्याज की हानि हुई**

वृहनमुम्बई बिजली आपूर्ति व परिवहन उपक्रम (बेस्ट) के बिजली टैरिफ नियमों में उपभोक्ता से औसतन तीन महीनों के बिल बनाने अथवा बिल बनाने के चक्र की अवधि जो भी कम हो, के

समकक्ष प्रतिभूति जमा• के लिये व्यवस्था है। औसतन बिल बनाना निश्चित करने के प्रयोजन हेतु, विगत बारह माह के लिये उपभोक्ता के लिये औसतन बिल बनाना अथवा ऐसे प्रकरण में जहां आपूर्ति पहले से कम अवधि के लिये की गई थी, इस प्रकार के पहले से और कम अवधि के औसतन बिल बनाने पर विचार किया जायेगा। नियम में यह भी व्यवस्था है कि यदि उपभोक्ता द्वारा रखी गई प्रतिभूति जमा की राशि अपेक्षित जमा से उच्चतर है, प्रतिभूति देने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर बेस्ट, इस प्रकार की प्रतिभूति जमा की अधिक राशि का एकल भुगतान में प्रतिपूर्ति करेगा।

जनवरी 2003 से दिसम्बर 2007 की अवधि के लिये महाप्रबंधक (म प्र), (कॉल सेन्टर, उत्तर, मध्य, दक्षिण), म टे नि लि मुम्बई के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दूरभाष एक्सचेंज के बिजली बिलों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2008/अक्तूबर 2007) से पता चला कि एक्सचेंज के संबंध में, बेस्ट के साथ प्रतिभूति जमा औसतन मासिक बिलों से काफी उच्चतर थी। प्रतिभूति जमा की अधिक राशि का दावा न तो प्रतिपूर्ति के रूप में किया गया था न ही बाद वाले बिलों में समायोजित करवाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 20.43 लाख रू. की बेस्ट द्वारा अनुमत ब्याज देने तथा बैंक के साथ कम्पनी अपने जमा पर अर्जित ब्याज के मध्य अन्तर के कारण ब्याज की हानि के अतिरिक्त, दिसम्बर 2007 को 2.98 करोड़ रू. की निधि का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, म प्र दक्षिण ने उत्तर दिया (मई 2008) कि मामले की जांच चल रही है। म प्र, मध्य ने बताया (मई 2008) कि मामला प्रतिभूति जमा की वापसी के लिये बेस्ट के साथ उठाया जायेगा। म प्र उत्तर ने उल्लेख किया (मई 2008) कि संबंधित उपमहाप्रबंधक को निर्देश दिया गया था कि वह बेस्ट के दावे भेजे। उत्तर औसतन बिल बनाने के संबंध में प्रतिभूति जमा की आवधिक मानीटरिंग में कमी को दर्शाता है।

जुलाई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 5.4 अंतःसम्बद्ध यूसेज प्रभारों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर उगाही

**म टे नि लि मुम्बई निजी आपरेटर द्वारा अंतःसम्बद्ध यूसेज प्रभारों के विलम्बित भुगतान पर 1.16 करोड़ रू. का ब्याज लगाने में विफल रहा।**

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) मुम्बई तथा विविध निजी सेवा सम्भरकों (नि से स) के मध्य अंतःसम्बद्ध करार ने निर्धारित किया था कि अंतःसम्बद्ध प्रभारों के बिल म टे नि लि की पदनामित यूनिटों द्वारा मासिक जारी किये जाने थे और इन्हें जारी करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिये था। 15 दिनों तथा उसके बाद विलम्बित भुगतान होने की घटना में अभिदाताओं द्वारा देय राशि पर 15 से 21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान देय था, यह विलम्ब की सीमा अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्तमान प्राथमिक उधार दर में पांच प्रतिशत जोड़कर जो भी अधिक हो, पर निर्भर था।

महाप्रबंधक (दू रा), म टे नि लि मुम्बई कार्यालय के मुख्य लेखा अधिकारी (आई सी बी) के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी से अप्रैल 2007) से पता चला कि मैसर्स विदेश संचार निगम लिमिटेड (वि सं नि लि) द्वारा बिलों के भुगतान में 9 से 166 दिनों (जनवरी 2004 से अक्तूबर 2006) तथा मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टा टे म लि) द्वारा 9 से 885 दिनों (जून 2003 से अक्तूबर 2006) का विलम्ब था और बिल राशि में भुगतान योग्य ब्याज का हिसाब क्रमशः 32.96 लाख रू. तथा 83.10 लाख रू. बनता था। म टे नि लि नि इन नि से स से ब्याज का और दावा पेश करने में विफल रहा।

---

•प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार परिकलित

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, महाप्रबंधक (टी आर) म टे नि लि मुम्बई ने बताया (अगस्त 2007) कि जनवरी 2004 से मार्च 2007 की अवधि के लिये विलम्बित भुगतान पर ब्याज के कारण 33.57 लाख रू. की राशि वि सं नि लि में वसूल की गई है और नवम्बर 2006 को 83.10 लाख रू. का मांग पत्र टा टे म लि के विरूद्ध जारी किया गया है। अक्तूबर 2008 तक टा टे म लि से वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

अप्रैल 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

## 5.5 भवनों को भाड़े पर लेने से निष्फल व्यय

**म टे नि लि दिल्ली को किराये के अनाधिकृत भवनों को अभ्यर्पित करने पड़े जो कि दूरभाष एक्सचेंजों को चालू करने के लिये भाड़े पर लिये थे। परिणामस्वरूप किराये में 94.83 लाख रू. का निष्फल व्यय हुआ।**

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली यूनिट ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन, गांधीनगर–।।, शास्त्री पार्क, कापसहेड़ा तथा मॉडल टाउन क्षेत्रों में दूरभाष एक्सचेंज चालू करने का निर्णय किया तथा 7.59 करोड़ रू. की लागत पर पांच विस्तृत प्राक्कलन संस्वीकृत किये गये। एक्सचेंज प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से, संबंधित महाप्रबंधक ने अक्तूबर 2003 तथा नवम्बर 2007 के मध्य इन स्थानों पर भवन किराये पर लिये।

महाप्रबंधक (म प्र) उत्तर, दक्षिण, जनकपुरी व यमुना पार के अभिलेखों लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एक्सचेंज चालू करने के लिये भाड़े पर लिये गये भवनों में अनुमोदित भवन योजना अथवा आवश्यक पूर्णता प्रमाणपत्र और वह प्राधिकृत है को सुनिश्चित करने में प्रबंधन विफल रहा। लेखापरीक्षा ने यह भी ध्यान दिया कि यद्यपि इन एक्सचेंजों का प्रतिष्ठापन कार्य प्रगति पर था और एक्सचेंज उपस्कर व विद्युत जैसे घटकों पर 1.43 करोड़ रू. खर्च किये जा चुके थे, प्रबन्धन ने पाया (मई 2006) कि भवन अप्राधिकृत थे और उन्हें खाली करना पड़ेगा। इसलिये, यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना रद्द की जाये, उपस्कर को दूसरे स्थान पर ले जाया जाये, भवन खाली किये जायें और इस कारण हानि को बट्टे खाते में डाला जाये। नवम्बर 2007 तक सभी पांच भवनों को खाली कर दिया गया था।

इस प्रकार, अप्राधिकृत भवनों को भाड़े पर लेने के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2003 से नवम्बर 2007 की अवधि के लिये किराये पर 94.83 लाख रू. का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, कारोबार के विस्तार के लिये नये दूरभाष एक्सचेंज खोलने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, संबंधित म प्र ने अप्राधिकृत भवनों को भाड़े पर लेने के तथ्य की पुष्टि करते समय कोई कारण नहीं दिया (जनवरी/अप्रैल 2008)।

जुलाई 2008 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2008)।

# आई टी आई लिमिटेड

## अध्याय VI
## संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन

### 6.1 प्रस्तावना

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर को जनवरी 1950 में एक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था और जनवरी 1994 में आई टी आई लिमिटेड (कम्पनी) नया नाम दिया गया। कम्पनी की उत्पादन इकाइयां बंगलौर, पालाक्कड़, नैनी, रायबरेली, मनकापुर और श्रीनगर में स्थित है। कम्पनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों को मुख्य रूप से स्वीचिंग (ओ सी बी 283, सी–डॉट एक्सचेंजों आदि), संचरण (माइक्रोवेव रेडियो उपस्कर, लाइन उपस्कर, डिजिटल एम सी पी सी वी सैट, आई डी आर उपस्कर, पी डी एच, एस डी एच आदि), एक्सैस उपस्कर (जी एस एम और सी डी एम ए, डब्ल्यू एल एल), और दूरभाष उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कई वर्षो से भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) कम्पनी का मुख्य ग्राहक रहा है और अन्य ग्राहकों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि), रक्षा सेवाएं, रेलवे और पावर, स्टील तथा ऑयल सैक्टर रहे हैं।

### 6.2 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रशासनिक और सम्पूर्ण कार्यात्मक नियंत्रण निदेशक बोर्ड मे निहित होता है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अ प्र नि) द्वारा की जाती है उन्हें कम्पनी के दिन–प्रतिदिन के प्रबन्धन में चार कार्यात्मक निदेशक (वित्तीय, विपणन, उत्पादन तथा मानव संसाधन विकास) और कम्पनी सचिव सहायता करते है। इकाइयों की अध्यक्षता महाप्रबन्धक द्वारा की जाती है।

### 6.3 निवेश और अर्जन

31 मार्च 2008 को 700 करोड़ रू. के प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूँजी के प्रति प्रदत्त पूंजी 588 करोड़ रू. थी जिसमें से 288 करोड़ रू. इक्विटी और 300 करोड़ रू. क्यूमूलेटिव रिडीमेबल प्रीफेरेन्स शेयर थी। भारत सरकार द्वारा 267.47 करोड़ रू. इक्विटी पूंजी में निवेश किए गए थे। चूंकि कम्पनी 2002–03 से हानि उठा रही थी, इसलिए 2002–03, से 2007–08 के वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था।

### 6.4 भौतिक निष्पादन

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में कम्पनी का भौतिक निष्पादन **परिशिष्ट XXVI** में दिया गया है। यह देखा गया कि:

(i) स्वीचिंग उत्पादों के संदर्भ में (सी–डॉट एक्सचेंजों को छोड़कर), प्रतिष्ठापित क्षमता के उपयोग में 2003–04 में 26 प्रतिशत से 2004–05 में 47 प्रतिशत की वृद्धि थी, यह 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 में क्रमशः 46 प्रतिशत, 31 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत कम हो गई।

(ii) संचरण उत्पादों के संदर्भ में, 58 प्रतिशत (2003–04) तथा 96 प्रतिशत (2006–07) के बीच प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग हुआ। तथापि, 2007–08 में प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग लगभग 45 प्रतिशत था।

(iii) टर्मिनल उपस्कर के संदर्भ में प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग वर्ष 2003–04 सें 2006–07 के दौरान 26 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक था। तथापि 2007–08 के दौरान, प्रतिष्ठापित क्षमता का 7 प्रतिशत उपयोग हुआ था।

### 6.4.1 वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2008 में समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार से है:

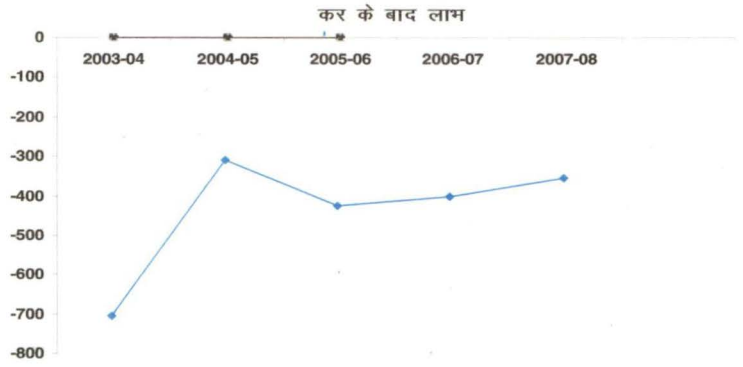


(करोड़ रू. में)

| विवरण | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेवाओं सहित बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोडकर) | 1197.86 | 1317.87 | 1660.74 | 1762.63 | 1152.51 |
| अन्य आय | 52.94 | 56.30 | 102.90 | 109.27 | 67.07 |
| अर्जित ब्याज | 6.09 | 0.27 | 7.82 | 2.08 | 1.81 |
| सहायता अनुदान से स्थानान्तरण | (52.74) | 447.78 | 27.87 | 61.32 | 357.20 |
| व्यय (ब्याज और पूर्वावधि समायोजनों को छोड़कर) | 1729.98 | 1931.14 | 2022.58 | 2098.28 | 1611.16 |
| ब्याज | 157.97 | 187.15 | 202.11 | 201.71 | 263.29 |
| कर पूर्व लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन | (683.80) | (296.07) | (425.36) | (364.69) | (295.86) |
| पूर्वावधि समायोजन | (22.03) | (13.75) | (2.19) | (40.01) | (61.37) |
| कर पूर्व लाभ | (705.83) | (309.82) | (427.55) | (404.70) | (357.23) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कर प्रावधान (सीमांत कर लाभ) | -- | - | 1.21 | 0.56 | 1.15 |
| आस्थगित कर | -- | - | -- | -- | -- |
| कर के बाद लाभ | (705.83) | (309.82) | (428.76) | (405.26) | (358.38) |
| **प्रस्तावित लाभांश** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |

कम्पनी ने मुख्यतः खराब बिक्री निष्पादन तथा अधिक व्यय के कारण वर्ष 2003–04 में 705.83 करोड़ रू. की भारी हानि उठाई। वर्ष 2004–05 के दौरान हानि 309.82 करोड़ रू. तक नीचे आ गई जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से 447.78 करोड़ रू. की सहायता अनुदान का प्राप्त होना था। बिक्री की लागत में वृद्धि के कारण 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान क्रमशः 427.55 करोड़ रू. तथा 404.70 करोड़ रू. की हानि हुई। भारत सरकार से 357.20 करोड़ रू. की अनुदान सहायता की प्राप्ति के कारण वर्ष 2007–08 में 357.23 करोड़ रू. हानि में कमी आई।

## 6.5 बकाया देय

कम्पनी के मुख्य ग्राहक सरकारी कम्पनियां है जैसे भा सं नि लि और म टे नि लि। कम्पनी ने अब तक कोई भी क्रेडिट नीति निर्धारित नहीं की थी (सितम्बर 2008)।

31 मार्च 2008 तक समाप्त हुए पिछले प्रत्येक पांच वर्षों में विविध देनदारों की स्थिति इस प्रकार से है:

**(करोड़ रू. में)**

| **क्र. सं.** | **विवरण** | **2003-04** | **2004-05** | **2005-06** | **2006-07** | **2007-08** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सेवाओं सहित कुल बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित) | 1256.57 | 1389.01 | 1749.38 | 1818.33 | 1210.04 |
| 2. | कुल विविध देनदार | | | | | |
| | (क) छः माह से अधिक | 691.73 | 632.05 | 954.75 | 1053.22 | 1250.54 |
| | | (58)* | (44)* | (57)* | (61)* | (68)* |
| | (ख) छः माह तक | 508.44 | 803.69 | 724.24 | 670.88 | 592.23 |
| | (ग) कुल (क+ख) | 1200.17 | 1435.74 | 1678.99 | 1724.10 | 1842.77 |
| 3. | बिक्री की तुलना में कुल विविध देनदारों का प्रतिशत | 96 | 103 | 96 | 95 | 152 |
| 4. | संदिग्ध ऋण | 11.02 | 15.52 | 16.53 | 16.47 | 17.53 |

- *कोष्ठक में दिखाये गए आँकड़े कुल देनदारों में छः माह से अधिक देनदारों की प्रतिशतता को दिखाते हैं अर्थात (2 क/2ग) X 100*

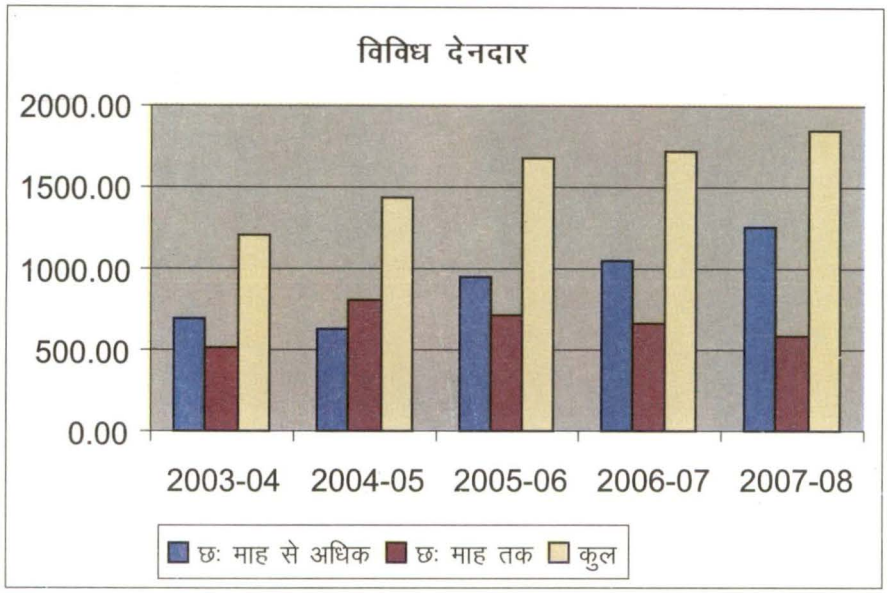


उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 2003–04 से 2007–08 के दौरान देनदारों ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई थी। वर्ष 2007–08 को छोड़कर इन वर्षों में देनदारों के आंकड़े लगभग बिक्री आंकड़ो के बराबर थे (बिकी में कुल विविध देनदारों की प्रतिशतता 95 प्रतिशत तथा 152 प्रतिशत के बीच थी)

वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि के दौरान देनदारों में, वे देनदार भी शामिल थे जिनके बिल नही बनाए गए थे, उनकी स्थिति निम्न प्रकार थी:

(करोड़ रू. में)

| वर्ष | वर्ष के अन्त तक कुल देनदार (प्रस्ताव का शुद्ध) | वर्ष के लिए विविध देनदार | जिनके लिए बिल बनाए गए | जिनके लिए बिल नहीं बनाए गए | वर्ष के लिए कुल देनदारों की तुलना में जिनके बिल नही बनाये गये का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 1189.15 | 632.57 | 328.44 | 303.13 | 47.92 |
| 2004-05 | 1420.21 | 853.32 | 786.24 | 67.09 | 7.86 |
| 2005-06 | 1662.46 | 824.57 | 716.79 | 107.78 | 13.07 |
| 2006-07 | 1707.63 | 998.00 | 777.00 | 221.00 | 22.14 |
| 2007-08 | 1825.24 | 802.15 | 738.01 | 64.14 | 8.00 |

यद्यपि पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिए ऋण बकाया पड़े थे, कम्पनी ने किसी भी वर्ष के दौरान देनदारों से पुष्टि प्राप्त नही की थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भी कम्पनी द्वारा विविध देनदारों से पुष्टिकरण प्राप्त न करने पर बार–बार टिप्पणी की थी।

## 6.6 जन शक्ति

31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक के अन्त में कम्पनी की कुल जन शक्ति नीचे दी गई है

| वर्ष | वर्ग क | वर्ग ख | वर्ग ग | वर्ग घ | कुल जनशक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| **2003-04** | 1639 | 4129 | 9396 | 57 | 15221 |
| **2004-05** | 1480 | 4194 | 8920 | 41 | 14635 |
| **2005-06** | 1464 | 4254 | 8516 | 23 | 14257 |
| **2006-07** | 1645 | 3821 | 7943 | 6 | 13415 |
| **2007-08** | 1330 | 4283 | 7429 | 3 | 13045 |

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007–08 तक पांच वर्षों के दौरान समग्र जनशक्ति में 14 प्रतिशत की गिरावट रही थी। विगत पांच वर्षों में अधिकारियों तथा गैर अधिकारियों का ब्यौरा इस प्रकार था

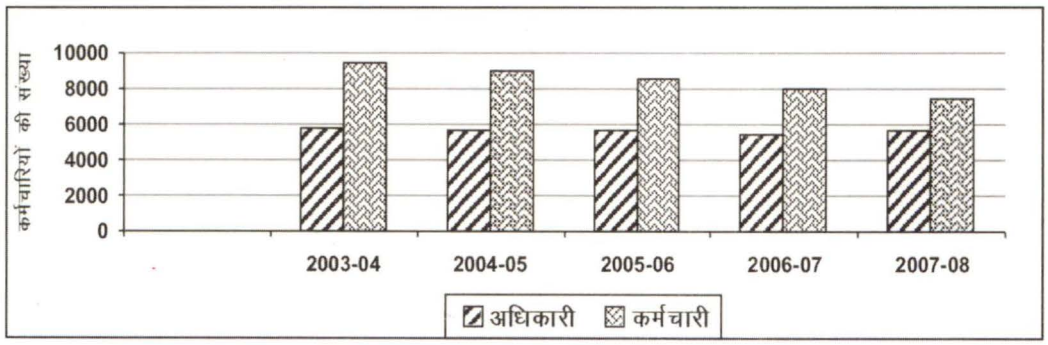


| वर्ष | अधिकारी | गैर अधिकारी |
|---|---|---|
| **2003-04** | 5768 | 9453 |
| **2004-05** | 5674 | 8961 |
| **2005-06** | 5718 | 8539 |
| **2006-07** | 5466 | 7949 |
| **2007-08** | 5613 | 7432 |

समग्र जनशक्ति में कमी आने का एक मुख्य कारण स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अधीन कर्मचारियों की सेवानिवृति था।

## 6.7 उत्पादकता

31 मार्च 2008 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान मूल्य वर्धित व उत्पादन मूल्य के रूप में कम्पनी के कर्मचारियों की उत्पादकता इस प्रकार थी:

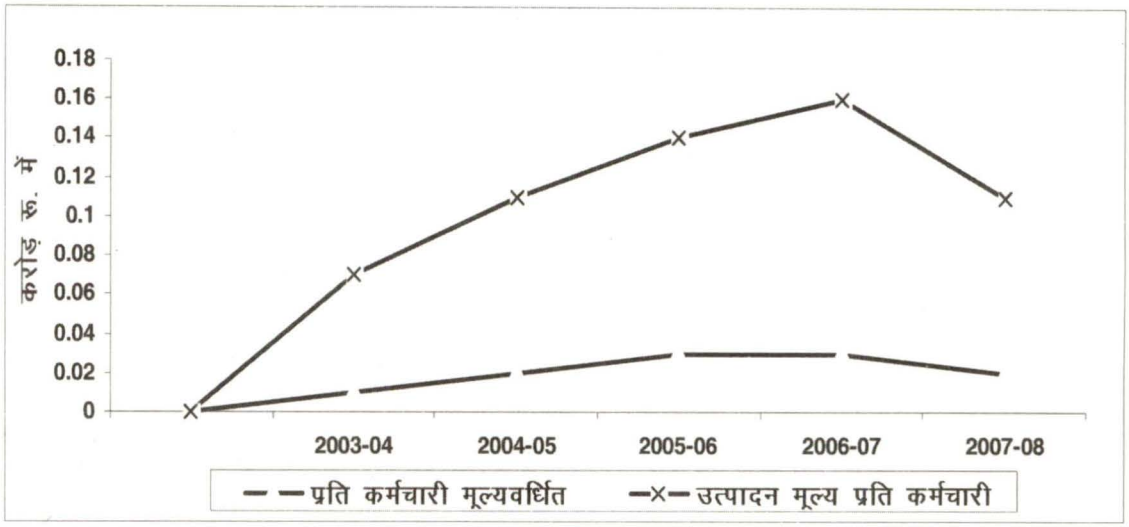


(करोड़ रू. में)

| वर्ष | प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धित | उत्पादन मूल्य प्रति कर्मचारी |
|---|---|---|
| **2003-04** | 0.01 | 0.06 |
| **2004-05** | 0.01 | 0.09 |
| **2005-06** | 0.03 | 0.11 |
| **2006-07** | 0.03 | 0.13 |
| **2007-08** | 0.02 | 0.09 |

# टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड

## अध्याय VII
## संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन

### 7.1 प्रस्तावना

1978 में, कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेन्टस इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) को नई दिल्ली में स्थित पंजीकृत तथा निगम कार्यालय के साथ परामर्श देने तथा विस्तार व दूरसंचार नेटवर्क में आधुनिकीकरण के क्षेत्र में जानकारी देने हेतु निगमित किया गया था। कम्पनी ने दूरसंचार के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं तथा टर्नकी परियोजनाओं का उत्तरदायित्व न केवल देश के भीतर तथा विदेश में अपितु सॉफ्टवेयर पैकेज से सम्बन्धित सम्प्रेषण के उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के विकास में भी शुरू किया। कम्पनी का प्रचालन देश में तीन क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशियाई तथा मध्य पूर्वी देशों में 15 विदेशी परियोजना कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है।

### 7.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रशासकीय तथा समग्र कार्यात्मक नियंत्रण निदेशक बोर्ड में निहित है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अ प्र नि) द्वारा की जाती है। उन्हें कम्पनी के दिन प्रतिदिन के प्रबन्धन में सहायता कार्यात्मक निदेशकों व एक कम्पनी सचिव करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की अध्यक्षता वरि. महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक करते है।

### 7.3 निवेश तथा अर्जन

कम्पनी की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 31 मार्च 2008 को 30 करोड़ रू. तथा प्रदत्त पूंजी 28.80 करोड़ रू. थी। पूर्ण प्रदत्त पूंजी पर भारत सरकार का स्वामित्व था। टे क इं लि ने 1978–83 के दौरान 30 लाख रू. की प्रारम्भिक पूंजी जिसे सरकार ने निवेश किया था से व्यापार आरम्भ किया था। वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी 28.80 करोड़ रू. में 28.50 करोड़ रू. के बोनस शेयर शामिल है इसमें एक 2:1 तथा पांच 1:1 बोनस निर्गम है।

### 7.4 वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2008 को, समाप्त पांच वर्षो के लिये कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्नलिखित थे:

(करोड़ रू. में)

| विवरण | **2003-04** | **2004-05** | **2005-06** | **2006-07** | **2007-08** |
|---|---|---|---|---|---|
| i) परियोजनाओं से आय (बिक्री) | | | | | |
| क) विदेशी परियोजनायें | 387.92 | 327.08 | 206.52 | 194.31 | 167.54 |
| ख) भारतीय परियोजनायें | 121.02 | 91.41 | 246.98 | 188.28 | 218.80 |
| **परियोजनाओं से कुल आय** | **508.94** | **418.49** | **453.50** | **382.59** | **386.34** |
| ii) अन्य या विविध आय | 35.50 | 30.65 | 30.00 | 28.01 | 28.54 |
| iii) कर से पहले लाभ | 50.77 | 13.68 | 17.40 | 5.94 | 3.51 |
| iv) कर प्रावधान | 3.75 | 3.31 | 16.60 | 4.72 | 1.39 |
| v) कर के बाद लाभ | 47.02 | 10.37 | 0.80 | 1.22 | 2.12 |
| vi) प्रस्तावित लाभांश | 21.60 | 21.60 | 0 | 0 | 0 |
| vii) प्रस्तावित लाभांश पर कर | 2.82 | 3.03 | 0 | 0 | 0 |

## 7.5 जनशक्ति

31 मार्च 2008 को समाप्त पॉच वर्षो में से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की कुल जनशक्ति संख्या नीचे दी गई है:

| **वर्ष** | **कार्यकारी** | **गैर कार्यकारी** | **कुल जनशक्ति** |
|---|---|---|---|
| 2003-04 | 505 | 764 | 1269 |
| 2004-05 | 519 | 709 | 1228 |
| 2005-06 | 547 | 377 | 924 |
| 2006-07 | 428 | 503 | 931 |
| 2007-08 | 396 | 500 | 896 |

उपरोक्त से यह पता चला कि पिछले पांच वर्षो में कुल जनशक्ति में 29 प्रतिशत की कमी थी।

# इंटेलीजेट कम्यूनिकेशन सिस्टमस इंडिया लिमिटेड

## अध्याय VIII
## संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन

### 8.1 प्रस्तावना

टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टे क इं लि) व दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास व अवसंरचनात्मक विकास निगम लिमिटेड (दि रा औ अ वि नि लि) जिसे पहले दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (दि रा औ वि नि) कहा जाता था, के एक संयुक्त उद्यम, इंटेलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टमस इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) को अप्रैल 1987 में निगमित किया गया। कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य संचरण प्रणालियों पर आधारित कम्प्यूटर तथा उपस्कर का विनिर्माण करना था जिससे संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षे. की नई मांग को पूरा किया जा सके। कम्पनी भारत तथा विदेशों में कम्प्यूटर तथा संचार प्रणालियों के लिए अभियांत्रिकी, तकनीकी तथा प्रबंधन परामर्श सेवायें भी देती हैं।

तथापि, कम्पनी ने विनिर्माण कार्यकलाप रोक दिये थे तथा अपना विनिर्माण संबंधी लाइसेंस भी उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण हेतु उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को अप्रैल 1995 में अभ्यर्पित किया था। वर्तमान में कम्पनी कम्प्यूटर तथा अन्य दूरसंचार प्रणाली के कारोबार में लगी है।

### 8.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रशासकीय तथा समग्र कार्यात्मक नियंत्रण प्रबंध निदेशक के पास है जो टे क इं लि से पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक प्रतिनियुक्ति पर हैं। कम्पनी के दैनिक कार्य में उनकी सहायता एक संयुक्त महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक (वित्त) तथा कम्पनी सचिव जो टै क इं लि से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं, के द्वारा की जाती है। निदेशक बोर्ड में पांच सदस्य हैं (टे क इं लि से तीन तथा दि रा औ वि नि से दो)।

### 8.3 निवेश तथा अर्जन

31 मार्च 2008 तक कम्पनी की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी 100.00 लाख रू. थी जिसमें निम्नलिखित कम्पनियां अंशदायी है ::

| | |
|---|---|
| टे क इं लि | 36 *प्रतिशत* |
| दि रा औ वि नि | 40 *प्रतिशत* |
| ओरिसन इनफोकोम प्राइवेट लिमिटेड | 09 *प्रतिशत* |
| फाल्काम केबिल टी वी लिमिटेड | 15 *प्रतिशत* |
| कुल | 100 *प्रतिशत* |

कम्पनी ने वर्ष 2007–08 के दौरान 41.70 लाख रू. का लाभ (कर उपरान्त) कमाया।

## 8.4 भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन

कम्पनी ने विनिर्माण कारोबार बन्द कर दिया तथा वह मुख्यतः कम्प्यूटर तथा दूरसंचार प्रणालियों, केबिल की टर्नकी बिक्री, वार्षिक अनुरक्षण संविदा, ई–10–बी तथा सी–डॉट, नये तकनीकी कार्डो की मरम्मत तथा फ्रैन्चाइज कारोबार परियोजना व्यापार पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

## 8.5 वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2008 को समाप्त पांच वर्षों के लिये कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्नलिखित थे

(लाख रू. में)

| विवरण | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| i) परियोजनाओं से आय (बिक्री तथा सेवायें) | 2286.40 | 2394.18 | 3261.66 | 493.87 | 664.92 |
| ii) निविल बिक्री | 2286.40 | 2394.18 | 3261.66 | 493.87 | 664.92 |
| iii) अन्य अथवा विविध आय | 111.45 | 39.95 | 14.99 | 66.27 | 34.19 |
| iv) कर पूर्व, लाभ/हानि पूर्व–अवधि समायोजन और असाधारण मदों | 5.37 | 15.58 | 9.91 | 5.98 | 49.14 |
| v) पूर्व–अवधि समायोजना (निबल) क्रेडिट(+) / डेबिट (-) | (-)0.19 | (-) 0.07 | (-)0.15 | (-) 0.12 | 0.55 |
| vi) असाधारण मदें (निवल) | (+)27.71 | (-)4.98 | (+)0.14 | - | - |
| vii) कर प्रावधान | (+)0.57 | (-)2.29 | (-)4.97 | (-)4.01 | (-)7.99 |
| viii) कर के बाद लाभ | 33.46 | 8.24 | 4.93 | 1.85 | 41.70 |
| ix) लाभांश | - | - | - | - | - |

उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि कम्पनी ने 2006–07 तथा 2007–08 में निरन्तर कमाया था। कम्पनी का लाभ 2006–07 में 1.85 लाख रू. से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 41.70 लाख रू. हो गया।

## 8.6 जनशक्ति

31 मार्च 2008 को कम्पनी की कुल जनशक्ति प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के अलावा संवर्ग 'ग' व 'घ' में 13 थी।

# मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड

## अध्याय IX
## संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन

### 9.1 प्रस्तावना

फरवरी 2000 में कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन मुम्बई स्थित पंजीकृत कार्यालय के साथ मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (कम्पनी) को पूरी तरह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) के स्वयं नियंत्रित सहायक के रूप में निगमित किया गया था। पूरे भारत में कम्पनी ने इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करने के लिये दूरसंचार विभाग (दू वि) से 'ए' श्रेणी लाइसेंस प्राप्त किया। इसने शिमला, हिमाचल प्रदेश में इंटरनेट सॉफ्टवेयर पैकेज (आई एस पी) सेवा प्रदान करने के लिये जुलाई 2001 में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमैन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश सरकार का उद्यम) के साथ समझौता ज्ञापन (सं क्षा) पर हस्ताक्षर किये। सेवायें 25 फरवरी 2002 से शुरू हो गई। 2002–03 के दौरान कम्पनी ने स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमैन्ट कॉरपोरेशनों को सम्मिलित करने का निर्णय भी किया ताकि विभिन्न राज्यों में इंटरनेट सेवायें प्रदान की जा सके और तदनुसार, कर्नाटक स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमैन्ट कॉरपोरेशन, पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलपमैन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और बेलट्रॉन कम्यूनिकेशनस लिमिटेड, पटना को क्रमशः कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व बिहार में इंटरनेट सेवायें प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। कम्पनी अपने ग्राहकों को मुख्यतः महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) को ऑनलाइन निविदा सेवा भी उपलब्ध करा रही है जैसा 'निविदा सेवा' और 'टेन्डर मार्ट'। तथापि पिछले दो वर्षों में लगातार हानि के कारण, आई एस पी शिमला परियोजना जनवरी 2004 से बंद कर दी गई थी।

### 9.2 संगठनात्मक ढांचा

अध्यक्ष (म टे नि लि के अ प्र नि) की अध्यक्षता में निदेशक बोर्ड में कम्पनी के कारोबारी कार्यकलापों का प्रशासकीय तथा समग्र नियंत्रण निहित है। दिन प्रतिदिन के प्रबन्धन में उनकी सहायता मुख्य प्रचालन अधिकारी, एंव एक आतंरिक वित्तीय सलाहकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी बोर्ड में तीन अन्य निदेशक (सभी म टे नि लि से ) हैं।

### 9.3 निवेश

100 करोड़ रू. की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी के प्रति, प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 2008 तक 2.88 करोड़ रू. थी जिसे इसकी नियंत्रक कम्पनी म टे नि लि ने पूरी तरह अभिदत्त किया था।

### 9.4 वित्तीय निष्पादन

2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान कम्पनी के व्यय 1.01 करोड़ रू., 0.61 करोड़ रू., 0.17 करोड़ रू., 0.17 करोड़ रू. तथा 0.07 करोड़ रू., के प्रति आय क्रमशः 1.77 करोड़ रू., 1.32 करोड़ रू., 0.24 करोड़ रू. 0.22 करोड़ रू. तथा 0.43

करोड़ रू., थी जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है। वर्तमान में इलैक्ट्रॉनिक निविदा सेवाओं, आई एस पी पैक की बिक्री सेवाओं इत्यादि से कोई राजस्व अर्जित नहीं हुआ तथा वर्ष के दौरान सारी अर्जित आय आवधिक जमाओं तथा अन्य विविध प्राप्तियों पर ब्याज से थी।

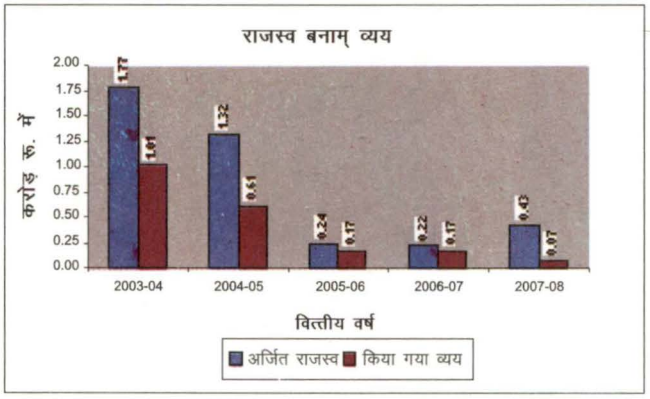


2003–04, 2004–05, 2005–06 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान कम्पनी ने क्रमशः 0.76 करोड़ रू., 0.71 करोड़ रू., 0.07 करोड़ रू., 0.05 करोड़ रू. तथा 0.36 करोड़ रू., के कर से पहले निवल लाभ अर्जित किया।

## 9.5 जनशक्ति

मुख्य प्रचालन अधिकारी कम्पनी के दिन प्रतिदिन के अधिकतर कारोबारी कार्यकलापों का प्रबंधन म टे नि लि के कर्मचारियों की मदद से करता है। 31 मार्च 2008 को समाप्त पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की कुल जनशक्ति संख्या नीचे दी गई है

| वर्ष | वर्ग क | वर्ग ख | वर्ग ग | वर्ग घ | कुल जनशक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 |
| 2004-05 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2005-06 | 8 | -- | -- | -- | 8 |
| 2006-07 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| 2007-08 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 |

# अध्याय X
# लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

## 10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिये गए सभी विषयों के बारे में कार्यकारी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, लोक लेखा समिति (लो ले स) ने 1982 में निर्णय लिया कि उनमें समाविष्ट सभी पैराग्राफों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग अन्तिम उपचारी/दोष निवारक की गई कार्यवाई टिप्पणी (की का टि) प्रस्तुत करेंगे।

लो ले स ने नौंवे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) जो कि 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत किया गया, में अपने पहले के विचारों को दोहराते हुए की का टि को निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असाधारण विलंब तथा विफलता को गम्भीरता से लिया।

लोकसभा सचिवालय ने भी (जुलाई 1985) में सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) में सम्मिलित सभी पैराग्राफों/अधिमूल्यन से संबंधित त्वरित/सही–कार्यवाही दर्शाने वाली टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित) संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाए। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित समिति (सा क्षे उ समिति) द्वारा विस्तृत जांचों के लिए नहीं चुने हुए पैराग्राफों/अधिमूल्यनों के संबंध में ऐसी टिप्पणियों को भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त, सा क्षे उ स ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998–99–बारहवीं लोकसभा) में लोक सभा द्वारा जारी जुलाई 1985 के उपर्युक्त अनुदेशों को पुनः बताते हुये, सिफारिश की कि संसद में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) के सभी प्रतिवेदनों पर संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत होने के छः माह के अन्दर की गई अनुवर्ती कार्यवाही टिप्पणियां लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित होने के पश्चात सा क्षे उ समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की अनुवर्ती कार्यवाही में, सा क्षे उ स ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999–2000–तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया कि सार्वजनिक उद्यमों के विभाग (सा उ वि) को अपने सा उ वि में एक अलग मानीटरिंग सैल स्थापित करना चाहिये जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उपक्रमों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही के निष्कर्षों की जांच कर सके।

दूरसंचार विभाग (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड व महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से संबंधित की का टि की समीक्षा से पता चला कि 126 पैराग्राफों, जिनका विवरण **परिशिष्ट–XXVII** में है, के संबंध में अन्तिम की का टि अक्तूबर 2008 तक प्रतीक्षित थी।

(प्रवीण त्रिपाठी)
उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्षा लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांकः **19.5.2009**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः **21.5.2009**

# परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

(पृष्ठ संख्या **8** पर पैराग्राफ **2.1** में संदर्भित )

पटना में स्तर–I टी ए एक्स के खराब सी सी आर के कारण राजस्व हानि को दर्शाने वाली विवरणी

| पटना में स्तर–I टी ए एक्स का विवरण | प्रत्येक टी ए एक्स में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली कालों का न्यूनतम औसत (लाख में) | सफल कालों का लक्ष्य (कालम 2 का 42%) (लाख में) | 42% की लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रतिवर्ष आवश्यक सफल कालों की औसत संख्या (कालम 3X365) (करोड़ रू. में) | प्रत्येक टी ए एक्स में प्रतिदिन सफल कालों की अधिकतम औसत (लाख में) | प्रत्येक टी ए एक्स में प्रतिवर्ष सफल कालों की अधिकतम औसत संख्या (कालम 5X365) (करोड़ रू. में) | सफल कालों की कमी करोड़ रू. में (कालम 4–6) | प्रतिवर्ष राजस्व की कमी (1.20 रूपये प्रति काल X कालम 7) (करोड़ रू. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ओ सी बी टी ए एक्स पटना (पी टी–I) | 60 | 25 | 92 | 20 | 73 | 19 | 23 |
| ई डब्ल्यू एस डी टी ए एक्स पाटिलीपुत्र (पी टी–2) | 25 | 11 | 38 | 8 | 29 | 9 | 11 |
| ए एक्स ई–10 टी ए एक्स राजेन्द्र नगर (पी टी–3) | 125 | 53 | 192 | 35 | 128 | 64 | 77 |
| ओ सी बी टी ए एक्स बुद्धमार्ग (पी टी–4) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल योग** | | | | | | **92** | **110** |

राजस्व की हानि (अनुमानित)

| वर्ष | कालों में कमी (करोड़) | राजस्व की हानि (कालम 2 X 1.20 रूपये प्रतिकाल) (करोड़ रू. में) |
|---|---|---|
| 2005-06 | 91.98 | 110 |
| 2006-07 | 91.98 | 110 |
| 2007-08 (अप्रैल से अक्तूबर) | 53.65 | 64 |
| **कुल योग** | | **285** |

पी टी–4 टी ए एक्स को गणना के लिये नहीं लिया गया है क्योंकि उसे फरवरी 2007 में स्थापित किया गया था।

नोट

टी ए एक्स में प्राप्त कालें होम नेटवर्क और अन्य परिचालकों के नेटवर्क से उत्पन्न होती है। भा सं नि लि होम नेटवर्क कालों और अन्य परिचालकों के नेटवर्क की कालों के पृथक आंकड़े देने की स्थिति में नहीं था। पृथक आंकड़ों के अभाव में सभी कालों को होम नेटवर्क कालों के रूप में लिया गया और राजस्व की हानि होने को 1.20 रू. प्रतिकाल की दर से गणित किया गया।.

परिशिष्ट–II

(पृष्ठ संख्या **9** पर पैराग्राफ **2.2** में संदर्भित )

आर डी ई एल एफ को प्रदान न करने एवं वी पी टी का त्रुटि रहित एवं क्रियाशील रखरखाव न कर पाने के कारण सबसिडी की हानि का विवरण।

(लाख रू. में)

| क्र.सं. | परिमण्डल / सै स्वी क्षेत्रों का नाम | अवधि | हानि की राशि |
|---|---|---|---|
| **गुजरात दूरसंचार परिमण्डल–आर डी ई एल** | | | |
| 1 | म प्र दू जि भरूच | 2007-08 | 103.93 |
| 2 | भावनगर | 2007-08 | 34.48 |
| 3 | म प्र दू जि जामनगर | 2007-08 | 40.24 |
| 4 | म प्र दू जि सुन्दर नगर | 2007-08 | 1.56 |
| 5 | म प्र दू जि वडोदरा | 2007-08 | 539.96 |
| 6 | अमरेली | 2007-08 | 7.38 |
| 7 | म प्र दू जि गोधरा | 2007-08 | 636.85 |
| 8 | हिम्मत नगर | 2007-08 | 0.69 |
| 9 | म प्र दू जि पालनपुर | 2007-08 | 244.07 |
| 10 | वलसाड | 2007-08 | 151.84 |
| 11 | म प्र दू जि सूरत | 2007-08 | 342.91 |
| 12 | म प्र दू जि राजकोट | 2007-08 | 22.91 |
| 13 | भुज्ज | 2007-08 | 9.72 |
| **उप–योग** | | | **2136.54** |
| **राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल–वी पी टी** | | | |
| 1 | म प्र दू जि जोधपुर | अप्रैल 2004 से मार्च 2007 | 12.89 |
| 2 | म प्र दू जि अजमेर | अप्रैल 2004 से सितम्बर 2007 | 6.20 |
| 3 | म प्र दू जि बाडमेर | अप्रैल 2005 से जून 2007 | 10.34 |
| 4 | प्र म प्र दू जि जयपुर | अप्रैल 2004 से सितम्बर 2007 | 6.51 |
| 5 | मे अ दू जैसलमेर | जुलाई 2004 से दिसम्बर 2007 | 8.00 |
| 6 | म प्र दू जि कोटा | अक्तूबर 2003 से मार्च 2008 | 10.08 |
| 7 | म प्र दू जि बांसवाडा | जुलाई 2006 से मार्च 2008 | 2.82 |
| **उप–योग** | | | **56.84** |
| **उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार परिमण्डल–वी पी टी** | | | |
| 1 | म प्र दू जि वाराणसी | जनवरी 2005 से सितम्बर 2007 | 181.68 |
| 2 | म प्र दू जि झांसी | जनवरी 2004 से मार्च 2006 | 164.91 |
| 3 | म प्र दू जि इलाहाबाद | अप्रैल 2003 से दिसम्बर 2006 | 282.54 |
| 4 | म प्र दू जि बाहरेच | अप्रैल 2004 से मार्च 2007 | 112.76 |
| 5 | जि प्र दू गाजीपुर | जुलाई 2004 से जून 2007 | 115.01 |
| **उप–योग** | | | **856.90** |
| **उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार परिमण्डल–वी पी टी** | | | |
| 1 | म प्र दू जि बुलन्दशहर | जुलाई 2005 से मार्च 2007 | 37.86 |
| 2 | म प्र दू जि ऐटा | जुलाई 2004 से मार्च 2007 | 97.74 |
| **उप–योग** | | | **135.60** |
| **महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल–वी पी टी** | | | |
| 1 | कल्याण | जून 2002 से दिसम्बर 2007 | 19.19 |
| 2 | नागपुर | | 11.52 |
| 3 | रत्नागिरी | | 29.78 |
| 4 | वरधा | | 19.10 |
| **उप–योग** | | | **79.59** |
| **कुल योग** | | | **3265.47** |

सकल योग 32..65 करोड़ रूपये

परिशिष्ट–III

(पृष्ठ संख्या **10** पर पैराग्राफ **2.3** में संदर्भित )

देयों का भुगतान न होने के बावजूद दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना

(लाख रू. में)

| क्र. सं. | परिमण्डल/सै स्वी क्षे क्रा नाम | अभिदाताओं की संख्या | गैरवसूली की अवधि | गैरवसूली की राशि | वसूली/समायोज किया गया | वसूली की जाने वाली शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 1 | महाप्रबंधक दूरसंचार जिला झांसी | 66 | अप्रैल 1996 से मार्च 2008 | 107.28 | 91.71 | 15.57 |
| **उप–योग** | | | | **107.28** | **91.71** | **15.57** |
| **उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 2 | महाप्रबंधक दूरसंचार जिला नोएडा | 104 | मार्च 1997 से मई 2007 | 300.59 | 72.92 | 227.67 |
| **उप–योग** | | | | **300.59** | **72.92** | **227.67** |
| **बिहार दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 3 | प्र दू जि खगरिया | 121 | अप्रैल 2005 से अगस्त 2006 | 23.63 | 10.18 | 13.45 |
| 4 | प्र दू जि सहारसा | 356 | अप्रैल 2005 से अक्तूबर 2006 | 18.41 | 8.60 | 9.81 |
| 5 | प्र दू जि सहारसा | 25 पे फोन | अप्रैल 2006 से अक्तूबर 2006 | 1.85 | 1.37 | 0.48 |
| 6 | प्र म दू जि पटना | 95 | अप्रैल 2005 से मई 2007 | 84.92 | 9.93 | 98.62 |
| 7 | प्र म प्र दू जि पटना | 47 एस टी डी पी सी ओ | अप्रैल 2005 से मई 2007 | 23.63 | | |
| 8 | प्र दू प्र जि हाजीपुर | 252 | अप्रैल 2005 से मार्च 2007 | 24.02 | 14.35 | 9.67 |
| 9 | म प्र दू जि कटिहार | 22 | अप्रैल 2005 से नवम्बर 2006 | 6.71 | 1.58 | 5.13 |
| 10 | म प्र दू जि कटिहार | 18 एस टी डी पी सी ओ | अप्रैल 2005 से नवम्बर 2006 | 2.55 | 1.24 | 1.31 |
| **उप–योग** | | | | **185.72** | **47.25** | **138.47** |
| **झारखंड दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 11 | प्र दू जि दुमका | 906 | अप्रैल 2005 से मार्च 2007 | 184.90 | 0.00 | 184.90 |
| 12 | प्र दू जि दुमका | 375 एस टी डी पी सी ओ | अप्रैल 2005 से मार्च 2007 | 67.46 | 0.00 | 67.46 |
| 13 | म प्र दू जि जमशेदपुर | 519 | अप्रैल 2005 से मार्च 2007 | 118.78 | 0.00 | 118.78 |
| 14 | म प्र दू जि जमशेदपुर | 166 एस टी डी पी सी ओ | अप्रैल 2005 से मार्च 2007 | 28.59 | 0.00 | 28.59 |
| 15 | म प्र दू जि रांची | 774 | अप्रैल 2005 से मार्च 2007 | 270.72 | 0.00 | 270.72 |
| 16 | म प्र दू जि रांची | 25 एस टी डी पी सी ओ | अप्रैल 2005 से मार्च 2007 | 11.06 | 0.00 | 11.06 |
| 17 | म प्र दू जि धनबाद | 149 | अप्रैल 2005 से मई 2007 | 69.31 | 0.00 | 69.31 |
| 18 | म प्र दू जि धनबाद | 32 एस टी डी पी सी ओ | अप्रैल 2005 से मई 2007 | 5.11 | 0.00 | 5.11 |
| **उप–योग** | | | | **755.93** | **0.00** | **755.93** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 19 | म प्र दू कोल्हापुर | 11 | मार्च 1995 से अक्तूबर 2002 | 16.74 | 2.67 | 14.07 |
| 20 | प्र दू जि जलना | 47 | जनवरी 1993 से मार्च 2005 | 21.03 | 13.40 | 7.63 |
| 21 | म प्र दू रत्नागिरि | 49 | मार्च 2001 से अक्तूबर 2002 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| **उप–योग** | | | | **58.17** | **16.07** | **42.10** |
| **कुल योग** | | | | **1407.69** | **227.95** | **1179.74** |

**अर्थात् 14.08 करोड़ रूपये**

परिशिष्ट–IV

(पृष्ठ संख्या **10** पर पैराग्राफ 2.4 में संदर्भित)

पूर्ण संज्ञापन पत्रों की अप्राप्ति के कारण बिल न बनना

(लाख रू. में)

| क्र.सं. | लाईनो/केबल परिपथों का विवरण | अप्राप्त संज्ञापनक पत्र | | लेखापरीक्षा नोट जारी किये जाने के बाद जारी किये गये बिल की वसूली | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अवधि | राशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| झारखंड दूरसंचार परिमण्डल | | | | | |
| 1 | म प्र दू जि धनबाद द्वारा रिलायंस इन्फोकाम लि को 29 और एयरटेल को 13 पोर्टों का प्रावधान | जनवरी 2006 से मार्च 2008 | 30.41 | 5.90 | 24.51 |
| 2 | म प्र दू जि जमशेदपुर द्वारा आर टी एल, टाटा टेलीसर्विसिज और भारती सेल्युलर सर्विसिज लि को 44 पोर्टों का प्रावधान | फरवरी 2000 से मार्च 2007 | 37.10 | 23.50 | 13.60 |
| 3 | टाटा टेलीसविर्सिज लिमिटेड रांची को 8 पोर्टों का प्रावधान | अगस्त 2007 से मार्च 2008 | 2.77 | 1.97 | 0.80 |
| 4 | म प्र दू जि रांची द्वारा पंजाब नेशनल बैंक का पटे पर परिपथों का प्रावधान | जनवरी 2005 से मार्च 2008 | 56.64 | 47.02 | 9.62 |
| 5 | म प्र दू जि रांची द्वारा बैंक आफ इण्डिया को पटे पर परिपथों का प्रावधान | मई 2005 से मार्च 2008 | 12.37 | 12.37 | 0.00 |
| 6 | म प्र दू जि रांची द्वारा जे ए पी आई टी इन्जीनियरिंग कोलेड को पट्टे पर परिपथों का प्रावधान | जुलाई 2007 से मार्च 2008 | 9.19 | 0.00 | 9.19 |
| 7 | म प्र दू जि रांची द्वारा केनरा बैंक को पट्टे पर परिपथों का प्रावधान | मार्च 2005 से मार्च 2008 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 8 | म प्र दू जि रांची द्वारा अपोलो टायर को पट्टे पर परिपथों का प्रावधान | फरवरी 2005 से मार्च 2008 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 9 | म प्र दू जि रांची द्वारा एल जी इलैक्ट्रानिक को पट्टे पर परिपथों का प्रावधान | मई 2005 से मार्च 2008 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 10 | म प्र दू जि रांची द्वारा मुख्य सचिव को पटटे पर परिपथों का प्रावधान | दिसम्बर 2006 से मार्च 2008 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 11 | म प्र दू जि रांची द्वारा भा जी बी नि को पट्टे पर परिपथों का प्रावधान | मई 2005 से मार्च 2008 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | म प्र दू जि द्वारा रांची नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्डरी और फोर्ज टेक्नालोजी को 2 एम बी पी एस इन्टरनेट लाइनों को पट्टे का प्रावधान | सितम्बर 2005 से सितम्बर 2007 | 27.07 | 4.85 | 22.22 |
| 13 | म प्र दू जि धनबाद के 186 अभिदाताओं को दूरसंचार सेवाओं का प्रावधान | सितम्बर 2001 से मई 2007 | 18.81 | 9.30 | 9.51 |
| 14 | प्र दू जि दुमका के 87 अभिदाताओं को दूरसंचार सेवा का प्रावधान | अप्रैल 2006 से मार्च 2007 | 5.17 | 0.74 | 4.43 |
| 15 | म प्र दू जि रांची के 594 अभिदाताओं को दूरसंचार सेवा का प्रावधान | अक्तूबर 2000 से मार्च 2007 | 238.00 | 110.00 | 128.00 |
| | उप–योग | | **449.62** | **215.65** | **233.97** |
| बिहार दूरसंचार परिमण्डल | | | | | |
| 1 | म प्र दू जि कटिहार द्वारा पंजाब नेशनल बैंक का पट्टे पर परिपथों का प्रावधान | जनवरी 2007 से जनवरी 2008 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| 2 | म प्र दू जि कटिहार द्वारा भा जी बी नि को पट्टे पर परिपथों का प्रावधान | मार्च 2006 से मार्च 2007 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 3 | प्र दू जि आरा द्वारा भा जी बी नि को डाटा परिपथों का प्रावधान | फरवरी 2004 से मार्च 2008 | 2.89 | 1.54 | 1.35 |
| 4 | प्र दू जि आरा द्वारा पंजाब नेशनल बैंक का पटे पर परिपथों का प्रावधान | अगस्त 2005 से मार्च 2008 | 4.29 | 4.29 | 0.00 |
| 5 | प्र दू जि आरा द्वारा रीगल होटल को डाटा परिपथों का प्रावधान | अगस्त 2005 से मार्च 2008 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 6 | प्र दू जि आरा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को डाटा परिपथों का प्रावधान | जुलाई 2006 से मार्च 2008 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 7 | म प्र दू जि गया द्वारा 1069 अभिदाताओं को दूरसंचार सेवा का प्रावधान | अक्तूबर 2006 से अप्रैल 2007 | 40.50 | 25.57 | 14.93 |
| 8 | प्र म प्र दू जि पटना द्वारा 232 अभिदाताओं को दूरसंचार सेवा का प्रावधान | जनवरी 2007 से मई 2007 | 33.97 | 9.92 | 24.05 |
| 9 | प्र दू जि हाजीपुर को 456 अभिदाताओं को दूरसंचार सेवा का प्रावधान | नवम्बर 2006 से मई 2007 | 4.85 | 4.45 | 0.40 |
| | उप–योग | | **91.31** | **50.58** | **40.73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | |
| 1 | म प्र दू जि नादेंड का 1130 अभिदाताओं को दूरसंचार सेवा का प्रावधान | अप्रैल 2004 से जुलाई 2006 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
| उप–योग | | | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
| **चेन्नई दूरसंचार परिमंडल** | | | | | |
| 1 | चेन्नई टेलीफोन्स द्वारा विभिन्न अभिदाताओं को विभिन्न परिपथों का प्रावधान | 2006–08 | 10.50 | 5.72 | 4.78 |
| **उप–योग** | | | **10.50** | **5.72** | **4.78** |
| **कुल योग** | | | **563.63** | **271.95** | **291.68** |

परिशिष्ट–V

(पृष्ठ संख्या **11** पर पैराग्राफ **2.5** में संदर्भित)

किराये की कम वसूली को दर्शाने वाली विवरणी

(लाख रू. में)

| क्र.सं. | परिमंडल/सै स्वी क्षे का नाम | कम बिल बनाने की अवधि | कम बिल की राशि | वसूली राशि | वसूल की जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| बिहार दूरसंचार परिमंडल | | | | | |
| 1. | म प्र दू जि गया | अप्रैल 2002 से सितम्बर 2007 | 233.77 | 0.00 | 233.77 |
| 2. | प्र म प्र दू जि पटना | मई 2005 से मार्च 2007 | 11.97 | 1.21 | 10.76 |
| 3. | प्र दू जि आरा | अप्रैल 2006 से सितम्बर 2007 | 20.80 | 0.00 | 20.80 |
| 4. | प्र दू जि मोतीहारी | अप्रैल 2004 से अगस्त 2007 | 8.61 | 0.00 | 8.61 |
| 5. | म प्र दू जि मधुबनी | जुलाई 2002 से जनवरी 2008 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 6. | प्र दू जि बुगुसराय | जून 2003 से फरवरी 2008 | 11.63 | 0.00 | 11.63 |
| उप–योग | | | **319.78** | **1.21** | **318.57** |
| झारखंड दूरसंचार परिमंडल | | | | | |
| 1 | धनबाद | अप्रैल 2003 से मार्च 2007 | 30.83 | 0.00 | 30.83 |
| 2 | म प्र दू जि हजारीबाग | जून 2005 से नवम्बर 2007 | 17.05 | 0.00 | 17.05 |
| उप–योग | | | **47.88** | **0.00** | **47.88** |
| राजस्थान दूरसंचार परिमंडल | | | | | |
| 1 | म प्र दू जि जोधपुर | मई 2002 से जून 2007 | 24.34 | 0.00 | 24.34 |
| उप–योग | | | **24.34** | **0.00** | **24.34** |
| कुल–योग | | | **392.00** | **1.21** | **390.79** |

परिशिष्ट–VI

(पृष्ठ संख्या **12** पर पैराग्राफ **2.6** में संदर्भित)

लाइसेंसशुदा सेवा प्रदाताओं को प्रदान की गई अवसंरचना सुविधाओं के लिये किराये की गैर वसूली

(लाख रू. में)

| क्र.सं. | परिमंडल/सै स्वी क्षे का नाम | जारी बिलों और वसूली का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अवधि | लेखापरीक्षा में आपत्तिशुदा राशि | वसूली/समयोजित राशि | वसूली के लिये लम्बित राशि |
| झारखंड दूरसंचार परिमंडल | | | | | |
| 1 | म प्र दू जि धनबाद | अक्तूबर 2003 से मार्च 2007 | 41.49 | 0.36 | 41.13 |
| 2 | म प्र दू जि रांची | फरवरी 2001 से मार्च 2007 | 27.77 | 3.75 | 24.02 |
| उप–योग | | | **69.26** | **4.11** | **65.15** |
| महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल | | | | | |
| 1 | म प्र दू जि सांगली | 2007-08 | 79.75 | 53.23 | 26.52 |
| 2 | म प्र दू जि सोलापुर | अप्रैल 2006 से मार्च 2008 | 17.88 | 13.64 | 4.24 |
| 3 | उप–म प्र (रखरखाव) नागपुर | 2006-07 से 2007-08 | 16.47 | 16.47 | 0 |
| 4 | प्र म प्र दू परमानी | 2006-07 से 2007-08 | 20.05 | 18.78 | 1.27 |
| 5 | जि अ दू गाडचरौली | जुलाई 2006 से मार्च 2008 | 8.09 | 2.51 | 5.58 |
| 6 | म प्र दू चन्द्रपुर | 2006-07 से 2007-08 | 10.55 | 9.43 | 1.12 |
| उप–योग | | | **152.79** | **114.06** | **38.73** |
| योग | | | **222.05** | **118.17** | **103.88** |
| | | | | | अर्थात् 2.22 करोड़ रू. |
| 1 | प्र म प्र दू जि पूणे | दिसम्बर 2006 से मार्च 2008 | 43.89 | 41.80 | 2.09 |
| 2 | म प्र दू जि जमशेदपुर | फरवरी 1999 से मार्च 2007 | 64.53 | 9.01 | 55.52 |
| योग | | | **108.42** | **50.81** | **57.61** |
| | | | | | अर्थात 1.08 करोड रू. |
| कुल योग | | | | अर्थात 3.30 करोड रू. | |

परिशिष्ट–VII

(पृष्ठ संख्या **13** पर पैराग्राफ **2.7** में संदर्भित)

परिपथों को प्रदान करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि को दर्शाने वाली विवरणी

(लाख रू. में)

| परिमण्डल सैस्वी क्षेत्र का नाम | पटटे पर दिये गये परिपथों/अतः सयोजन बिदुओं की संख्या | विलम्ब की अवधि | राजस्व की हानि |
|---|---|---|---|
| **बिहार दूरसंचार परिमण्डल** | | | |
| प्रबन्धक दूरसंचार जिला आरा | पटटे पर दिये गये 8 परिपथ | 197 दिन से 320 दिन | 3.86 |
| **उप–योग** | | | **3.86** |
| **झारखण्ड दूरसंचार परिमण्डल** | | | |
| महाप्रबन्धक दूरसंचार जिला रांची | 41 पटटे पर दिये गये परिपथ | 13 से 332 दिन | 20.98 |
| **उप–योग** | | | **20.98** |
| **महाराष्ट्र दूरसंचार जिला पूणे** | | | |
| प्रधान महाप्रबन्धक दूरसंचार जिला पूणे | पटटे पर दिये गये 25 परिपथ | 46 से 854 दिन | 247.24 |
| **उप–योग** | | | **247.24** |
| **उड़ीसा दूरसंचार परिमण्डल** | | | |
| जिला अभियन्ता दूरसंचार फूलबनी | पटटे पर दिये गये 7 परिपथ/6 पी.ओ. आई | 112 से 300 दिन | 17.57 |
| **उप–योग** | | | **17.57** |
| **योग** | | | **289.65** |

**अर्थात 2.90 करोड रू.**

परिशिष्ट–VIII
(पृष्ठ संख्या **14** पर पैराग्राफ **2.8** में संदर्भित)
दावों की अवसूली

| परिमण्डल का नाम | अवधि | अदावा (रूपये में) | कम वसूल (रूपये) | कुल (रूपये) |
|---|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल | अक्टूबर 2000 से अगस्त 2007 | 8396311 | 6181121 | 14577432 |
| पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र | अक्टूबर 2000 से मार्च 2007 | 9540874 | 0 | 9540874 |
| पूर्वी दूरसंचार परियोजना | अक्टूबर 2000 से मई 2007 | 3322385 | 0 | 3322385 |
| योग | | | | **27440691** |

परिशिष्ट–IX

(पृष्ठ संख्या **15** पर पैराग्राफ **2.9** में संदर्भित)

निजी परिचालकों से पोर्टों के बन्द होने या अभ्यर्पित करने पर करने पर पोर्ट–प्रभारों का असंग्रहण

(लाख रू. में)

| सै स्वी क्षेत्र | बन्द/अभ्यर्पित पोर्टों की सख्या | बिल न बनाने की अवधि | राशि | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | बिल नही बनाये गये | वसूलें /रिर्टन वेक | व्सूल की जाने वाली वकाया राशि |
| **1. तमिलनाडू दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | |
| विरुधानगर | 22 | 4/06 से 11/08 | 5.78 | 0 | 5.78 |
| कुडालौर | 14 | 4/2007 से 9/2008 | 4.34 | 0 | 4.34 |
| मदुराई | 16 | --do-- | 4.55[1] | 2.87 | 1.68 |
| टूटोकोरिन | 6 | 4/2007 से 7/2008 | 2.70 | 0 | 2.70 |
| कोयम्बटूर | 55 | 4/2007 से 2/2008 | 12.06 | 5.42 | 6.64 |
| **उप–योग** | | | **29.43** | **8.29** | **21.14** |
| **2. चेन्नई दूरभाष** | | | | | |
| कार्या. उ.मे.प्र.(एज डी और एन.वी.एस) | 100 | 4/07 से 7/08 | 25.44 | 18.50 | 6.94 |
| कार्या. उ.मे.प्र.(एज डी और एन.वी.एस) | 135 | 4/2007 से 9/2008 | 36.66 | 36.66 | 0 |
| **उप–योग** | | | **62.10** | **55.16** | **6.94** |
| **3. दक्षिण दूरसंचार क्षेत्र चेन्नाई** | | | | | |
| कार्या. मु.म.प्र. द.दू.क्षे. चेन्नई | 19 | 2/2006 से 10/2007 | 7.86 | 7.86 | 0 |
| **उप–योग** | | | **7.86** | **7.86** | 0 |
| **कुल –योग** | | | **99.39** | **71.31** | **28.08** |

**अर्थात 99.39 लाख रूपये**

[1] रूपये 55000/– प्रति पोंट की दर से लिया गया, अन्तिम दरों के संबंध में टी.डी.एस.ए.टी का निर्णय लम्बित था।

**परिशिष्ट–X**

**(पृष्ठ संख्या 16 पर पैराग्राफ 2.10 में संदर्भित)**

**पटटे पर दिये गये परिपथों के विषय में किराये के बिल न बनाने को दर्शाने वाली विवरणी**

(लाख रू. में)

| क्रम सख्या | परिमण्डल सै स्वी क्षेत्र का नाम | विवरण | बिल बनाने की अवधि | कम बिल बनाया/बिल नही बनाया | वसूली राशि | व्सूल की जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **गुजरात दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 1 | प्रधान महाप्रबन्धक दूरसंचार वडोदरा | गुजरात उनी बिकास निगम लिमिटेड को पटटे पर प्रदान की गई 45 लीजड स् मे.एल एल.एन.लीजड लाइने | अप्रैल 2007 से मार्च 2008 | 17.54 | 0.00 | 17.54 |
| | | **उप–योग** | | **17.54** | **0.00** | **17.54** |
| **चैन्नई दूरसंचार जिला** | | | | | | |
| 1 | उप महाप्रबन्धक (एल.डी.)और एन.वी.एस. चैन्नई | उ.म.प्र (एल.डी. और एन.वी. एस.) चै.दू.जि.द्वारा प्रदान किये गये 17 एम.पी.एस.वी. पी.एन. परिपथ | 2005-08 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| | | **उप–योग** | | **24.90** | **0.00** | **24.90** |
| **महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 1 | मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार परिमण्डल | वोकार्ड अस्पताल लिमि. को प्रदान की गई वी.पी.एन./एस.एल.एल.एन | जून 2006 से मार्च 2008 | 4.86 | 4.86 | 0.00 |
| | | छीवान आवासीय और वि. निगम लिमि. को प्रदान की गई वी.पी.एन/एम.एल.एल.एन. | जुलाई 2006 से मार्च 2008 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| | | एम.सी.एक्स लिमि.को इथरनेट वेब लोकेषन सर्वर | मई 2005 से मार्च 2008 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| | | एम.सी.एक्स लिमि को 6 वी.पी.एन.परिपथ | अगस्त 2005 से मार्च 2008 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| | | बैंक ऑफ इडियॉ को पटटे पर पदान 5 परिपथ | अगस्त 2005 से मार्च 2008 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
| | | राष्ट्रीय स्टाक एक्सेंचेज को 15 वी.पी.एन.परिपथ | दिसम्बर 2005 से मार्च 2008 | 9.71 | 1.20 | 8.51 |
| | | महिन्द्रा और महिन्द्रा को 29 पटटे पर परिपथ/वी. पी.एन. | जुलाई 2005 से मार्च 2008 | 21.12 | 6.41 | 14.71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आई.सी.आई सी.आई. बैंक को पटटे पर दिये गये 12 परिपथ | जनवरी 2006 से मार्च 2008 | 7.68 | 6.99 | 0.69 |
| **उप–योग** | | | | **64.66** | **40.75** | **23.91** |
| **तमिलनाडू दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 1 | प्रधान महाप्रबन्धक दूरसंचार कोयम्बटूर | प्र.म.प्र.दू.जि.कोयम्बटूर द्वारा प्रदान किये गये 8 एम.पी. एल.वी.पी.एन. परिपथ | 2005-08 | 9.83 | 0.00 | 9.83 |
| **उप–योग** | | | | **9.83** | **0.00** | **9.83** |
| **कुल –योग** | | | | **116.93** | **40.75** | **76.18** |

अर्थात 1.17 करोड रूपये

परिशिष्ट–XI

(पृष्ठ संख्या **16** में पैराग्राफ **2.11** में संदर्भित)

अभिदाओं की प्रमाणिकता की गलत पुष्टि के कारण राजस्व की हानि

(लाख रूपये में)

| क्रम संख्या | सै.स्वी. क्षेत्र का नाम | अभिदाताओं की सख्या | महीना | | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ऐक्रिवेशन का | कमेक्शन काटे जाना का | |
| **बिहार दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | |
| 1 | गया | 26 | अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2006 | नवम्बर 2005 से अगस्त 2007 | 5.02 |
| 2 | आरा | 22 | अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2006 | मार्च 2006 से जुलाई 2007 | 4.59 |
| **उप–योग** | | **48** | | | **9.61** |
| **झारखण्ड दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | |
| 1 | जमशेदपूर | 64 सयोंहकों के साथ वी.पी.एन. | दिसम्बर 2005 | जनवरी 2006 | 16.72 |
| 2 | राची | 52 | अप्रैल 2005 से जून 2006 | नवम्बर 2005 से अगस्त 2007 | 37.49 |
| **उप–योग** | | **53** | | | **54.21** |
| **कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | |
| 1 | महाप्रबन्धक (परिचालन) बैंगलोर | 1(333 संयोजकों वाला सी.यू.जी.) | अक्टूबर 2005 | नवम्बर 2005 | 38.06 |
| **उप–योग** | | **1** | | | **38.06** |
| **कुल योग** | | **102** | | | **101.88** |

**अर्थात 1.02 करोड रूपये**

## परिशिष्ट–XII
**(पृष्ठ संख्या 17 पर पैराग्राफ 2.13 में संदर्भित)**

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर की गई वसूली को दर्षाने वाली विवरणी

(लाख रूपये में)

| क्रम संख्या | सै.स्वी.क्षेत्र का नाम | विषय | क्रय बिल बनाना/बिल न. बनाना | | वसूली निरस्त राशि | वसूली की जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अविध | राशि | | |
| **हरियाणा दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 1 | म.प्र.दू. गुडगॉव | एस.ए.एस. सोल्युषन और शुश्रा टेलीकोम को प्रदान किये गये डारयेक्ट इनवार्ड डायलिंग (डी. आई.डी.) का बिल न बनाया जाना | मई 2004 से जनवरी 2007 | 19.09 | 19.09 | 0.00 |
| 2 | म.प्र.दू गुडगॉव | आई.बी.एम. से स्क्रिोनाईन्ड ट्रांसर्पोट माडयूल–। (एस टी एम–।) के किराये की कम वसूली | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 | 36.55 | 36.55 | 0.00 |
| **उप – योग** | | | | **55.64** | **55.64** | **0.00** |
| **पजॉब दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 1 | म.प्र.दू.जि. जालंधर | भारती सेल्युलर लिमि. से क्षतिपूर्ति की अवसूली | अप्रैल 2006 | 42.84 | 42.50 | 0.34 |
| **उप –योग** | | | | **42.84** | **42.50** | **0.34** |
| **राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल** | | | | | | |
| 1 | म.प्र.दू.जि. कोटा | सेना द्वारा भूमिगत केबल के किराये का भुगतान न किया जाना | अप्रैल 2006 से मार्च 2007 | 32.54 | 32.54 | 0.00 |
| | | मण्डलीय रेलवे कोटा द्वारा किराये का भुगतान न किया जाना | दिसम्बर 2003 से मार्च 2006 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| | | आर.ए.पी.पी. अनुषक्ति रावतभाटा कोटा द्वारा 60 चैनल यू.एच.एफ प्रणाली (आर. एण्ड जी.)के किराये का भुगतान न किया जाना | जुलाई 1992 से सितम्बर 1992 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| **उप–योग** | | | | **38.58** | **38.58** | **0.00** |
| **कुल योग** | | | | **137.06** | **136.72** | **0.34** |

**अर्थात 1.37 करोड रू.**

परिशिष्ट–XIII

(पृष्ठ संख्या **20** पर पैराग्राफ **3.2** में संदर्भित)

उत्पादकता से जुडे प्रोत्साहन राशि का अनियमित अतिरिक्त भुगतान

| क्र. सं. | वेतनमान (आई डी ए/सी डी ए) रूपये में | वेतनमान पी एल आई का न्यूनतम लेने (बी पी एक्स का गुणक खण्ड यानि 1.4) | जहां पी एल आई 25000/– रूपये से अधिक है वहीं पी एल आई का 25000/– पर सीमित करना | दू वि के निर्देशों के अनुसार अधिकतम सीलिंग (रूपये में) | प्रत्येक कर्मचारी को अधिक भुगतान (रूपये में) कालम (4–5) | विशिष्ट वेतनमान में कर्मचारियों की संख्या | स्टाफ को पी एल आई का अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 9850-14600 (आई डी ए) | 13790 | 13790 | 12500 | 1290 | 24998 | 32,247,420 |
| 2 | 11875-17275 (आई डी ए) | 16625 | 16625 | 12500 | 4125 | 22826 | 94,157,250 |
| 3 | 13000-18250 (आई डी ए) | 18200 | 18200 | 12500 | 5700 | 2246 | 12,802,200 |
| 4 | 14500-18700 (आई डी ए) | 20300 | 20300 | 12500 | 7800 | 5502 | 42,915,600 |
| 5 | 16000-20800 (आई डी ए) | 22400 | 22400 | 12500 | 9900 | 140 | 1,386,000 |
| 6 | 17500-22300 (आई डी ए) | 24500 | 24500 | 12500 | 12000 | 59 | 708,000 |
| 7 | 20500-26500 (आई डी ए) | 28700 | 25000 | 12500 | 12500 | 4 | 50,000 |
| 8 | 23750-28550 (आई डी ए) | 33250 | 25000 | 12500 | 12500 | 53 | 662,500 |
| 9 | 25000-30200 (आई डी ए) | 35000 | 25000 | 12500 | 12500 | 9 | 112,500 |
| 10 | 25750-30950 (आई डी ए) | 36050 | 25000 | 12500 | 12500 | 4 | 50,000 |
| 11 | 27750-31500 (आई डी ए) | 38850 | 25000 | 12500 | 12500 | 1 | 12,500 |
| 12 | 10000-15200 (सी डी ए) | 14000 | 14000 | 12500 | 1500 | 373 | 559,500 |
| 13 | 12000-16500 (सी डी ए) | 16800 | 16800 | 12500 | 4300 | 334 | 1,436,200 |
| 14 | 14300-18300 (सी डी ए) | 20020 | 20020 | 12500 | 7520 | 609 | 4,579,680 |
| 15 | 18400-22400 (सी डी ए) | 25760 | 25000 | 12500 | 12500 | 443 | 5,537,500 |
| 16 | 22400-24500 (सी डी ए) | 31360 | 25000 | 12500 | 12500 | 45 | 562,500 |
| 17 | 22400-26000 (सी डी ए) | 31360 | 25000 | 12500 | 12500 | 2 | 25,000 |
| | | | योग | | | | **197,804,350** |

## परिशिष्ट–XIV

**(पृष्ठ संख्या 21 पर पैराग्राफ 3.3 में संदर्भित)**

**स्पैक्ट्रम प्रभारों के अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी**

(करोड रू. में)

| क्र.सं. | विवरण | 2005-06 | 2006-07 | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मौलिक से मोबाईल सेवाओं का आई यू सी राजस्व (मौलिक का व्यय) | 39.29 | 53.47 | 92.76 |
| 2 | मौलिक को हस्तांतरित मोबाईल सेवाओं का आई यू सी व्यय (मौलिक का राजस्व) | 150.16 | 235.19 | 385.35 |
| 3 | मोबाईल सेवाओं के ए जी आर में कमी यदि आई यू सी राजस्व/प्रभारों को सम्मलित किया जाता है (यानि 2–1) | 110.87 | 181.72 | 292.59 |
| 4 | माइक्रोवेव एसेस प्रभारों सहित स्पैक्ट्रम प्रभारों में बचत 3 का 4.25% की दर से | 4.71 | 7.72 | **12.44** |

अर्थात् 12.44 करोड़ रूपये

परिशिष्ट–XV

**(पृष्ठ संख्या 22 पर पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)**

सेवा कर के अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी

(करोड रू. में)

| सै स्वी क्षेत्र का नाम | सेनवेट वेट क्रेडिट जो कि प्राप्त किया जा सकता था | | प्राप्त किया गया सेनवेट | | सेनवेट को कम लेने के कारण सेवाकर का अधिक भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2005-06** | **2006-07** | **2005-06** | **2006-07** | **2005-06** | **2006-07** |
| इरनाकुलम | 5.33 | 7.29 | 2.61 | 7.40 | 2.72 | 0.00 |
| कोलाम | 2.23 | 2.57 | 1.27 | 2.64 | 0.96 | 0.00 |
| त्रिवेन्द्रम | 2.74 | 3.16 | 2.23 | 3.60 | 0.51 | 0.00 |
| त्रिचूर | 2.03 | 2.38 | 1.61 | 2.71 | 0.42 | 0.00 |
| पालाकड | 1.67 | 2.06 | 1.60 | 1.96 | 0.07 | 0.10 |
| मालापूरम | 3.62 | 3.74 | 3.48 | 3.77 | 0.14 | 0.00 |
| थीरूवला | 1.70 | 1.58 | 1.20 | 1.03 | 0.50 | 0.55 |
| एलेप्पी | 2.86 | 3.01 | 1.62 | 1.86 | 1.24 | 1.15 |
| कोटायम | 2.06 | 2.07 | 1.75 | 2.16 | 0.31 | 0.00 |
| **कुल** | **24.24** | **27.86** | **17.37** | **27.13** | **6.87** | **1.80** |

**अर्थात् 8.67 करोड़ रूपये**

**परिशिष्ट–XVI**

**(पृष्ठ संख्या 23 पर पैराग्राफ 3.5 में संदर्भित)**

यन्त्रों की अवसूली के कारण हानि का विवरण

**(राशि रूपये में)**

| क्रम संख्या | परिमण्डल सै. स्वी. क्षेत्र का नाम | प्रकरणों की सख्या | | यन्त्रों की मूल्य हासित कीमत |
|---|---|---|---|---|
| | | मोबाईल / एच.एच.टी | एफ.डब्ल्यू.टी. | |
| **आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल** | | | | |
| 1. | म.प्र.दू.जि.अदिलाबाद | 0 | 389 | 1939061 |
| 2. | म.प्र.दू.जि.अनन्तपूर | 0 | 900 | 3519517 |
| 3. | म.प्र.दू.जि.इलूरू | 0 | 185 | 478516 |
| 4. | म.प्र.दू.जि.गुंदूर | 0 | 1277 | 4774265 |
| 5. | म.प्र.(केन्द्रीय) हैदराबाद | 0 | 604 | 2643718 |
| 6. | म.प्र.दू.जि. कटीमनगर | 0 | 527 | 2145323 |
| 7. | म.प्र.दू.जि. कड़ापा | 0 | 683 | 2401820 |
| 8. | म.प्र.दू.जि. कुरनूल | 0 | 528 | 1778557 |
| 9. | म.प्र.दू.जि. खामाभ | 0 | 717 | 2810181 |
| 10. | म.प्र.दू.जि.महबुबनगर | 0 | 272 | 1068823 |
| 11. | म.प्र.दू.जि.नालगौड़ा | 0 | 541 | 2232158 |
| 12. | म.प्र.दू.जि. नैलोर | 0 | 677 | 2498091 |
| 13. | म.प्र.दू.जि. निजामाबाद | 0 | 236 | 923376 |
| 14. | म.प्र.दू.जि. राजदभुन्द्र | 0 | 36 | 116558 |
| 15. | म.प्र.दू.जि. स्वांगोरैडी | 0 | 102 | 411906 |
| 16. | म.प्र.दू.जि. विजयवाडा | 0 | 489 | 1551103 |
| 17. | म.प्र.दू.जि. विसाखापटनम | 0 | 806 | 3018488 |
| 18. | म.प्र.दू.जि. वारंगल | 0 | 1994 | 7108345 |
| | **उप–योग** | **0** | **10963** | **41419806** |
| **गुजरात दूरसंचार परिमण्डल** | | | | |
| 1 | पालमपूर | 0 | 289 | 787230 |
| 2 | वलसाड | 0 | 190 | 531455 |
| 3 | गोधरा | 108 | 265 | 1144362 |
| 4 | सुरेन्द्रनगर | 0 | 43 | 126171 |
| 5 | भुज | 0 | 174 | 465162 |
| 6 | जामनगर | 0 | 1216 | 3185319 |
| | **उप–योग** | **108** | **2177** | **6239699** |
| **मध्यप्रदेश दूरसंचार परिमण्डल** | | | | |
| 1 | होषंगाबाद | 1319 | 0 | 5170371 |
| 2 | मन्दसौर | 294 | 16 | 1298808 |
| 3 | रतलाभ | 599 | 33 | 2580711 |
| 4 | दमोद | 529 | 151 | 2665987 |
| 5 | सतना | 0 | 106 | 621524 |
| 6 | रीवा | 870 | 571 | 5553400 |
| 7 | इन्दौर | 1225 | 27 | 4780051 |
| 8 | शाहजापूर | 9 | 147 | 806991 |
| | **उप–योग** | **4845** | **1051** | **23477843** |
| | **कुल योग** | **4953** | **14191** | **71137348** |

**अर्थात 7.11 करोड़ रू.**

परिशिष्ट–XVII

(पृष्ठ संख्या 25 पर पैराग्राफ 3.7 में संदर्भित)

चार सै स्वी क्षेत्रों में डी एल सी प्रणाली का उपयोग न किया जाना/कम उपयोग किया जाना

| क्रम सख्या | सै.स्वी.क्षेत्र स्थान | चालु करने का महीना | डी.एल.सी.की क्षमता | उपयोग 2007–08 | उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| **डदयपूर** | | | | | |
| 1 | चेतक सर्किल | सितम्बर–03 | 484 | 289 | 60 |
| 2 | आन्नद प्लाजा | सितम्बर–03 | 484 | 140 | **29** |
| **कोटा** | | | | | |
| 3 | बोरखेरा | मार्च–03 | 960 | 625 | 65 |
| 4 | खेरली फाटक | नवम्बर–03 | 448 | 220 | 49 |
| 5 | बारगॉव | नवम्बर–03 | 448 | 125 | **28** |
| 6 | वीर सावटकर | मार्च–07 | 960 | 199 | **21** |
| **जोधपूर** | | | | | |
| 7 | शास्त्री सर्किल | मार्च–03 | 480 | 346 | 72 |
| 8 | गणपति प्लाजा | मार्च–03 | 960 | 167 | **17** |
| 9 | सी.एच.बी. | नवम्बर–03 | 450 | 53 | **12** |
| 10 | के.एन.एन. | जुलाई–03 | 480 | 86 | **18** |
| 11 | सांगरिया | अप्रैल–04 | 480 | 205 | 43 |
| 12 | पाली | अगस्त–04 | 480 | 307 | 64 |
| 13 | महारानी | फरवरी–06 | 480 | 112 | **23** |
| **जयपूर** | | | | | |
| 14 | संगम टावर | अक्टूबर–03 | 430 | 118 | **27** |
| 15 | गणपति प्लाजा | जुलाई–05 | 430 | 208 | 48 |
| 16 | रायसर प्लाजा | जुलाई–05 | 430 | 229 | 53 |
| 17 | एस.बी.बी.जे एच ओ. | जनवरी–07 | 430 | **0** | **0** |
| 18 | स्टाक एक्सचेंज | अक्टूबर–03 | 430 | 149 | **35** |
| 19 | टरिहंत टावर | अक्टूबर–03 | 430 | 132 | **31** |
| 20 | जगत पूरा | जून–04 | 430 | 206 | 48 |
| 21 | नेहरू पलैस | जुलाई–05 | 430 | **0** | **0** |
| 22 | सेठी कलोनी | मार्च–03 | 480 | 111 | **23** |
| 23 | आई.ओ.सी. | फरवरी–04 | 430 | 28 | **7** |
| 24 | जयसिंह पूरा | जनवरी–04 | 430 | 121 | **28** |
| 25 | बापू नगर | अगस्त–04 | 430 | 204 | 47 |
| 26 | महापूरा | अक्टूबर–03 | 430 | 83 | **19** |
| 27 | निवारू | मार्च–04 | 430 | 131 | **30** |
| 28 | सैन्य क्षेत्र | मार्च–04 | 430 | 241 | 56 |
| 29 | गुजर की पाटी | सितम्बर–05 | 430 | **0** | **0** |
| **कुल** | | | **14524** | **4835** | **33** |

परिशिष्ट–XVIII

(पृष्ठ संख्या 25 पर पैराग्राफ 3.7 में संदर्भित)

चार सै स्वी क्षेत्रों द्वारा अधिप्राप्त और लगाये गये डी एल सी उपकरण की कुल लागत को दर्शाने वाली विवरणी

| क्रम संख्या | सै.स्वी.क्षेत्र का नाम | लगाये गये उपकरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्रीय कार्यालय | रिमोट टर्मिनल सी.ओ.टी.हेतू रैक / एन.एम. एन.एस. मेजटीनेस | प्रति इकाई लागत (रूपये) | कुल लागत (रूपये) |
| 1 | प्रधा. म.दू.जि. जयपूर | 4 | | 588038 | 2352152 |
| | | | 16 | 1026883 | 16430128 |
| 2 | म.प्र.दू.जि. कोटा | 2 | | 588038 | 1176076 |
| | | | 6 | 1026883 | 6161298 |
| 3 | म.प्रदू.जि.उदयपूर | 1 | | 2242522 | 2242522 |
| | | | 2 | 943044 | 1886088 |
| | | | 2 रेक | 53972 | 107944 |
| | | | 2 एन.एस. | 153452 | 306904 |
| | | | 1 एन.एस. | 1838051 | 1838051 |
| | | | 1 रखरखाव सेट | 4527550 | 4527550 |
| 4 | म.प्र.दू.जि. जोधपूर | 2 | | 2242522 | 4485044 |
| | | | 8 | 943044 | 7544352 |
| **कुल** | | **9** | **32** | | **49058109** |

एन.एम. नेटवर्क प्रबन्धक
एन.एस. नेटवर्क सोफ्टवेयर

परिशिष्ट–XIX

(पृष्ठ संख्या **26** पर पैराग्राफ **3.8** में संदर्भित )

सै स्वी क्षेत्र के अनुसार कर्मियों को रखने पर किया गया अनियमित अतिरिक्त व्यय

| सै.स्वी. क्षेत्र का नाम | अवधि | सस्वीकृत संख्या से अधिक कार्य पर रखे गये कर्मी | अनियमित अतिरिक्त व व्यय |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| म.प्र.दू.जि. रतलाम | 2003-07 | 30 से 37 | 7721813 |
| म.प्र.दू.जि. मन्दसौर | 2004-06 | 164 से 172 | 16627516 |
| जि.अ.दू. मबुआ | 2003-06 | 32 से 58 | 5508002 |
| प्र.दू.जि. अम्बिकापूर | 2005-08 | 84 से 102 | 7187855 |
| कुल | | | **37045186** |

**परिशिष्ट–XX**

**(पृष्ठ संख्या 28 पर पैराग्राफ 3.9 में संदर्भित)**

**मासिक सुपुर्दगी अनुसूची को पुनः निर्धारण को दिखाने वाली विवरणी**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **क्र आ 1–11–2001 से 30–04–2002 के अनुसार मूल सुपुर्दगी अनुसूची** | | | | | | |
| | | | | | दँगा अवधि | | |
| | मासिक सुपूर्दगी अनुसूची | 1-11-2001 से 5-12-2001 | 6-12-2001 से 31-12-2001 | 1-1-2002 से 31-1-2002 | 1-2-2002 से 28-2-2002 | 1-3-2002 से 31-3-2002 | 1-4-2002 से 30-4-2002 |
| | आर्पूत की जाने वाली यात्रा | 17% | 17% | 17% | 14% | 15% | 20% |
| **2** | **30–04–2002 से 55 दिनों तथा फरवरी मार्च तथा अप्रैल 2002 के दौरान दंगों के कारण 24–06–2002 से मासिक सुपूर्दगी अनुसूची पुनः तय करना** | | | | | | |
| | मासिक सुपूर्दगी अनुसूची | 24-06-2002 से 23-07-2002 | | 24-07-2002 से 23-08-2002 | | 24-08-2002 से 23-09-2002 | |
| | आर्पूत की जाने वाली यात्रा | 14% | | 15% | | 20% | |
| | टिप्पणी : 23–09–2002 को संषोधित सुपुर्दगी अनुसूची बंद हो जायेगी | | | | | | |
| **3** | **संशोधित सुपुर्दगी अनुसूची की अंतिम तारीख (23–09–2002) के बाद अक्टूबर व नवम्बर 2002 में फर्मो द्वारा आर्पूत पी. आई.जे. एफ के बिलो की मात्रा** | | | | | | |
| | **मात्रा** | | **2002–2003 दरों पर भुगतान योग्य राशि** | | **2001–02 की दरों पर भुगतान की गई राशि** | | **अधिक भुगतान** |
| | **कि.मी** | | **लाख रू. में** | | | | |
| | 1856 | | 569.46 | | 794.58 | | 225.12 |

परिशिष्ट–XXI
(पृष्ठ संख्या **28** पर पैराग्राफ **3.9** में संदर्भित)
फर्मवार तथा सै स्वी क्षे वार अधिक भुगतान

| | | | फर्म का नाम | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अधिक भुगतान (लाख रू.में) | | | |
| क्रम सख्या | सै स्वी क्षेत्र का नाम | केबिलों की लम्बाई किमी में | जी.टी.सी. एल. | आर एच पी केबिल | जी.टी.सी.एल. मोबाइल एंव प्रोद्योगिकी | कुल |
| 1 | कालीकट | 389.66 | 3.70 | 33.23 | 11.33 | 48.26 |
| 2 | पालीक्काड | 220.036 | 34.32 | 6.30 | 0.00 | 40.62 |
| 3 | कोट्टायाम | 262.394 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 26.72 |
| 4 | तिरूवल्ला | 219.936 | 19.24 | 7.09 | 0.00 | 26.33 |
| 5 | मालप्पुरम | 161.655 | 3.30 | 0.00 | 11.71 | 15.01 |
| 6 | अलप्पुझा | 149.503 | 13.57 | 1.77 | 2.22 | 17.56 |
| 7 | त्रिवेनद्रम | 224.781 | 17.17 | 2.24 | 9.16 | 28.57 |
| 8 | कन्नूर | 227.883 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 22.06 |
| | | **1855.848** | 118.02 | 72.69 | 34.42 | **225.13** |

**परिशिष्ट–XXII**

**(पृष्ठ संख्या 31 पर पैराग्राफ 3.13 में संदर्भित)**

**वर्ष 2002–03 हेतु संवर्ग 'क' और 'ख' अधिकारियों को पी एल आई का अधिक भुगतान**

| क्रम सख्या | परिमण्डल | सै स्वी क्षेत्र/कार्यालय का नाम | अधिक भुगतान की राशि (रूपये) |
|---|---|---|---|
| 1 | उ. प्र. (पूर्व) दूरसंचार परिमण्डल | म.प्र.दू.जि. कानपूर | 195340 |
| | | म.प्र.दू.जि. सुल्तानपूर | 16110 |
| | | म.प्र.दू.जि. देवरिया | 11440 |
| | | दू.जि.प्र. प्रतागढ़ | 23710 |
| | | मु म.पु.दू. लखनऊ | 212284 |
| 2 | उ. प्र. (पश्चिम) दूरसंचार परिमण्डल | म.प्र.दू.जि. आगरा | 61060 |
| | | प्र.दू.जि. रामपूर | 26590 |
| 3 | उतरॉचल दूरसंचार परिमण्डल | म.प्र.दू.जि. श्रीनगर | 32670 |
| | | म.प्र.दू.जि. देहरादून | 74300 |
| 4 | ए.एल.टी.टी.सी. परिमण्डल | मु.म.प्र. ए.एल.टी.टी.सी. गाजियाबाद | 75490 |
| 5 | कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल | प्र.म.प्र. बैंगलोर | 330940 |
| | | मु.म.प्र.दू. ब्यू ए बैंगलोर | 286540 |
| | | ले.प.अ. ए.और पी बी.जी.दू.जि. | 285960 |
| | | म.प्र. प्रष्चिम बी.जी.दू.जि. | 210850 |
| | | ले.पअ. (रोकड़) बी.जी.दू.जि. | 180210 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक (दक्षिण) | 103890 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक (उ पू) | 101400 |
| | | म.प्र. कारवार | 115850 |
| | | म.प्र. शीभोगा | 151080 |
| | | म.प्र. ग्रामीण | 91090 |
| | | सी.टी.एस.डी. बैंगलोर | 8280 |
| | | आर.टी.टी.सी. मैसुर | 69930 |
| | | म.प्र. केन्द्रीय | 67840 |
| | | टी.ई.डी. बैंगलोर | 9860 |
| | | टी.सी.डी. बैंगलोर | 13250 |
| | | लेप.अ. रोकड़ एस यू | 7150 |
| | | उ म. प्र. टी. पी. बैंगलोर | 49530 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | उ म. प्र. एस.टी.एस. आर.रावाखाव बी. जी.दू.जि. | 82940 |
| | | थ्सविल मण्डल ।।। बैंगलोर | 33650 |
| | | म.प्र. हुबली | 334090 |
| | | टी.सी.डी.–।। बैंगलोर | 7680 |
| | | मु.म.प्र.दू. बैंगलोर | 210030 |
| | | टी. सी.डी. मैसूर | 13250 |
| | | म.प्र. भण्डया | 21830 |
| | | म.प्र. कोलाट | 74300 |
| | | म.प्र. बीजापूर | 162150 |
| | | म.प्र. चीकमंगलूर | 85220 |
| | | म.प्र. मैसूर | 213700 |
| 6 | कोलकाता दूरभाष जिला | म.प्र. (ओ.पी.और बी.डी.) | 178388 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक अलीपेगर | 170360 |
| | | मु.लेपअ (बिल और मजदूरी) परियोजना | 490800 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक हावडा | 109814 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक जादवपूर | 156480 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक वराकोट | 115813 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक सीटामपोर | 160190 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक केन्द्रीय | 139790 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक उत्तर | 127360 |
| | | क्षेत्र प्रबन्धक दक्षिण | 120400 |
| | | मु.लेपअ. (बिल और मजदूरी) मुख्यालय | 131560 |
| | | मु.लेपअ. सी.एम.टी.एस. | 54340 |
| | | एन.एस.सी.बी.टी.टी.सी कल्यानी | 71280 |
| | | कार्यकारी अभियन्ता (टी.ई.डी. III) | 31240 |
| | | कार्यकारी अभियन्ता (टी.सी.डी. III) | 21980 |
| | | कार्यकारी अभियन्ता (टी.सी.डी. I) | 11556 |
| | | कार्यकारी अभियन्ता (टी.सी.डी. II) | 22130 |
| | | कार्यकारी अभियन्ता (टी.ई.डी. I) | 24240 |
| | | कार्यकारी अभियन्ता (टी.सी.डी. v) | 15130 |
| 7 | पश्चिम बगॉल दूरसंचार परिमण्डल | म.प्र. कोलकाता | 125640 |
| | | म.प्र. कृण्णानगर | 51410 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | म. प्र. बेहरामपूर | 45770 |
| | | म. प्र. रायगर्ज | 18970 |
| | | मु.लेप.अ. ( बिल और मजदूरी) | 288208 |
| | | मु. म.प्र. वर्धमान | 75510 |
| | | कार्याकारी अभियन्ता (टी.सी.डी. iv) | 49380 |
| **8** | **पूर्वी दूरसंचार रखरखाव क्षेत्र** | निदेशक रखरखाव पू.दू.क्षे कोलकाता | 132990 |
| | | मु.म.प्र. पू.दू.क्षे. कोलकाता | 97700 |
| **9** | **पूर्वी दूरसंचार परिमण्डल** | निदेशक (परियोजना) ओ.एफ.सी. कोलकाता | 42080 |
| **10** | **गुणवता आश्वासन** | उ. म. प्र. (गु.आ.) कोलकाता | 58490 |
| **11** | **आसाम दूरसंचार परिमण्डल** | म.प्र. सिल्चर | 105910 |
| **12** | **केरला दूरसंचार परिमण्डल** | त्रिरूवली सै स्वी क्षेत्र | 150000 |
| | | वाकाक्कड सै स्वी क्षेत्र | 167000 |
| | | त्रिवेन्द्रम सै स्वी क्षेत्र | 447000 |
| | | कान्नूरं सै स्वी क्षेत्र | 269000 |
| | | कोलाम सै स्वी क्षेत्र | 153000 |
| | | का.अ. सिविल मण्डल त्रिन्चूर | 11000 |
| | | अ.अ. सिविल परिमण्डल इहनाकुलम | 8000 |
| **13** | **उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र** | मु.म.प्र. उ. दू. क्षे. | 93620 |
| | | उ.म.प्र. (रखरखाव) उ.दू.प. | 128550 |
| **14** | **उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र** | मु.म.प्र. उ.दू.प | 11430 |
| | | उ. म. प्र. (डाटा नेटवर्क) | 12943 |
| **15** | **एन.सी.ई.एस.** | मु.म.प्र. (एन.सी.ई.एच.) | 42478 |
| | | उ.म.प्र. उपग्रह | 18440 |
| | | उ.म.प्र. (टी.पी. एन.सी.आर.) | 22580 |
| **16** | **महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल** | म.प्र.दू. नासिक | 402290 |
| | | म.प्र.दू. कल्याण | 388640 |
| | | म.प्र.दू. रायगढ़ | 111681 |
| | | म.प्र.दू. रत्नाषिटी | 55716 |
| | | छू.जि.प्र. सिंघुदुर्ग | 28006 |
| **17** | **तमिलनाडू दूरसंचार परिमण्डल** | कुन्नूर सै स्वी क्षेत्र | 63030 |
| | | उ.म.प्र. (टी.पी.) चैन्नई | 60900 |
| | | सालेम सै स्वी क्षेत्र | 344497 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | कूडालूर सै स्वी क्षे. | 195210 |
| | | विस्दुनगर सै स्वी क्षे. | 169150 |
| | | करायकुडी सै स्वी क्षे. | 127740 |
| **18** | **चैन्नई दूरसंचार परिमण्डल** | उ.म.प्र. (एल.डी.) चैन्नई | 100783 |
| | | दूरसंचार लेखा चैन्नई | 480771 |
| **19** | **राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल** | जि.अ.दू. जैसलमेर | 5570 |
| | | दू.जि.प्र. चितौडगढ़ | 20003 |
| | | म.प्रदू.जि. बॉसवाढ़ा | 15130 |
| | | म.प्रदू.जि. श्रीगंगानगर | 81000 |
| | | प्र.म.दू.जि. जयपूर | 172620 |
| | | दू.जि.प्र. बून्दी | 14550 |
| | | म.प्रदू.जि. झुझुनू | 32820 |
| | | म.प्रदू.जि. सीकर | 63136 |
| | | दू.जि.प्र. झालवार | 24620 |
| | | म.प्रदू.जि. चूरू | 25990 |
| | | म.प्र. (एम.पी. और डी.) सी.एम.टी.एस. जयपूर | 50290 |
| | | का.अ भा.स.नि.लि. दू.म. जयपूर | 25520 |
| **20** | **महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल** | म.प्र.दू. सतारा | 128435 |
| | | म.प्र.दू. अहमदनगर | 313195 |
| | | म.प्र.दू. औंरगाबाद | 189351 |
| | | म.प्र.दू. ये ओतमाल | 55630 |
| | | प्र.म.प्र.दू पूने | 150921 |
| **21** | **आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल** | सी.एस.टी.एस. सिकन्दराबाद | 189830 |
| | | उ.म.प्र. ओ.एफ.पी. विजयवाड़ा | 34550 |
| | | उ.म.प्र. टी.पी. त्रिस्पति | 19416 |
| | | गुटूँर | 204261 |
| | | एच.टी.डी. केन्द्रीय | 174028 |
| | | एच.टी.डी. उत्तर | 220757 |
| | | काडापा | 102067 |
| | | कटीमनगर | 101110 |
| | | रवायम | 96210 |
| | | निजामाबाद | 19420 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | श्रीकालुलम | 61719 |
| | | एस.टी.एस.आर. विजयवाड़ा | 175230 |
| | | विशाखापटनम | 196206 |
| | | वारंगल | 104831 |
| 22 | गुजरात दूरसंचार परिमण्डल | म.प्र.दू.जि. गोधरा | 65570 |
| | | म.प्र.दू.जि भरूच | 94620 |
| | | म.प्र.दू.जि नादियाड | 146040 |
| | | प्र.म.प्र.दू.जि अहमदाबाद | 240660 |
| | | प्र.म.प्र.दू.जि पष्चिम | 139510 |
| | | प.म.प्र.दू.जि ग्रामीण | 33024 |
| | | म.प्र.दू.जि भुज | 76860 |
| | | दूरसंचार इलै. म. भावनगर | 11670 |
| | | दूरसंचार सिविल म. राजकोट | 26270 |
| 23 | पंजाब दूरसंचार परिमण्डल | म.प्र.दू. जालंधर | 265420 |
| | | म.प्र.दू. चन्डीगढ़ | 198817 |
| | | म.प्र.दू. लुधियाना | 186535 |
| | | म.प्र.दू. फिरोजपूर | 165530 |
| | | मु. म.प्र.दू. चन्डीगढ़ | 127600 |
| | | म.प्र.दू. पठानकोट | 108920 |
| | | म.प्र.दू. वठिन्डा | 87020 |
| 24 | हरियाणा दूरसंचार परिमण्डल | म.प्र.दू. कानाल | 154550 |
| | | म.प्र.दू. अम्बाला | 146640 |
| | | म.प्र.दू. गुडगॉव | 81014 |
| | | म.प्र.दू. जींद | 54542 |
| 25 | हि. प्र. दूरसंचार परिमण्डल | म.प्र.दू. धर्मषाला | 106070 |
| | | म.प्र.दू. हमीरपूर | 89130 |
| | | म.प्र.दू. षिमला | 105706 |
| | | म.प्र.दू.कुल्लु | 42760 |
| कुल | | | **17182742** |

परिशिष्ट–XXIII

(पृष्ठ संख्या **32** पर पैराग्राफ **3.14** में संदर्भित)

ठेकेदार को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

| निर्गम का वर्ष | मुदित प्रतियों की संख्या | 1924 पृष्ठों को मानकों के लिये मूलभूत दर रूपये में | 1728 पृष्ठों के लिये मूलभूत दर(रू. **140/1924 x 1728)** | वास्तिवक भुगतान दर (रू.) | अंतर (कालम 5–4) (रू.) | अधिक भुगतान (कालम 2 x 6) (रू.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2003 | 273000 | 140.00 | 125.74 | 143.21 | 17.47 | **4769310** |

| निर्गम का वर्ष | मुदित प्रतियों की संख्या | 1924 पृष्ठों को मानकों के लिये मूलभूत दर रूपये में | 1426 पृष्ठों के लिये मूलभूत दर(रू. **148/1924 x 1426)** | वास्तिवक भुगतान दर (रू.) | अंतर (कालम 5–4) (रू.) | अधिक भुगतान (कालम 2 x 6) (रू.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2005 | 225000 | 148.00 | 109.69 | 130.96 | 21.27 | **4785750** |

कुल अधिक भुगतान (रू.)

| | |
|---|---|
| 2003 मुख्य निर्गम | 4769310 |
| 2005 मुख्य निर्गम | 4785750 |
| | **9555060** |

**परिशिष्ट–XXIV**

**(पृष्ठ संख्या 34 पर पैराग्राफ 3.16 में संदर्भित)**

**फ्रेचाईजीज जिन्होनें नई नीति में स्थानातंरण को चुका, को कमीशन के अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी**

(लाख रूपये में)

| क्रम सं. | सै स्वी क्षेत्र का नाम | क्रेचाईजीज की सख्या | पूरक समायोजन पर हस्ताक्षर करने की तिथि | अनियमित कमीशन क भुगतान की अवधि | राशि | वसूल राशि | वसूल की जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राची | 3 | मार्च 2007 | सितम्बर 2006 से मार्च 2007 | 48.87 | 20.34 | 28.53 |
| 2 | जमशेदपूर | 3 | जून 2007 | सितम्बर 2006 से दिसम्बर 2006 | 7.91 | 0.00 | 7.91 |
| 3 | धनबाद | 3 | फरवरी – मार्च 2007 | सितम्बर 2006 से नवम्बर 2006 | 7.72 | 0.00 | 7.72 |
| 4 | दुमका | 1 | जनवरी 2007 | सितम्बर 2006 से नवम्बर 2006 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| **कुल** | | **10** | | | **66.03** | **20.34** | **45.69** |

**अर्थात 66.03 लाख रूपये**

परिशिष्ट–XXV
अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण
(पृष्ठ संख्या **40** पर पैराग्राफ **5.2** में संदर्भित)

(लाख रूपये में)

| क्रम सख्या | यूनिट का नाम | अवधि | भेजे गये बिलों की कुल सख्या | 5 रू. प्रति बिल का भुगतान किया | 3 रू. प्रति बिल 51 के अनुसार देय है | अधिक भुगतान (कालम 4–5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | म प्र. (नवी मुम्बई) | अप्रैल से 2004 से मार्च 2007 | 1255979 | 6279895 | 3767937 | 2511958 |
| 2 | म प्र दक्षिण | अप्रैल से 2004 से मार्च 2007 | 2949769 | 14748845 | 8849307 | 5899538 |
| 3 | म प्र. (मध्य) | अप्रैल से 2004 से मार्च 2007 | 2756073 | 13780365 | 8268219 | 5512146 |
| 4 | म प्र. (पूर्व ।) | अप्रैल से 2004 से मार्च 2007 | 2732796 | 13663980 | 8198388 | 5465592 |
| 5 | म प्र. (पूर्व ।।) | अप्रैल से 2004 से मार्च 2007 | 3409814 | 17049070 | 10229442 | 6819628 |
| 6 | म प्र. (पच्चिम– ।) | अप्रैल से 2004 से मार्च 2007 | 5140451 | 25702255 | 15421353 | 10280902 |
| 7 | म प्र. (पच्चिम– ।।) | अप्रैल से 2004 से मार्च 2007 | 5554514 | 27772570 | 16663542 | 11109028 |
| 8 | म प्र. (पच्चिम– ।।।) | अप्रैल से 2004 से मार्च 2007 | 6719047 | 33595235 | 20157141 | 13438094 |
| **योग** | | | | | | **61036886** |

परिशिष्ट–XXVI

(पृष्ठ संख्या **43** पर पैराग्राफ **6.6** में संदर्भित)

आई.टी.आई. के मुख्य उत्पादों के 5 वर्षों (2003–2008) के लिये स्थापित क्षमता, लक्षित क्षमता और वास्तविक कार्य निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी

| **2003-04** | | | | | *उत्पादन प्रतिशत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **मुख्य उत्पाद** | **इकाई** | **स्थापित क्षमता** | **लक्षित क्षमता** | **वास्तविक कार्य निष्पादन** | **स्थापित क्षमता का** | **लक्षित क्षमता का** |
| स्विचिगं उत्पाद | एम. लाईन | 4.83 | 1.25 | 0.93 | 26 | 74 |
| प्रेषण उत्पाद डी.आई. जी. रेडियो टी एक्स/आर.एक्स (2/6/7/11/13 जी.एच.जेड) | सख्या सं | 2500 | 1350 | 1459 | 58 | 108 |
| टर्मिनल उपकरण दूरभाष | एम सख्या | 1.20 | 1.20 | 0.310 | 26 | 26 |
| **नये उत्पाद नये होने के कारण स्थापित क्षमता ज्ञात नही है।** | | | | | | |
| डब्लयू.एल.एल. इन्फरा | के.एल | -- | 660 | - | -- | - |
| सी.डी.एम.ए. डब्ल्यू. एल.एल. टी.एम.एल/एफ. डब्ल्यू.टी | के. सख्या | -- | 435 | 192.51 | -- | 44 |
| | | | | | | |
| कारडेक्ट | के.एल | -- | 200 | 189 | -- | 95 |
| जी.एस.एम. | करोड़ रू. में | -- | 330 | 105.38 | -- | 32 |
| डी.एल.सी एस.डी.एच. | सख्या | -- | 425 | 100 | -- | 24 |
| एम.एल.एल.एन. | करोड़ रू. में | -- | 140 | 127.77 | -- | 91 |
| स्कार्ट सिम कार्ड | करोड़ रू. में | -- | 22 | 12.40 | -- | 56 |
| डी.डब्लयू डी.एम. | करोड़ रू. में | -- | 25 | - | -- | - |
| वी.आर.एल.ए. बैटरी | करोड़ रू. में | -- | 15 | 5.82 | -- | 39 |
| आई.टी.और टर्न की परियोजना | करोड़ रू. में | -- | 200 | 264.55 | -- | 132 |

| | | 2004-05 | | | उत्पादन का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य उत्पाद | इकाई | स्थापित क्षमता | लक्षित क्षमता | वास्तविक कार्य निष्पादन | स्थापित क्षमता का | लक्षित क्षमता का |
| स्विचिंग* | | | | | | |
| ओ.बी.सी.–283 स्थानीय | के.एल. | 1000.0} | 200} | 229.00} | | |
| आई.सी.,ओ.सी.बी. टेक्स | के.सी. | } | } | } | 47 | 100 |
| टेनडेम समेत | | 600.0} | 550} | 524.18} | | |
| **प्रेषण** | | | | | | |
| सैट काम | संख्या | 2500 सं. | 10@ | 10.49@ | - | 105@ |
| ओपटिक फाईबर | संख्या | 7000 सं | 126@ | 25.25@ | - | 20@ |
| टी. एल.सी.एस.डी.एच. | करोड़ रूपये में | | | | | |
| डी. डब्लयू डी.एन. | सख्या | योजना चरण | 63 | 30.70 | - | 49 |
| | | योजना चरण | 32 | 8 | - | 25 |
| **टर्मिनल उपकरण** | | | | | | |
| **दूरभाष** | के. करोड़ | 1200 | 1260 | 354.09 | 30 | 28 |
| **सोलर पैनल** | रूपये में सख्या | 30000 Nos. | 5.00 | - | - | - |
| **नये उत्पाद** | | | | | | |
| सी.डी..एम.ए.डब्लयू टी.एम.एल. | कि सख्या | योजना चरण | 136 | 93.05 | - | 68 |
| /एफ डब्लयू टी. | कि सख्या | योजना चरण | 210 | 25.37 | - | 12 |
| सी.डी.एम.ए. हैड सेट | करोड़ रूपये में | | | | | |
| (मोबाईल) | करोड़ रूपये में | योजना चरण | 81 | - | - | - |
| डी.एस.पी.टी. | करोड़ रूपये में | | 10 | - | - | - |
| पेफोन | करोड़ रूपये में | योजना चरण | - | 12.30 | 10 | - |
| एस.एम.पी.एस. | करोड़ रूपये में | 125.00 | 31 | 21.01 | - | 68 |
| सिम कार्ड | | 4 मिलियन | - | 8.12 | - | - |
| वी.आर.एल.ए. बैटरी | | 25 मिलियन ए.एच. | | | | |
| **परियोजना** | | | | | | |
| डब्लयू एल.एल.सी.डी.एम.ए. | | | | | | |
| इनन्फ्राकोरडक्ट | के.एल. | योजना चरण | 1310 | 654.50 | - | 50 |
| जी.एस.एम. | करोड़ रूपये में | 360 के.एल. | 36 | 73.35 | - | 204 |
| एन.जी.एन./साफट स्विच/आई. पी. | के.एल. | योजना चरण | 2625 | 1000.0 | - | 38 |
| टेक्स | करोड़ रूपये में | योजना चरण | 131 | - | - | - |
| एम.एल.एल.एन. आई.टी. उत्पाद | करोड़ रूपये में | योजना चरण | 126 | 0.42 | - | 0.33 |
| टर्न की परियोजना | करोड़ रूपये में | | 144 | 31.80 | - | 22 |
| | | | 458 | 409.75 | - | 89 |

*2004 –05 के दौरान ई.सी. प्लांट बन्द होने के कारण स्विचिंग उत्पादों की स्थापित क्षमता 630 के एल तक कम कर दी गई

@लक्षित क्षमता और वास्तविक कार्य निषपादन सम्बन्ध की जानकारी करोड रूपये मे है।

| | | 2005-06 | | | *उत्पादन का प्रतिशत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य उत्पाद | इकाई | स्थापित क्षमता | लक्षित क्षमता | वास्तविक कार्य निष्पादन | स्थापित क्षमता | लक्षित क्षमता |
| स्विचिंग * | | | | | | |
| ओ.बी.सी.–283 / लोकल के.एल. | के.एल. | 1000 के.एल. | 110 के. एल | 119.35 | 12 | 108 |
| ओ.बी.सी टेक्स | के.सी. | 500 के.सी. | 200 के. सी | 569.5 | 114 | 285 |
| टेडम समेत | करोड़ रूपये में | 2600 के.एल. | 10 | 34.68 | गै उ | 347 |
| सी.डोट उत्पाद | | | | | | |
| **प्रेषण** | | | | | | |
| सैटकाम | करोड़ रूपये में | | 10 | 5.07 | गै उ | 51 |
| एस.टी.एम. | करोड़ रूपये में | 3500 अर्थात | 62 | 62.35 | गै उ | 101 |
| पी.सी.एम. मक्स | करोड़ रूपये में | | | 26.85 | गै उ | गै उ |
| डी. डब्लयू डी.एम. | करोड़ रूपये में | योजना चरण | 66 | 32.32 | गै उ | 49 |
| **टर्मिनल उपकरण** | | | | | | |
| **ई.पी.बी.टी.** | करोड़ रूपये में | 1.2 सं | 17 | 7.16 | गै उ | 42 |
| **एस.पी.वी.** | करोड़ रूपये में | 30000 सं | 6 | 0.73 | गै उ | 12 |
| **नये उत्पाद** | | | | | | |
| डब्लयू एल.एल.सी.डी.एम.ए. इन्फा | के.एल. | योजना चरण | 1000 के. एल | 1344 के. एल | गै उ | |
| जी.एस.एम.–इन्फा | करोड़ रूपये में | 6 एम. लाईन | 1500 | 471.08 | गै उ | 134 |
| सी.डी.एम.ए.डब्लू एल एल एफ | के.संख्या | योजना चरण | 580 के. सं | 277.51 के. सं | गै उ | 31 |
| डब्लयू टी –डी.एल.सी. | | 10 सं | | | | 33 |
| एस.डी.एच. वाई फाई | करोड़ रूपये में | योजना चरण | 60 | 22.70 | गै उ | 38 |
| / वाई मैक्स | करोड़ रूपये में | योजना चरण | 125 | 28.66 | गै उ | 23 |
| सीम कार्ड | करोड़ रूपये में | 350 के.एल. | 133 | 51.13 | गै उ | 38 |
| एस.एस.टी.पी. | करोड़ रूपये में | | 203 | 20.44 | गै उ | 10 |
| कोरडक्ट | | | | | | |
| **सोएयुशन बिजनेस** | करोड़ रूपये में | गै उ | 295 | 70.01 | गै उ | 24 |
| **टर्न की परियोजना** | करोड़ रूपये में | गै उ | 480 | 373.80 | गै उ | 78 |

| मुख्य उत्पाद | इकाई | 2006-07 | | | | उत्पादन का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थापित क्षमता | लक्षित क्षमता (करोड रूपये में) | वास्तविक कार्य निषपादन | | स्थापित क्षमता का | लक्षित क्षमता का |
| | | | | संख्या | मूल्य (करोड रू. में) | | |
| स्विचिंग | | | | | | | |
| ओ.बी.सी.–283 / स्थानीय | के.एल. | 1000 | 40 | 182 | 62.19 | 18.20 | 155.48 |
| ओ.सी.बी. टेक्सटेनडम समेत | के.सी. | 500 | -- | 133.32 | 24.40 | 26.66 | -- |
| डोट एक्सचेंज | के.एल. | 2600 | 3.00 | -- | 41.77 | | 139.23 |
| **प्रेषण** | | | | | | | |
| सैटकाम | | | 5.00 | - | 8.89 | - | 177.80 |
| आप्टिकल फाईबर उपकरण | 3500 Nos. | परियोजना | 187.20 | 3366 | 57.53 | 96.17 | 30.73 |
| डी. डब्लयू डी.एन. | Nos. | चरण | 46.00 | - | 12.42 | - | 27 |
| **टर्मिनल उपकरण** | | | | | | | |
| दूरभाष | संख्या | 1.20 | 17.50 | 0.307 | 4.80 | 26 | 27 |
| सौलर पैनल | संख्या | 30000 | 2.30 | - | 3.16 | - | 137 |
| **नये उत्पाद** | | | | | | | |
| एस.एम.पी.एस. | करोड़ रूपये में | 125 | | | | | |
| सी.डी.एम.ए.एल एल | संख्या | परियोजना | 18.00 | - | 7.60 | - | 42 |
| आई.एफ डब्लयू टी. | करोड़ रूपये में | चरण 10 | 252.00 | 326.51 | 72.70 | - | 29 |
| स्मार्ट / सिम कार्ड | संख्या | परियोजना | 31.50 | 3.060 | 7.23 | 31 | 23 |
| ए.डी.एस.एल.–डी.एस.एल.ए.एम. | संख्या | चरण | 126.00 | - | 0.22 | - | 0.17 |
| एस.एस.टी.डी. | | परियोजना | 42.00 | - | 53.96 | - | 128 |
| | | चरण | | | | | |
| *परियोजना* | | | | | | | |
| डब्लयू एल.एल. | के.एल. | परियोजना | 231.00 | - | 339.07 | - | 147 |
| जी.एस.एम. | के.एल. | चरण | 2683.85 | - | 636.41 | - | 24 |
| एम.एल.एल.एन. | करोड़ रूपये में | 6000 | 168.00 | - | 134.06 | - | 80 |
| आई.पी.टेक्स | संख्या | परियोजना | 187.20 | - | - | - | - |
| | | चरण | | | | | |

| मुख्य उत्पाद | 2007-08 | | | | उत्पादन का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापित क्षमता | लक्षित क्षमता (करोड रूपये में) | वास्तविक कार्य निषपादन | | स्थापित क्षमता का | लक्षित क्षमता का |
| | | | संख्या | मूल्य (करोड रू. में) | | |
| **स्विचिंग उत्पाद** | | | | | | |
| ओ.सी.बी.–283 / स्थानीय | | | | | | |
| ओ.सी समेत | | | 182.00 के.एल. | | | |
| ओ.सी.बी. टेक्स टेनडम | 1000 के.एल. | 40.00 | 133.32 के.सी | 62.19 | 18.20 | 155.48 |
| सी.डोट एक्सचेंज | 500 के.सी | - | | 24.40 | 26.66 | - |
| | 2600 के.एल | 30.00 | | 41.77 | - | 139.23 |
| **प्रेषण** | | | | | | |
| सैटकाम | परियोजना चरण | 5.00 | | 8.89 | - | 177.80 |
| आप्टिकल फाईबर उपकरण | 3500 एस.वाई. | 240.00 | 1585 सं | 45.67 | 45.29 | 19.03 |
| पी.सी.रूम मक्स और विविध | एस | 15.00 | | 17.48 | - | 116.53 |
| उत्पाद | परियोजना चरण | 47.00 | 259 अर्थात | 58.13 | - | 123.68 |
| डी. डब्लयू डी.एम. | परियोजना चरण | | | | | |
| **टर्मिनल उपकरण** | | | | | | |
| दूरभाष | 1.2 सं | 17.00 | 87.58 के. सं | 1.82 | 7.30 | 10.71 |
| एस.पी.वी. / सी.एल.आई.फोन | परियौजना चरण | 38.00 | 132.36 K Nos | 6.39 | - | 16.82 |
| **नये उत्पाद** | | | | | | |
| एस.एम.पी.एस. | | | | | | |
| सी.डी.एम.ए.डब्लयू एल एल | 125 | 45.00 | - | 9.69 | 7.75 | 21.53 |
| टी.एल.एल. / एफ डब्यलू टी | परियोजना चरण | 250.00 | 397.42 के. सं | 77.35 | - | 30.94 |
| सिम कार्ड | 10 सं | 35.00 | 7.93 एम. सं. | 17.60 | 79.30 | 50.29 |
| ए.डी.एस.एल.–डी.एस.एल.ए.एम+ | परियोजना चरण | 170.00 | 42 के. सं | 7.71 | - | 4.54 |
| एम.सी.पी.ई. / एन.जी.एन. | परियोजना चरण | 14000 | - | 2.61 | - | 1.86 |
| सौफट स्वीच / आई.पी. टेक्स | | | | | | |
| *परियोजना* | | | | | | |
| डब्लयू एल.एल.सी.डी.एम.इन्फ्रा | परियोजना चरण | 130.00 | - | 62.07 | - | 47.75 |
| जी.एस.एम. | 6000 के.एल. | 2713.00 | - | 266.79 | - | 9.83 |
| एम.एल.एल.एन. | परियोजना चरण | 150.00 | - | 125.88 | - | 83.92 |
| जी.पी.ओ.एन. / विविध | परियोजना चरण | 5.00 | - | 0.42 | - | 8.40 |
| ब्राडबैन्ड को डेक्ट | परियोजना चरण | 80.00 | - | - | - | 0.00 |
| वाई मैक्स | | | - | - | - | 0.00 |
| वाई मैक्स सी.पी.ई. | परियोजना चरण | 45.00 | | | | |
| टर्न की परियोजना / समाधान | परियोजना चरण | 15.00 | - | - | - | 0.00 |
| | रू. करोड़ में | 560.00 | - | 373.14 | - | 66.63 |
| कुल योग (उत्पाद शुल्क समेत) | करोड़ रू.में | 4770.00 | | 1210.00 | | 25.37 |

## परिशिष्ट - XXVII

**(पृष्ठ संख्या 56 पर पैराग्राफ 10 में संदर्भित)**

**भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित पैरो पर की गयी कार्यवाही (ए टी एन) की बकाया स्थिति**

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष) | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए 1997 (वाणिज्यिक) की प्रतिवेदन संख्या 3 | 6.3.2 | दूरभाष निर्देशिकाओं का मुद्रण (म टे नि लि) |
| 2. | 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए 1998 (वाणिज्यिक) की प्रतिवेदन संख्या 3 | 7.2.2 | भण्डारों का कम बीमा होने के कारण 34.12 लाख रू. की हानि (म टे नि लि) |
| 3. | 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए 1999 (वाणिज्यिक) की प्रतिवेदन संख्या 3 | 5.3 | असमायोजित क्रय अग्रिम राशि की गैर वसूली (म टे नि लि) |
| 4. | 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए 1999 की प्रतिवेदन संख्या 6 | 15 (15.1 से 15.8) | सी–डॉट मैक्स–एल एक्सचेजों की अधिप्राप्ति (दू वि/भा सं नि लि) |
| 5. | 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए 2000 की प्रतिवेदन संख्या 6 | 16 (16.5.2.2, 16.5.2.5, 16.6.1, 16.7.2 एवं 16.7.3) | दूरसंचार भंडारों तथा परिमण्डलों के सामग्री प्रबन्धन (दू वि/भा सं नि लि) |
| 6. | | 17 (17.5.4,17.5.5. 17.7.1.1,17.7.1.2, 17.8.1,17.10.1,17 .10.2,17.10.3 एवं 17.10.4) | ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क (दू वि/भा सं नि लि) |
| 7. | 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए 2001 की प्रतिवेदन संख्या 6 | 14 (14.6.1.1) | कम्प्यूटरीकृत दूरभाष राजस्व के बिल बनाना तथा लेखांकन प्रणाली (दू वि/भा सं नि लि) |
| 8. | | 15 | म टे नि लि मुम्बई/दिल्ली से देयों की गैर वसूली (दू वि/भा सं नि लि) |
| 9. | | 41 | भंडारों की अनियमित अधिप्राप्ति (दू वि/भा सं नि लि) |
| 10. | 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए | 6.1.7 | संज्ञापन पत्रों की गैर–प्राप्ति के कारण 81.31 लाख रू. की वूसली में विफलता (भा सं नि लि) |
| 11. | 2002 की प्रतिवेदन संख्या 3 | 6.3.4 | डेटा सेवा के संयोजन काटने मे विलम्ब के कारण हानि ( म टे नि लि) |
| 12. | 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए 2002 की प्रतिवेदन संख्या 6 | 7 (7.1.13,7.2.7, 7.2.11,) | राजस्व की कम/गैर वसूली (दू वि/भा सं नि लि) |
| 13. | | 11 (11.10.3) | दूरसंचार भंडारों का प्रबन्धन (दू वि/भा सं नि लि) |

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष) | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|---|---|---|---|
| 14. | | 12 (12.6,12.7,12.8.3.3 ,12.8.6.2) | दूरसंचार सिविल मंडलों का कार्य चालन (दू वि/भा सं नि लि) |
| 15. | | 16 | सेवा प्रभारों का अधिक भुगतान (दू वि/भा सं नि लि) |
| 16. | 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए 2003 (वाणिज्यिक) की प्रतिवेदन संख्या 5 | 1.7 | उत्पादकता (भा सं नि लि) |
| 17. | | 2 | दोषपूर्ण आन्तरिक नियंन्त्रण प्रणाली के कारण पे फोन ऑपरेटरों से देयों की गैर–वसूली (भा सं नि लि) |
| 18. | | 4 | सरकारी राजस्व का अवरोधन (भा सं नि लि) |
| 19. | | 14 (14.1.5) | राजस्व की कम/गैर वसूली (भा सं नि लि) |
| 20. | | 16 (16.7.1, 16.7.2, 16.7.5 एवं 16.8.1) | ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष (भा सं नि लि) |
| 21. | | 20 | पूर्तिकार को अधिक भुगतान (भा सं नि लि) |
| 22. | | 27 | दोषपूर्ण विद्युत संयंत्रों की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ व्यय (भा सं नि लि) |
| 23. | | 30 | उपयुक्त योजना की कमी और परिणामतः 6 गीगा हार्ट्ज के उपस्कर निष्क्रिय रहे (भा सं नि लि) |
| 24. | | 31 [31(VII)4] | न्यून विद्युत घटक अधिभार तथा न्यूनतम मांग प्रभारों के भुगतान पर 2.17 करोड़ रू. का निष्फल व्यय (भा सं नि लि) |
| 25. | | 42 | नई प्रौद्योगिकी डिजिटल स्थानीय एक्सचेंज उपस्कर की अधिप्राप्ति पर 14.97 करोड़ रू. का अधिक भुगतान (भा सं नि लि) |
| 26. | | 50 | कार्य, संगठन, यातायात, राजस्व प्राप्ति व वित्तीय परिणाम (म टे नि लि) |
| 27. | | 56 (56.1 से 56.9.5) | म टे नि लि में दूरभाष राजस्व पर बिल बनाने की समीक्षा |
| 28. | | 61 (61.1) | म टे नि लि में सामग्री प्रबन्धन |
| 29. | 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए 2004 की प्रतिवेदन संख्या 5 | 2.4 [2.4(1)5] | 91.44 लाख रू. के अवसंरचना प्रभारों की कम वसूली (भा सं नि लि) |
| 30. | | 2.9 (2.9.1 से 2.9.5.3) | राजस्व की गैर/कम वसूली (भा सं नि लि) |
| 31. | | 2.10 | लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर वसूली (भा सं नि लि) |
| 32. | | 3 (3.4.3, 3.8.2 | भा सं नि लि की दूरसंचार अनुरक्षण शाखा का कार्यचालन |
| 33. | | 7.1 (7.4 से 7.11.2 एवं 7.13) | महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवा |
| 34. | | 8.1 | 250 करोड़ रू. की बेशी निधि को निवेश करने का अदूरदर्शी निवेश निर्णय (म टे नि लि) |
| 35. | | 8.2 | 55.44 करोड़ रू. के ब्याज की परिहार्य हानि (म टे नि लि) |
| 36. | 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए 2005 की प्रतिवेदन संख्या 5 | 1 (1.3) | प्रस्तावना, संगठनात्मक ढांचा, निवेश व अर्जन (भा सं नि लि) |
| 37. | | 2.4 [2.4(III)26] | संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बिल न बनाना (भा सं नि लि) |
| 38. | | 2.6 | शास्तिक ब्याज के बिल न बनाना (भा सं नि लि) |
| 39. | | 2.9 | रक्षा के अन्तः संयोजन सुविधाओं के संबंध में किराये के गैर/कम बिल बनाना (भा सं नि लि) |
| 40. | | 2.10 | राजस्व के कम बिल बनाना (भा सं नि लि) |
| 41. | | 2.13 (2.13.1 से 2.13.8) | गारन्टी की बिना समाप्त अवधि के लिए क्षतिपूर्ति की गैर वसूली (भा सं नि लि) |

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष) | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|---|---|---|---|
| 42. | | 3 (3.1 से 3.9) | भा सं नि लि के डॉट सॉफ्ट पैकेज की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा |
| 43. | | 4.1 | सीमा शुल्क का अधिक भुगतान (भा सं नि लि) |
| 44. | | 4.2 | लापरवाही के कारण अग्नि से हानि (भा सं नि लि) |
| 45. | | 4.4 | भूमिगत केबिलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति की गैर वसूली (भा सं नि लि) |
| 46. | | 6 (6.1 से 6.14) | म टे नि लि में डब्ल्यू एल एल की आयोजना, अधिप्राप्ति तथा उपयोग |
| 47. | | 7.2 | उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना पर परिहार्य अधिक व्यय (म टे नि लि) |
| 48. | 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए 2006 की प्रतिवेदन संख्या 9 (नि ले दूरसंचार) | 2 (2.9.1.1, 2.9.2, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5, 2.12.3.2, 2.12.3.3, 2.12.4, 2.13.1.1, 2.13.2, 2.15.2, 2.15.4, 2.16.2 एवं 2.18.2) | भा सं नि लि में मानव संसाधन प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा |
| 49. | 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए 2006 की प्रतिवेदन संख्या 13 (टी ए, टेलीकॉम) | 1 (1.4.2 एवं 1.7) | संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन (भा सं नि लि) |
| 50. | | 2.1 | मैसर्स डेटा एसेस (इंडिया) लिमिटेड से अन्तः संयोजन प्रभारों की गैर वसूली (भा सं नि लि) |
| 51. | | 2.3 {2.3(II)1-6, 2.3(II)8 एवं 10, 2.3 (II)14-2.3(II)26} | विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर वसूली (भा सं नि लि) |
| 52. | | 2.4 {2.4(III)1 3.6 एवं 7} | देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं का जारी रहना(भा सं नि लि) |
| 53. | | 2.8 {2.8(VI)6} | पटटे पर दिये गये परिपथों के लिये किराये के कम बिल बनाना (भा सं नि लि) |
| 54. | | 2.9 {2.9(VII)1 से 2.9(VII)9} | अन्तःसम्बद्ध लाइसेंस फीस के बिल न बनाना (भा सं नि लि) |
| 55. | | 2.11 {2.11(VIII)1 से 2.11(VIII)3} | संशोधित पल्स दरों के विलम्बित/गैर क्रियान्वयन के कारण राजस्व की हानि (भा सं नि लि) |
| 56. | | 2.12 {2.12(IX)1,4 एवं 5} | अवसंरचना भागीदारी प्रभारों की गैर वसूली (भा सं नि लि) |
| 57. | | 2.13 {2.13 केस –I से 2.13 केस II} | पटटे पर दिये गये परिपथ उपलब्ध कराने में असाधारण विलम्ब के कारण सम्भाव्य राजस्व की हानि (भा सं नि लि) |
| 58. | | 2.15 [2.15 (XI)2,3] | प्रतिष्ठापन प्रभारों तथा किराये के कम बिल बनाना (भा सं नि लि) |
| 59. | | 3 (3.1 से 3.9.7) | भा सं नि लि की चेन्नई दूरभाष बिलिंग प्रणाली की सू प्रौ लेखापरीक्षा |
| 60. | | 4.8 | भूमि के क्रय तथा भवन–निर्माण पर निष्क्रिय निवेश (भा सं नि लि) |
| 61. | | 4.11 | स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश (भा सं नि लि) |
| 62. | | 4.14 | डिजीटल लूप कैरियर प्रणाली का निष्क्रिय होना (भा सं नि लि) |
| 63. | | 4.16 | निष्क्रिय भंडारों पर व्यर्थ व्यय (भा सं नि लि) |

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष) | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|---|---|---|---|
| 64. | | 4.18 | बिजली संयंत्र की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय (भा सं नि लि) |
| 65. | | 4.19 | अदूरदर्शी निवेश (भा सं नि लि) |
| 66. | | 5 (5.5 से 5.7) | प्रस्तावना (म टे नि लि) |
| 67. | | 6.2 | भूमि के क्रय पर निधि का अवरोधन (म टे नि लि) |
| 68. | | 6.3 | भूमि पट्टे पर दिये जाने पर निष्फल व्यय (म टे नि लि) |
| 69. | 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए 2007 की प्रतिवेदन संख्या 10 ( नि ले दूरसंचार) | 1 (1.9.2, 1.10.1, 1.11.3, 1.11.6, 1.11.8, 1.12.4, 1.12.4.1, 1.12.4.3, 1.12.5, 1.12.7, 1.13.3 एवं 1.13.4) | भा सं नि लि में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा |
| 70. | | 3 (3.1 से 3.16) | म टे नि लि में बिल बनाने और उपभोक्ता देखभाल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा |
| 71. | 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए 2007 की प्रतिवेदन संख्या 12 ( ले दे ले प दूरसंचार) | 1 (1.6) | संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन (भा सं नि लि) |
| 72. | | 2.1 [केस I, 2.1(I)1 से 2.1(I)5] | किराये का कम लिया जाना (भा सं नि लि) |
| 73. | | 2.2 [2.2(II)1 से 2.2(II)23] | देयों के बगैर भुगतान के बावजूद दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना (भा सं नि लि) |
| 74. | | 2.3 [2.3(III)1 से 2.3(III)16] | संज्ञापन पत्रों की गैर प्रप्ति के कारण बिल न बनाना (भा सं नि लि) |
| 75. | | 2.4 | न्यूनतम गारन्टी राजस्व की हानि (भा सं नि लि) |
| 76. | | 2.6 | रिलायन्स इन्फोकोम लिमिटेड से कॉल के अप्राधिकृत रूटिंग के लिए प्रभारों की गैर वसूली (भा सं नि लि) |
| 77. | | 2.7 [2.7(V)15 से 2.7(V)39, 50 एवं 2.7(VI)1] | अंतः संयोजन यूसेज प्रभारों तथा उस पर ब्याज की गैर वसूली (भा सं नि लि) |
| 78. | | 2.8 [2.8(VII)8 से 2.8(VII)11] | पैसिव लिंक के लिए अवसंरचना प्रभारों के बिल न बनाना (भा सं नि लि) |
| 79. | | 2.9 [2.9(VIII)1 से 2.9(VIII)6] | अंतः सम्बद्ध लाइसेंस फीस के बिल न बनाना (भा सं नि लि) |
| 80. | | 2.11 | अंतः संयोजन यूसेज प्रभारों के गैर संग्रहण के कारण राजस्व की हानि (भा सं नि लि) |
| 81. | | 2.13 | निजी आपरेटरों के संबंध में पोर्ट प्रभारों के कम बिल बनाना (भा सं नि लि) |
| 82. | | 2.14 | अंतः सम्बद्ध यूसेज प्रभारों के कम बिल बनाना (भा सं नि लि) |
| 83. | | 2.16 | उपयोग किये गये संसाधनों के अनुसार किराये के कम बिल बनाना (भा सं नि लि) |
| 84. | | 2.17 [2.17(XII)1 से 2.17(XII)4] | पट्टे पर दिये गये परिपथ देरी से उपलब्ध कराने के कारण सम्भाव्य राजस्व की हानि (भा सं नि लि) |

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष) | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|---|---|---|---|
| 85. | | 2.18 [Case I, 2.18(XIII)1 to 11] | पट्टे पर दिये गये परिपथों के संयोजन काटे जाने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि (भा सं नि लि) |
| 86. | | 2.20 [2.20(XVI)8] | भूमिगत केबिलों में नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति वसूलने में विफलता (भा सं नि लि) |
| 87. | | 2.21 [2.21(XV)1 से 2.21(XV)22] | लेखापरीक्षा के बताये जाने पर वसूली (भा सं नि लि) |
| 88. | | 3.1 | अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ पर किराये का अधिक भुगतान (भा सं नि लि) |
| 89. | | 3.3 [3.3(1) to 3.3(6)] | अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण भण्डार का निष्क्रिय होना (भा सं नि लि) |
| 90. | | 3.7 | केबिल रिकोर्डों शोधन प्रणाली का इष्टतक रूप से उपयोग करने में विफलता (भा सं नि लि) |
| 91. | | 3.9 [3.9(XXI)1 से 3.9(XXI)3] | विद्युत प्रभारों के भुगतान पर निष्क्रिय व्यय (भा सं नि लि) |
| 92. | | 3.11 | अप्रचलित भण्डारों पर परिहार्य व्यय (भा सं नि लि) |
| 93. | | 4.1 | भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि (म टे नि लि) |
| 94. | | 4.6 [4.6(XXVI)1 एवं 4.6(XXVI)2] | भूमिगत केबिल में नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति वसूलने में विफलता (म टे नि लि) |
| 95. | | 4.7 | बिना उपयोग भूमि अवधारण करने के कारण हानि (म टे नि लि) |
| 96. | | 4.8 | मलव्यवस्था कर का अधिक भुगतान (म टे नि लि) |
| 97. | | 4.9 | विद्युत शुल्क का अधिक भुगतान (म टे नि लि) |
| 98. | | 6 | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही (भा सं नि लि/म टे नि लि) |
| 99. | 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए 2008 की प्रतिवेदन संख्या 12 ( ले दे ले प दूरसंचार) | 1 (1.3, 1.6 एवं 1.7) | संगठनात्मक ढ़ांचा तथा वित्तीय प्रबंधन (भा सं नि लि) |
| 100. | | 2.1 [2.1.1(I)4 से 2.1.1(VII) 8] | निजी सेवा सम्भरकों से अवसंरचना भागीदारी प्रभारों के बिल न बनाना/कम बिल बनाना (भा सं नि लि) |
| 101. | | 2.2 2.2.(X)1 से 19 | सबसिडी की हानि (भा सं नि लि) |
| 102. | | 2.3 2.3.(XI)1 से 11 | देयों के बगैर भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना(भा सं नि लि) |
| 103. | | 2.4 | लगातार बिना पते के बिल होने से राजस्व की हानि (भा सं नि लि) |
| 104. | | 2.5 2.5.(XII)1 से 13 | भूमिगत कबिलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति की गैर/कम वसूली (भा सं नि लि) |
| 105. | | 2.7 2.7.(XIV)1 से 8 | बैंकों द्वारा दूरभाष बिलों की राशि के विलम्बित प्रेषणों पर शास्तिक ब्याज की गैर/कम वूसली (भा सं नि लि) |
| 106. | | 2.8 2.8.(XV)1 से 6 | प्रतिभूति जमा पर असमायोजित ब्याज का परिहार्य संचयन (भा सं नि लि) |
| 107. | | 3.1 3.1.1 से 3.1.4 | लैंडलाईन दूरभाष सेवा के लिए भंडारों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति (भा सं नि लि) |

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष) | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|---|---|---|---|
| 108. | | 3.2 | ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति (भा सं नि लि) |
| 109. | | 3.3 | मॉस कॉलिंग इंटेलीजेंट नेटवर्क का अविवेकपूर्ण विस्तार (भा सं नि लि) |
| 110. | | 3.4 | आप्टीकल फाइबर मार्गों को चालू न करने के कारण निधि का अवरोधन (भा सं नि लि) |
| 111. | | 3.6 | उच्चतर क्षमता वाले आप्टीकल फाइबर केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति (भा सं नि लि) |
| 112. | | 3.10 | भाड़े पर कार्मिक लेने पर नियमित अतिरिक्त व्यय (भा सं नि लि) |
| 113. | | 3.11 | उच्चतर बिजली प्रभारों का परिहार्य भुगतान (भा सं नि लि) |
| 114. | | 3.12 | ज्वाइंटिंग किट्स की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय (भा सं नि लि) |
| 115. | | 3.13 | लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ के कारण हानि (भा सं नि लि) |
| 116. | | 3.14 | सेनवट क्रेडिट की गैर उपलब्धी के कारण हानि (भा सं नि लि) |
| 117. | | 4 (4.1-4.7) | म टे नि लि का संगठनात्मक ढ़ांचा तथा वित्तीय प्रबंधन |
| 118. | | 5.1 | डब्ल्यू एल एल उपस्कर की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति (म टे नि लि) |
| 119. | | 5.2 | अपर्याप्त आयोजना के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय म टे नि लि) |
| 120. | | 5.3 | डिजिटल लूप कैरियर प्रणालियों का उपयोग न होना/कम उपयोग होना (म टे नि लि) |
| 121. | | 5.4 | शास्तिक ब्याज का परिहार्य भुगतान (म टे नि लि) |
| 122. | | 5.5 | एक्सचेंजों का अविवेकपूर्ण विस्तार (म टे नि लि) |
| 123. | | 5.6 | केबिलों का परिहार्य अतिरिक्त संग्रह (म टे नि लि) |
| 124. | | 5.7 | देयों की गैर अदायगी के बावजूद दूरभाष सेवा का जारी रहना (म टे नि लि) |
| 125. | | 5.8 | सैल्यूलर मोबाइल राजस्व की तरफ बकाया का संचय (म टे नि लि) |
| 126. | | 11 | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही (म टे नि लि) |